खण्ड-234, अंक-1
सोमवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(10 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय

उपस्थित सदस्य .. ..

प्रश्नोत्तर .. ..

उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९६०–६१, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६२, वित्त लेखे १९६०–६१ परीक्षा तथा लेखा रिपोर्ट, १९६१ (उपस्थापित की गयी) .. ..

काय-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..

लैन्ड टैक्सेशन बिल के संबंध में जानकारी .. .. ..

२० अगस्त, १९६२ की घटना के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. ..

सदन के विभाजन के संबंध में नेता विरोधी दल का पत्र .. ..

२३ अप्रैल, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १० के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन .. ..

विधान भवन के फाटक बंद होने के कारण सदस्यों के अन्दर आने में रुकावट के संबंध में शिकायत .. .. ..

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (विचार जारी) ..

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में पुलिस द्वारा ग्रामीण जनता पर गोली चलाने के संबंध में विवाद .. .. ..

मत्थियाँ .. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री सदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७५

अशैवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कुहणा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पाँडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
वियजपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाँडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शाँतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाँडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काँडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाँडेय, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ जिला परिषद के अध्यापकों का वेतन

**१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला परिषद् के अध्यापकों को जून और जुलाई, १९६२ का वेतन अभी नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कब तक दे दिया जायगा ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—समस्त अध्यापकों को जून तथा जुलाई, १९६२ का वेतन दे दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

झांसी नगरपालिकाध्यक्ष द्वारा धन के दुरुपयोग की शिकायत

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०-६१ में अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी द्वारा ५० रु० फी फड़ी पर

बजड़ी की खरीदारी में झांसी नगरपालिका के किसी सदस्य द्वारा सरकार से गोलमाल की शिकायत की गयी थी और क्या सिटी मजिस्ट्रेट, झांसी की जांच में २० व २५ फी फड़ी का टेन्डर भी फाइल में मिला था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां, सन् १९६१ में अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी द्वारा ५५ रु० फी फड़ी पर बजरी की खरीदारी में झांसी नगरपालिका के कुछ सदस्यों द्वारा सरकार से गोलमाल की शिकायत की गयी थी।

सिटी मैजिस्ट्रेट, झांसी की जांच में २० ० व २५ रु० फी फड़ी का टेन्डर फाइल में नहीं मिला था।

*२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी सन् १९५७ से ४ मई, १९६२ तक कितने हजार रुपये के कितने विज्ञापन अध्यक्ष की आज्ञा से बिना बोर्ड की स्वीकृति दिये गये व विज्ञापनों के पेमेन्ट की स्वीकृति पेमेन्ट के कितने समय पश्चात् बोर्ड द्वारा ली गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१ जनवरी सन् ५७ से ४ मई सन् ६२ तक ३,९२२ रु० के २२ विज्ञापन बिना बोर्ड की स्वीकृति के दिये गये। इन विज्ञापनों के पेमेन्ट की स्वीकृति बोर्ड से अभी तक नहीं ली गई है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने हजार रुपये की बजड़ी खरीदी गई थी, किस काम के लिये खरीदी गई और उसका कब उपयोग किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जो खबर आई है वह इस प्रकार से है कि हमारे यहां परमानन्द भगवानदास साहू की १५ जून, १९६० की भेजी गई शिकायत १२ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हुई। हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जांच कराई और ऐसा मालूम होता है कि उस समय जो स्थानापन्न फिल्टर स्टेशन इंचार्ज थे, उन्होंने कहा था कि बजड़ी की जरूरत है और उसमें टेंडर मांगे गये। पहली बार टेंडर बहुत कम के आये थे। फिर दूसरे महाशय जो काम करते थे वे फिर आ गये और उन्होंने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया। फिर वह किसी बात पर, जैसा कि प्रश्न में आया था, वह बरखास्त किये गये और फिर से स्थानापन्न स्टेशन इंचार्ज आ गये। उन्होंने कहा कि बजड़ी की जरूरत है, जरूर लेनी चाहिये। इस बार फिर टेंडर लिये गये। इस बार टेंडर ५० रुपये फी फड़ी के आय और जिस समय यह बोर्ड में रखा गया उस समय शिकायत करने वाले ही सज्जन प्रिसाइड कर रहे थे। बोर्ड ने उसे पास कर दिया। पास होने के बाद बजड़ी आ गई और पेमेंट के समय वह प्रेसीडेंट थे नहीं और पेमेंट कर दिया गया। सारा किस्सा यह है कि शिकायत करने वाले सज्जन रिस्पांसिबिल थे और जो मौजूदा हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी लादी जाती है। इनका हाथ पाया नहीं जाता है। यह सारा किस्सा है।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि कितने हजार रुपये की बजड़ी खरीदी गई और पहले टेंडर कितने के आये थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जानने की कोशिश की, लेकिन फाइल में मिला नहीं। लेकिन पता चलता है कि उस समय २२, २३ तथा २५ रुपये का भाव था और तीन हजार रुपये की बजड़ी आई थी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५७ से ४ मई, १९६२ तक जो ३,९२२ रुपये खर्च किये गये उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं पूरा ब्यौरा पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह वह पूछते हैं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने जानकारी हासिल की। उन्होंने बोर्ड से स्वीकृति ले ली है और बहुत थोड़े से ऐसे आइटम बचे हैं जिसकी स्वीकृति उन्होंने नहीं ली है। बाकी सबकी स्वीकृति हो गई है। कुछ १०० रुपये से नीचे के थे जो उनके अधिकार में थे, इसलिये वे कर दिये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १ दिसम्बर, १९५७ से लेकर ४ मई, १९६२ तक कितने हजार के विज्ञापन लोकल अखबारों को दिये गये और उन अखबारों को दिये गये जो अध्यक्ष के विरुद्ध गन्दे से गन्दा प्रचार कर रहे थे ? जैसे झांसी, सोमवार, १८ दिसम्बर.....

श्री अध्यक्ष—माननीय लखपतराम जी, एक ही प्रश्न कीजिये और एक ही बात पूछिये।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अथवा चेयरमैन द्वारा कितने हजार रुपये के विज्ञापन, जो अवधि मैंने पूछी है उसमें, दिये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसीलिये मैं चाहता था कि एक छोटा-सा पैरा है, वह पढ़ दूं ताकि गलतफहमी दूर हो जाय।

१ दिसम्बर, १९५७ से ४ मई, १९६२ तक बोर्ड के नियम व बाईलाज के संशोधन संबंधी २९ विज्ञापन प्रसारित हुए जिनकी कास्ट ९,४०१ रुपया थी और जिनके संबंध में बोर्ड की प्रीवियस स्वीकृति एग्जिस्ट करती थी। इस अवधि में वान्ट्स के ६२ विज्ञापन प्रसारित हुए जिनकी लागत ४,४०७ रुपये ६५ नये पैसे थी।

इन ६२ में से केवल ६ विज्ञापन ऐसे थे जिनके लिये बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता थी और जो ले ली गयी थी। ऐक्सीडेंटल नीड्स के कुल ८४ विज्ञापन प्रसारित हुये जिसकी लागत ५,०१९ रुपये २५ नये पैसे थी। यह सब विज्ञापन १०० रुपये से कम के थे और इसलिये बोर्ड की स्वीकृति की आवयश्कता नहीं थी। दिसम्बर, १९५७ का १५० रुपये का पुराने बोर्ड की लायबिलिटी के बारे में एक विज्ञापन ऐसा प्रसारित किया गया जिसके लिये बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता थी। इस विज्ञापन के सिलसिले में बोर्ड की स्वीकृति अभी भी नहीं ली गयी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बतायेंगे कि जो म्युनिसिपल ऐक्ट में इस तरह का नियम है कि बिना बोर्ड की स्वीकृति के सौ रुपये से ज्यादा का टेंडर कोई नहीं इश्यू किया जा सकता है तो जो आखिरी टेंडर इश्यू किया गया और जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं ली गयी उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आदरणीय सदस्य बजरी के टेंडर और विज्ञापन में कन्फ्यूज कर रहे हैं। जहां तक विज्ञापन का संबंध है, जितनों के लिये विज्ञापन की आवयश्कता थी उनकी स्वीकृति ले ली गयी थी, केवल एक ही स्वीकृति नहीं ली गयी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—उसी के बारे में पूछ रहा हूं। जो १०० रुपये से ज्यादा का था, और जिसके लिये बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता थी, उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी यह प्रश्न के दौरान में पता चला है। इसकी बाबत पूछ लिया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि झांसी नगरपालिका के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं और सरकार ने बहुत सी जांच करवा ली हैं और सरकार के पास रिपोर्ट आ गयी है, क्या उस पर सरकार जल्दी से विचार करके कोई उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—झांसी के सिलसिले में तो शिकायतें बहुत आयी हैं लेकिन बहुत ज्यादा शिकायतों की वजह से सरकार के रास्ते में बहुत सी दिक्कतें आ गयी हैं। कोई १०० के करीब शिकायतें आयी हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि हम समझते हैं कि सही हैं। लेकिन एक ही चीज पर दो-दो, तीन-तीन बार शिकायतें आ गयीं, तो हर स्टेज पर यह हुआ कि यह और शिकायत आ गयी है इसकी भी जाँच कर ली जाय। हमारा विभाग कोशिश कर रहा है और आखिर में यह कहा गया है कि इनमें से जो केसेज नहीं बनते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाय और जो बनते हैं, उनको सिंगिल आउट करो और जल्द से जल्द फैसला हो जाना चाहिये।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरी जानकारी में यह है कि १२ हजार रुपये से अधिक के विज्ञापन दिये गये और ऐसे अखबारों को दिये गये जो आये दिन अध्यक्ष के विरुद्ध गंदे हमले करते हैं। यह १६ दिसम्बर, १९५७ का "बुंदेलखंड" अखबार है। इसके पहले पृष्ट पर लिखा है—"भ्रष्टाचार के श्रीगणेश को रोका जाय। १२ हजार की जीपकार खरीदने का रहस्य.."

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आये दिन जो अखबार अध्यक्ष के विरुद्ध गंदे हमले करते हैं उन अखबारों को करीब १२ हजार रुपये के विज्ञापन दिये गये, "बुंदेलखंड" झांसी का अखबार है जो बराबर उनके खिलाफ लिखता था, क्या यह सही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, किस अखबार को दिये गये यह तो न प्रश्न था और न मैंने पूछा। अगर यह लिखकर देंगे स्पेसिफिक, तो उसकी इंक्वायरी फिर कराकर मैं निवेदन कर दूंगा।

झांसी जिले में टिन, लोहा और कोयले का परमिट

*३—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक झांसी जिले में जिला सप्लाई कार्यालय द्वारा कितने मन नालीदार टिन (चद्दर) के परमिट दिये गये और उसमें से तालबेहट टाउन व तालबेहट प्रसार सेवा खंड के निवासियों को कितने मन उक्त टिन के परमिट तथा किन-किन व्यक्तियों को दिये गये?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जनवरी, ६१ से ३१ मार्च, ६२ तक झांसी जिले में जिला सप्लाई कार्यालय द्वारा १३२ टन ९ क्विन्टल्स ५८ किलोग्राम ३७१ ग्राम नालीदार चद्दर के परमिट दिये गये उसमें से १ टन १ क्विन्टल ९९ किलोग्राम ६७२ ग्राम नालीदार चद्दर तालबेहट टाउन व तालबेहट प्रसार सेवा खंड के व्यक्तियों को दी गई।

*४—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९६२ तक झांसी जिले में किन व्यापारियों को कब से कितना-कितना लोहे का तथा कोयले का कोटा मिलता है और जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६२ तक किस व्यापारी को कितना लोहा तथा कितना कोयला मिला?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना संलग्न† है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि १३२ टन में से झांसी जिले में १४ ब्लाक हैं उनमें से तालबेहट ब्लाक को केवल एक टन दिया गया है, इस पर विचार करते हुये यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वहां के लोगों की आवश्यकता को देखते हुये वहां अधिक से अधिक टिन की परमिट दी जाय?

---

†छापी नहीं गई।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—यों तो टिन की चादर का उत्पादन बहुत कम है और हमारी स्टेट को कोटा कम मिलता है। इस कमी की वजह से सब जगह कम मिलता है। झांसी के लिये १३२ टन पर्याप्त मात्रा नहीं कही जा सकती है और तालबेहट को जो केवल एक टन दिया वह बहुत कम है, इसलिये हम जिलाधिकारियों को लिखेंगे कि अनुपात में बांटा करें।

श्री ऊदल—क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि झांसी और कानपुर दोनों रीजन्स में पनालीदार टिन और लोहे की कमी इसलिये पड़ गई है कि बहुत से लोगों ने फर्जी तरीके से परमिट लेकर माल उठा लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने झांसी को १३२ टन दिया है उसी तरीके से क्या ऐसे जिलों के ऊपर भी ध्यान देंगे जहां दस महीने से एक टन टिन भी नहीं गयी है जैसे बलिया ?

श्री अध्यक्ष—उसका आप अलग से प्रश्न पूछ लीजियेगा।

टेहरी गढ़वाल के वन क्षेत्र से सुविधायें न मिलने की शिकायत

*५—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेहरी-गढ़वाल में रियासत मिलने के वक्त जंगलात का क्या रकबा था और इस वक्त उसका क्षेत्रफल क्या है ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—टिहरी गढ़वाल के विलीनीकरण के समय वन विभाग का क्षेत्रफल ३,७५९ वर्गमील था और वही वर्तमान समय में भी है।

*६—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर काशी जिले के रुवाई क्षेत्र टेहरी के बासर क्षेत्र, खासपट्टी, रमोली क्षेत्र, नेलचामी आदि क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के जंगल, जो उस क्षेत्र की ग्राम जनता के थे सरकारी जंगलों की सीमा में मिला दिये गये हैं और उसको ४ वर्ष पहले जंगलात विभाग ने नीलाम कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले के ग्राम सभाओं का कोई भी जंगल वन विभाग में नहीं सम्मिलित किया गया है। पिछले ४ वर्षों के अन्दर सोयम वन का, जो कि नैलचामी और बासर के नजदीक थे, नीलाम ग्राम सभा के लिये किया गया और इस प्रकार जो आय प्राप्त हुई वह ग्राम सभा के खाते में जमा की गई जिसमें १० प्रतिशत प्रबन्ध व्यय काट लिया गया। यह कार्य ग्राम सभाओं की प्रार्थना पर जिलाधीश की सम्मति से किया गया क्योंकि यह वन (सोयम वन) जिलाधीश के अधिशासन में है।

*७—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि पहले टेहरी-गढ़वाल रियासत में मकान बनाने के लिये फ्री खन्ना दिया जाता था तथा पी० डी० (रियायती) लकड़ी दी जाती थी वे अधिकार अब क्यों छीन लिये गये ? इसका क्या कारण है ? क्या इसकी जांच सरकार कराकर पुराने हकूक देने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—ग्रामवासियों को मकान बनाने के लिये निशुल्क लकड़ी तथा पी० डी० उसी प्रकार दी जाती है जैसे कि टिहरी स्टेट के शासन काल में दी जाती थी। स्टेट के शासन काल में दी जाने वाली रियायतों को किसी भी प्रकार कम व समाप्त नहीं किया गया है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दस प्रतिशत काटकर के बाकी रुपया गांव सभा के खाते में कब जमा किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार को यह विदित है कि राजा के राज में जंगल राजा की निजी सम्पत्ति माने जाते थे, इसलिये प्रजा को बहुत कम हकूक राजा ने दिये थे और अब चूंकि शासन हमारी सरकार के हाथ में आ गया है, तो क्या सरकार उनके हकूक को बढ़ायेगी लकड़ी, घास और इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अव्वलन तो यह सवाल उठता ही नहीं । शिकायत तो यह थी कि जो राजा के वक्त में सहूलियतें थीं वह अब नहीं मिल रही हैं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो सुविधा वन विभाग के द्वारा और जगह दी जाती है उसकी निस्बत टेहरी गढ़वाल में कम है ? क्या इस प्रश्न पर मंत्री महोदय विचार करेंगे कि वहां भी समानरूप से सुविधा प्रदान की जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह २,७५९ वर्ग मील का जंगल था उसके इन्तजाम के लिये कितने कंजर्वेटर हैं और डी० एफ० ओ० कितने हैं और उनके हेड क्वार्टर कहां-कहां पर हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—यहां यह तो एक वृत्त है और एक वृत्त में एक ही कंजर्वेटर होता है और उसमें ४ डिवीजन हैं ।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने जो बतलाया कि ग्रामसभा के नाम धन जमा किया गया है तो वह कितना धन है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग गांवों का हिसाब है जो इस प्रकार से है :—

वन	वर्ष	कीमत	विक्रय कीमत जो जिला नियोजन अधिकारी के पास जमा की गई
१	२	३	४
		रु०	रु०
काईढांग सोयम वन ..	१९५८–५९	४,५००	४,०५०
चामी सोयम वन	१९५८–५९	६,५००	५,८५०
कैथर सोयम वन	१९५८–५९	४,०००	३,६००
दवेज सोयम समनगांव	१९५९–६०	५,०००	४,५००
धनसालीसोयम	१९६०–६१	२५,२००	२२,६८०
चिखटिया सोयम	१९६१–६२	४,०००	इसकी आय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । लिहाजा उनके खाते में जमा नहीं हो सकी ।

दक्षिणी गोंडा के कुवाना वन क्षेत्र से सुविधायें

*८—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सहूलियतें वन के करीब रहने वालों को जमींदारी के समय में वन से मिलती थीं वह अब भी मिल रही हैं ? अगर हां, तो गोंडा दक्षिणी कुवानों रेन्ज में कितने लोगों को मिल रही हैं और उन गांवों तथा उन किसानों के क्या नाम हैं ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—वन के किनारे रहने वालों को जो सुविधायें जमींदारी के समय में वनों से मिलती थीं वह अब भी मिल रही हैं । दक्षिणी गोंडा के कुआना रेन्ज के वनों के निकटस्थ ग्रामीणों को छप्पर छाने की लकड़ी, घासफूस तथा चराई की सुविधायें प्राप्त हैं । कुवाना रेन्ज के निकट के ग्रामों की सूची, जिसमें ११२ ग्राम हैं, संलग्न है । संबंधित ग्रामीणों की कुल संख्या तथा उनके नाम की सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२–११३ पर)

श्री नवरंगसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झोंपड़ी छाने के लिये लकड़ी और फूस जो मिलता है उस झोपड़ी छाने वाली लकड़ी में कौन-कौन सी लकड़ी शामिल है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी कि लकड़ी का नाम बताया जा सके ।

श्री नवरंगसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह झोपड़ी की लकड़ी और फूस जो मिलता है वह किसी कीमत पर मिलता है या मुफ्त में मिलता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियायती दर पर मिलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो मुफ्त मिलती हैं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जमींदारी के वक्त में वन के करीब रहनेवालों लोगों को कौन-कौन सी सहूलियतें थीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गोंडा के सोना रेन्ज का है उसमें जो सुविधायें जमींदारी के समय मिलती थीं वे अब भी बराबर जारी हैं ।

श्री विजयसिंह—वे सुविधायें कौन-कौन सी हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—इस रेन्ज से बलरामपुर राज्य के अधिकारियों के आदेश पर, जो अलग-अलग ग्रामीणों के प्रार्थना-पत्र होते थे, उसके अनुसार छप्पर छाने की कच्ची लकड़ी और छप्पर बनाने का सामान, घास फूस मिला करता था; वह अब भी मिलता है ।

श्री नवरंगसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कुवानों रेंज में कौन-कौन से नम्बर फूस के लिये अलग किये गये हैं और कौन से चराई के लिये ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—इतने डिटेल के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

आगरे में जयपुर हाउस वाले नाले का सुधार तथा गन्दी बस्ती निपातन योजनान्तर्गत ऋण

*९—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरमहापालिका, आगरा के अन्तर्गत जयपुर हाउस से आगरा किले तक १० मील लम्बा नाला खुला रहता है ? इसमें गन्दा पानी बहा करता है, इसके सुधारने हेतु तथा और बहुत सी शिकायतें, जैसे शहर के सुधार व विकास हेतु कौन-कौन कार्यवाही की गई और शहर के बीच में जहां ५ लाख की आबादी के २०० मुहल्ले हैं आज भी गन्दगी रहती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरा नगर में जयपुर हाउस से किले तक नाले की लम्बाई केवल २.८८ मील है। इस नाले क सुधार क लिये निम्नलिखित कार्य नगर महापालिका, आगरा द्वारा किय गय ह :—

(१) इस नाले को १ मील २४० फुट तक की लम्बाई में पक्का कर दिया गया है,

(२) नाले में बहने वाले गन्दे पानी को सीवर में डाल दिया गया है,

(३) बरसाती पानी के बहाव में रुकावट न पड़ने के लिये आवश्यकता अनुसार नाले की सफाई करा दी जाती है,

(४) इस नाले के किनारे फटी धरती, बाड़ा चरन सिंह तथा मन्टोला क्षेत्रों की गंदी बस्तियों की सफाई तथा सुधार का कार्य किया जा रहा है,

(५) नाले के किनारे की लगभग ६ फर्लांग सघन बस्ती में यातायात की सुविधा हेतु पक्की सड़क बनाई गई है,

(६) इस सड़क से मिलने वाली समस्त नालियां पक्की कर दी गई हैं, तथा

(७) नाले के सहारे दुर्घटना से बचाव के लिये सघन बस्ती में अत्यधिक ढालू स्थानों पर पक्की मुंडेर बना दी गई हैं।

*१०—**श्री ऊदल**—उपरोक्त शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार गन्दी बस्ती निपातन योजना तथा अन्य सुधार योजनायों में आगरा नगरमहापालिका को कितने रुपये का अनुदान व कर्ज अब तक दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शासन में गंदी बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत ४.०० लाख रु० का ऋण तथा २.२० लाख रुपये का अनुदान तथा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत ७,११,५०० रु० का ऋण नगरमहापालिका आगरा को दिया है।

श्री ऊदल—यह जो ऋण और अनुदान दिया गया है वह कब दिया गया और उसका इस्तेमाल नगरमहापालिका, आगरा ने कर लिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया है और अभी मुख्य नगर अधिकारी ने सूचित किया है कि उपरोक्त बस्तियों में प्रत्येक गली में ईंटों के खड़ंजे, किनारे-किनारे नालियों का निर्माण, पानी के लिये सार्वजनिक नाले और प्रकाश के लिये बिजली के लैम्प लगाये गये हैं तथा आवश्यकतानुसार शौचालय बनाये गये हैं। मार्च, १९६२ तक इन सुधार कार्यों पर ३,६८,६०५ रुपया व्यय हो चुका है।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुये कि द्वितीय योजना में १३ लाख रुपया दिया गया था उसमें से कुल ३ लाख ६८ हजार खर्च हुआ है, जब कि तृतीय योजना का पहला वर्ष चल रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी विशेष रूप से नगरमहापालिका को हिदायत देने को कृपा करेंगे कि यह द्वितीय योजना का रुपया जल्द से जल्द खर्च कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसी हिदायतें हम देते रहते हैं। अगर कुछ ढिलाई दिखायी देगी तो फिर ऐसी हिदायतें दी जायेंगी।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रुपये से किस-किस क्षेत्र में सुधार का काम किया गया है और जो रुपया दिया गया है वह मांग होने पर भी इन गन्दी बस्तियों में नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन बस्तियों में काम हुआ है: रतनपुरा, नयाघर, नगला-शोला भोला, नाला मंगलेश्वरनाथ, बाड़ा चरनसिंह, बुढ़ाना सैयद, ईदगाह कुतलूपुर, टीला हसन खां (टीला नन्द राम, टीला शेख़ मुन्नू)।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये, कि आगरा नगरमहापालिका को सरकार की ओर से बराबर हिदायतें दी गई परन्तु वह प्रदेश की अन्य महापालिकाओं के मुकाबिले में वह समय से नहीं खर्च करती है और कम खर्च कर रही है, क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठावेगी और ऐसे आदेश देगी कि वह नगरमहापालिका ठीक समय से कार्य करे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह एक बड़ा कन्ट्रोवरशियल विषय है और मैं डरता हूं कुछ कहने में । बदकिस्मती यह है कि नगरपालिका के लिये बहुत ससेप्टिबिल पब्लिक ओपीनियन है वहां की । जहां भी कोई गन्दी बस्तियों को खत्म करने के लिये काम शुरू किया जाता है, वहां प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है । मेरे पास ऐसी खबरें आती हैं कि लोग बस्ती में काम नहीं कराना चाहते । इस तरह से काम रुक जाता है । यह सरकार के लिये एक प्रश्न होता जा रहा है कि सरकार उसमें क्या कदम उठाये ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नाले के किनारे कस्तूरबा मार्ग पर सड़क बनाने की योजना है और उसके अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, वहां ६ फर्लांग सड़क यातायात की सुविधा के लिये बनाई गई है । यदि कोई और दूसरी सूचना माननीय सदस्य के पास हो तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा ।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जो योजना बस्तियों की थी वहां पर यह रुपया नहीं खर्च किया गया । अनुदान के रुपये के वहां न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप यह प्रश्न अलग से पूछियेगा ।

श्री बालोजी अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ६ फर्लांग पक्की सड़क बनाई गई है तो क्या पूरे नाल के किनारे पक्की सड़क बना दी जायगी और दोनों ओर अशोक के वृक्ष लगा दिये जायेंगे ? जब ऐसी योजना थी तो उसको अब तक क्यों नहीं कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यदि माननीय सदस्य लिख कर दें तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा ।

*११-१३---**श्री शारदानन्द** तथा **श्री कैलाश** (जिला देवरिया)---[१४ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ५५-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

कानपुर में मिल मालिकों को मजदूर क्वार्टरों के लिये दी गई भूमि

*१४---**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले कुछ वर्षों में कानपुर के कारखानेदारों को नगरपालिका द्वारा अत्यन्त सस्ते दामों पर जमीन मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बनाने के लिये दी गई थी ? यदि हां, तो उन कारखानेदारों के नाम क्या है तथा उनको कितनी-कितनी जमीन किस दर से दी गई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां । मेसर्स जुगीलाल कमलापत काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स को ७९.१७ एकड़ भूमि १००० रु० प्रति एकड की दर से बेची तथा ९०.८१८ एकड़ भूमि ४१४.३० नये पै० प्रति एकड़ तथा १ लाख रुपया बाहरी विकास पर ९९९ वर्ष के पट्टे पर दी गई गनेश फ्लावर मिल्स कम्पनी को ३.४८ एकड़ भूमि २.५० रु० नये पै० प्रतिवर्ग गज की दर से ९९९ वर्ष के पट्टे पर दी, मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी को २२.२७ एकड भूमि २ रु० प्रतिवर्ग गज की दर से ९९९ वर्षों के पट्टे पर दी गयी ।

*१५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कारखानेदारों ने उन जमीनों पर अब तक क्वार्टर्स बनाये या नहीं ? यदि हां, तो कितने तथा क्या उनमें बिजली पानी आदि की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स ने १६३ क्वार्टर्स तथा ८ दूकाने बनाई हैं। प्रत्येक क्वार्टर्स में बिजली पानी आदि की अभी पूर्ण व्यवस्था नहीं है। अन्य कारखानेदारों ने अभी तक कोई क्वार्टर्स नहीं बनाये हैं। नगर महापालिका कानपुर ट्रांसफर डीड के अनुसार सम्बन्धित पार्टियों को नोटिस देकर जमीन के उचित उपयोग के लिये प्रयत्न कर रही है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे यह जो जमीन क्वार्टर्स के लिये दी गई थी सस्ते दाम पर और जो खाली पड़ी हुई है, तो सरकार उसको वापस लेने की कोशिश करेगी। उसको वापस लेकर और दूसरे उद्योगों के कामों में लगायेगी। चूंकि उस ट्रांसफर डीड की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, इसलिये क्या सरकार उसको शीघ्र ही वापस लेने का प्रबंध करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक नगरमहापालिकाओं का ताल्लुक है वहां पर सरकार सीधे कुछ नहीं करती है, वहां की डेवलपमेंट कमेटी है जिसके जरिये यह काम होता है। वहां नगरपालिका है, इलेक्टेड बोर्ड है उसके सामने यह चीजें रखें, हमारी शिकायत है कि यह काम ढीला चल रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—ये जमीनें कब और किस प्रस्ताव द्वारा दी गयीं ?

श्री अध्यक्ष—इससे क्या मतलब ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—इससे मतलब है कि क्वार्टर अभी तक नहीं बने हैं, बहुत अर्सा हो गया, क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ये जमीनें अलग-अलग समय पर दी गयी हैं। कमलापत स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल को ५६ में दी गयी है और फिर ९ एकड़ के करीब इससे पहले १७-५-४४ को दी गयी है। लेकिन दूसरी जमीनें बाद में दी गयी हैं, १८-३-६१ को ९० एकड़, उस पर तो वैसे भी नहीं बन सकते।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या यह सत्य है कि इसमें ४० एकड़ जयपुरिया की जमीन शामिल नहीं है और सरदार इंदरसिंह को जो दी गयी वह शामिल नहीं है और क्वार्टर अभी तक नहीं बने, खाली पड़ी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो मुझे सूचना मिली वह मैंने सदन की मेज पर रख दी, अगर कोई आइटम रह गया हो तो वह लिखकर दें, हम इंक्वायरी करायेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—थोड़े से कमलानगर के क्वार्टर्स बने हैं, १६ रुपया किराया है, उनमें न बत्ती है, न पानी है। तो जब उन्हीं की पार्टी की कारपोरेशन है तो मंत्री जी उनमें बिजली और पानी का बन्दोबस्त करायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिकायें जितनी हमारी हैं उतनी ही आपकी हैं, वह तो स्वतंत्र जमाअत हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इसमें व्यक्तिगत रूप से इंटरफियर करें, इतनी जमीन २५-२५ साल से पड़ी है। उसमें वह दखल देंगे ?

श्री अध्यक्ष--व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करती है सरकार करती है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार इसमें क्यों नहीं दखल देती और उसको टी०बी० सेनिटोरियम आदि के लिये क्यों नहीं दे देती ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैंने तो बहुत डरते-डरते यह कहा था कि वास्तव में यह जो डेवलपमेन्ट का काम हो रहा है वह बहुत संतोषजनक नहीं हो रहा है । मैं तो यह सोच रहा हूं, अगर हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य साथ दें तो, कि इसको खत्म कर दिया जाय और जिस तरह से पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा काम चलता था वैसे ही चले । उसके लिये कानूनों में परिवर्तन कर दिया जाय ताकि सचमुच में कुछ काम हो सके । लेकिन यह प्रश्न एक पालिसी का है । इतनी जल्दी में कोई उस सम्बन्ध में यहां एनाउन्समेंट नहीं कर सकता ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जिस तरफ माननीय मंत्री जी अभी सचेत कर रहे थे उसके देखते हुये और कानपुर की स्थिति को देखते हुये जो ३६ वर्ष से यह जमीनें पड़ी हुई हैं और सेल्स डीड में यह लिखा हुआ है कि नये उद्योग धंधों के लगाने में तथा क्वार्टर्स बनाने के लिये सस्ते दर पर जमीन दी जाय यह सब चीजें देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी कानपुर कारपोरेशन को लिख कर इस बात का उचित ब्योरा मांगेंगे कि उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है और सेल्स-डीड में लिखी गयी बातों को क्यों फुलफिल नहीं किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--हम यह जरूर लिखेंगे कि नगरमहापालिकायें थोड़ा काम सुस्त कर रही हैं और उस तरफ तवज्जह होनी चाहिये । २-४ दिन हुये, मैं स्वयं यह सोच रहा था कि एक पर्सनल लेटर उनको इस तरह का लिखूं कि उनका कार्य बहुत मंद है, उस ओर उनकी प्रगति होनी चाहिये ।

आगरा नगरमहापालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी

*१६--**श्री बालोजी अग्रवाल**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेल्थ मैनुअल के अनुसार आगरा नगरमहापालिका में मेहतर, भिश्ती, जमादार, इंस्पेक्टर्स व चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर्स की संख्या कितनी होनी चाहिये और इस समय कितनी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार संख्या

१६(क)	मेहतर	२,८७२
	भिश्ती	३७०
	जमादार	१३८
	सेनीटरी इंस्पेक्टर	२३
	चीफ सेनीटरी इन्सपेक्टर	४

वर्तमान संख्या

(ख)	मेहतर	१९४५
	भिश्ती	२०२
	जमादार	९७
	सेनीटरी इंस्पेक्टर	२१
	चीफ सेनीटरी इंस्पेक्टर	६

श्री बालोजी अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी संख्या में कमी होने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमको यह मालूम हुआ है कि पैसे की कमी की वजह से आगरा नगरमहापालिका ज्यादा आदमी रखने में संकोच कर रही है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—इस बात को देखते हुये कि आगरे में ताजमहल है और काफी संख्या में पर्यटक भी वहां आते-जाते हैं और उसमें आये दिन वृद्धि हो रही है और वह शहर काफी गन्दा रहता है, क्या सरकार आगरा नगरमहापालिका को ऐसे आदेश देगी जिससे यह गन्दगी दूर हो सके और यह कमी भी पूरी हो ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हम लिखते भी रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे ।

*१७—**श्री जगदीशनारायण सिनहा** (जिला सहारनपुर)—[११ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बरेली जेल से कैदियों को जमानत पर छोड़ने में देरी

*१८—**श्री मुहम्मद हुसैन** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ में कितने जमानतों के परवाने जिला बरेली में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों से जेल में गलत पहुंचे जिनके कारण मुलजिमों की रिहाई उस दिन न हो सकी ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—सत्ताइस ।

*१९—**श्री मुहम्मद हुसैन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मुलजिमों को परवाने के साथ न्यायालय में भेजा गया या नहीं ?

श्री गोविन्द सहाय—तेरह मुलजिमान को परवाने के साथ न्यायालय में भेजा गया ।

*२०—**श्री मुहम्मद हुसैन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोविन्द सहाय—जेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उनकी गलती नहीं पाई गई ।

*२१-२२—**श्री कैलाश**—[हटा दिये गये ।]

[१० सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[१० अगस्त, १९६२ को प्रश्न १६-१८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

सहतवार कोल डिपो

*४—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में सतहवार नामक स्थान के लिये १९५९ से आज तक कितना कोयला मंजूर हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बलिया जिले में सतहवार नामक स्थान के लिये १९५९ से आज तक ५ वैगन कोयला मंजूर हुआ ।

*५—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार की जानकारी में यह है कि यह कोयला सतहवार में न बेच कर ब्लैक से बलिया में बेचा जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, यातायात के अभाव के कारण ऐसी आज्ञा दी गयी है कि यह डिपो बलिया में ही कुछ समय के लिये रखा जाय । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोयला ब्लैक में बेचा जाता है ।

*६—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कोयले के लाइसेंसदार भूतपूर्व विधायक के सुपुत्र हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, हैं ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहतवार में कितने वैगन कोयला सन् ५९ से आज तक बेचा गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जब वहां डिपो ही नहीं है और टेम्पोरेरी तौर से वह बलिया में है, तो वहां बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री हिम्मतसिंह—यातायात के अभाव के कारण ऐसी आज्ञा कब दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब से यह खुला है तभी से नहीं गया है । डी०एम०ने रोक दिया । इसलिये बीच में आज्ञा देने का प्रश्न नहीं उठता है । अब उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि कोयले की कमी की वजह से वहां ले जाना ठीक नहीं है । यह आज्ञा हाल में दी है कि जब तक कोयले की पोजीशन अच्छी न हो तब तक वहां न भेजा जाय ।

श्री हिम्मतसिंह—जिस समय यह डिपो खोलने की बात चली तो वहां यातायात की क्या हालत थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह यातायात का प्रश्न नहीं है । कोयले की कमी का है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—बलिया जिले में कोयले की मांग को देखते हुये क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि बलिया के अलावा सहतवार में अलग से दूकान खोली जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ज्यों ही कोयले की पोजीशन अच्छी होगी इनको कहा जायगा कि वहां अपने को शिफ्ट कर लें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—शिफ्ट करने और कोयले की पोजीशन से क्या मतलब है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका मतलब यह है कि अभी बलिया शहर को ही काफी कोयला नहीं मिलता है । अगर वहां से हटा दिया जायगा तो और कमी पड़ जायगी । बलिया शहर को पहले फोड करना है ।

झांसी नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा अनियमित व्यय की शिकायत

*७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही नहीं है कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा हजारों रुपये का काम गवर्नमेन्ट के रुपये से बिना बोर्ड तथा जिलाधीश व कमिश्नर की स्वीकृति लिये किया गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं । सरकारी ग्रान्ट से कोई काम बिना बोर्ड तथा जिलाधीश की स्वीकृति के अध्यक्ष द्वारा नहीं कराये गये ।

*८—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि झांसी के कई वार्डों में सरकारी ग्रान्ट के रुपये से जनवरी व फरवरी, सन् ६२ में हजारों रुपये का काम बिना टेंडर के ही कराया गया ? यदि यह सत्य है, तो किन-किन वार्डों में इस अवधि में क्या-क्या काम व कितने हजार रुपये का कराया गया और बोर्ड द्वारा यदि कोई स्वीकृति ली गई, तो किस तारीख व किस महीने में व किस सन् में ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं । इन महीनों में कोई काम सरकारी ग्रान्ट से बिना टेन्डर के नहीं कराया गया ।

*९—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका के ऊपर कई लाख रुपये का सरकारी कर्ज भिन्न-भिन्न प्रकार का वर्षों से चला आ रहा है जिसकी वसूली की कोई आशा नहीं रही ? क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, सन् ६२ तक कितने लाख रुपये का कर्जा किस-किस प्रकार का व कितना सूद नगरपालिका पर है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका, झांसी को दिये गये कर्जों की एक तालिका संलग्न है। इन कर्जों के वसूली की आशा की जाती है। मार्च, सन् १९६२ तक जितना ऋण बाकी था उस का भी विवरण तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११४-११५ पर।)

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि अध्यक्ष, झांसी नगरपालिका द्वारा करीब ५०,००० रुपया बिना बोर्ड की स्वीकृति के और जिलाधीश की स्वीकृति के खर्च किया गया जो उन्होंने १५-३-६२ की मीटिंग में पास कराने की कोशिश की और जब कोरम न होने की वजह से मीटिंग एडजोर्न हो गई तो फिर २९-३-६२ की मीटिंग में वह रखा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरी इस बात को सूचना मानते हुये कि ऐसा हुआ एजेंडा नं० ९६० से ९९८ तक झांसी नगरपालिका से क्या मंत्री जी मंगवाने की कृपा करेंगे जिसमें.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि आप लिखकर दें तो जांच करा ली जायगी।

*१०-१२—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—[६ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न १५८-१६० के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

मुरादाबाद जिले में टिन शीट्स व कोयले का कोटा

*१३—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ में मुरादाबाद जिले को टिन शीट्स का कितना कोटा एलाट किया गया था और कितने आदमियों को कोटा बांटा गया और सबसे ज्यादा टिन शीट्स किस व्यक्ति को दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुरादाबाद जिले को सन् १९६१ में १७२ टन शीट्स का कोटा एलाट किया गया। ८१६ आदमियों को कोटा बांटा गया जिसमें सबसे ज्यादा टिन शीट्स सर्वश्री चन्द्र विपन चन्द्र आयल मिल्स, प्रोडक्ट्स आफ प्योर वेजीटेबिल आयल, चन्दौसी को दी गई।

*१४—श्री शराफतहुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गत वर्ष मुरादाबाद के लिये कोयले का कितना कोटा दिया गया और उसका वितरण किस प्रकार किया गया ? सबसे अधिक कोयला किस आदमी को दिया गया और किस कार्य के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुरादाबाद जिले को गतवर्ष निम्नलिखित कोयले का कोटा दिया गया—

कोयला चूर	.. .. ..	४२६ वैगन
साफ्ट हार्ड स्टीम कोल	.. .. ..	२३७ वैगन

(वितरण तालिका संलग्न है।)

सबसे अधिक कोयला जिन व्यक्तियों को दिया गया उनके नाम निम्नलिखित हैं--

कोयला चूर (ईंट पकाने के लिये)	१--सर्वश्री मुरादाबाद ब्रिक वर्क्स, मुरादाबाद	१३	वैगन
	२--रईस उद्दीन अहमद, मुरादाबाद	१३	वैगन
	३--अनीम उल्ला करीम बक्स, कांठ	१३	वैगन
	४--ज्योति प्रसाद, अमरोहा (केलसी)	१३	वैगन
	५--राम चरन दास प्रेमनाथ (हसनपुर)	१३	वैगन
सापट हार्ड कोक	१--मदन किशोर जुगल किशोर मुरादाबाद	१४	वैगन
स्टीम कोल (कोल डिपो) के लिये	२--महर चन्द रिशी, मुरादाबाद	१४	वैगन
स्टीम कोल (चूना भट्टियों के लिये)	श्री ईसरार अहमद, अमरोहा	३	वैगन

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११६ पर।)

वाराणसी नगरपालिका में गन्दे पानी से खाद बनाने की योजना

*१५--**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरमहापालिका को गन्दे पानी से खाद बनाने तथा सिंचाई की योजना के लिये कितने रुपये का कर्जा तथा अनुदान मंजूर किया गया है और अब तक कितना रुपया दिया जा चुका है? यह योजना किस स्थान में चालू की जायेगी और इसकी रूपरेखा क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--वाराणसी नगरमहापालिका को उनके गन्दे पानी से खाद बनाने तथा सिंचाई की योजना के लिये अब तक १४.७५ लाख रुपये का ऋण शासन ने स्वीकृत किया है। इसके लिये कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

यह योजना कोनिया गांव के सामने वरुणा नदी के दूसरे किनारे पर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण के पूर्ण हो जाने पर गंगा नदी के जल के गन्दे होने की संभावना नहीं रहेगी। लगभग १४०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी जिससे अनाज की पैदावार में यथेष्ट वृद्धि होने की आशा है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब से शुरू की गई है और कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस योजना में सन् १९५७-५८ में ६,५०,००० रुपये यहां से दिये गये, ५८-५९ में ४,२५,०००, ५९-६० में २ लाख और ६०-६१ में २ लाख द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये गये। यह संभव है कि तीसरी योजना में कुछ और रुपया दिया जाय और तब यह पहला हिस्सा खत्म हो जायगा।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी सार्वजनिक योजना, जो गंगा के पानी के गन्दे होने से संबंधित है, इसके लिये सरकार ने अनुदान क्यों नहीं दिया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सरकार ने इसीलिये तो योजना बनाई है कि गन्दा पानी उसमें न गिरे।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी जानकारी करावेंगे कि योजना में काम शुरू नहीं हुआ है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरी तो यह जानकारी है कि इसमें काफी काम हो गया है। अगर वह कहना चाहें कि पूरी नहीं हुई, तो मैं तस्लीम करता हूं।

*१६--**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**--[१२ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी महापालिका पर ऋण

*१७—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगरमहापालिका के ऊपर जो पुराने कर्जे सरकार के हैं उसे माफ करने और नये कर्जे पर सूद कम लेने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार वाराणसी नगरमहापालिका को दिये गये कर्जे को माफ करने के पक्ष में नहीं है। कर्जों पर सूद कम लेने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त वाराणसी नगर-महापालिका पर सरकार का कितना रुपया कर्जा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना की आवश्यकता है। बाकी, यह सूचना मैं पहले सदन में विस्तार से दे चुका हूं।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुये कि कर्जा बहुत ज्यादा है और सरकार की सूद की रकम भी बहुत ज्यादा है, सरकार इसमें कुछ छट देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिस समय नगरमहापालिकायें बनाई गई थीं तो हमने स्वयं अपनी ओर से यह सोचा था कि पुराने कर्जे को माफ किया जाय, जो कि अनप्रोड-क्टिव हों। जब हमने जांच की तो ऐसा मालूम हुआ कि पुराने कर्जे कोई खास नहीं हैं। सब कर्जे नये हैं। वाटर वर्क्स, सीवर और मकानों की योजना के लिये किये गये हैं। वे सब प्रोडक्टिव काम हैं। इनसे नगरमहापालिका को फायदा होता है। इसलिये इनको राइट आफ करने का सवाल सरकार के सामने नहीं है। यह सारा पैसा हम केंद्रीय सरकार से लेते हैं और उसे हमें सूद देना पड़ता है। इसलिये सूद में भी हम कोई कमी नहीं कर सकते।

पेयजल विहीन ग्राम

*१८—श्री गणेशचन्द काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने ४ जून, १९६२ ई० को प्रश्न संख्या १ व २ नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न के पूरक प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने कहा है कि ऐसे भी गांव उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें ४ या ५ मील से पानी पीने को आता है ? क्या सरकार बतायेगी कि उन ग्रामों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

ऐसे ग्रामों के नाम तथा पते संलग्न परिशिष्ट में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११७ पर)

श्री गणेशचन्द काछी—क्या सरकार बतायेगी कि जिन ६३ गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है उन गांवों के बारे में क्या सरकार विशेषरूप से विचार करेगी कि वहां पानी का शीघ्रातिशीघ्र इन्तजाम कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उनको प्राथमिकता दी जाने की नीति हमारी है, लेकिन उनको पानी देने में कुछ कठिनाई अवश्य है। पानी देने के लिये आसपास कहीं पानी होना चाहिये। बहुत-सी जगहें ऐसी हैं जहां कुएं भी नहीं खुद सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कम से कम पीने के पानी का प्रबन्ध हो जाय।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—उत्तर में कहा गया है कि ४–४, ५–५ मील से पीने का पानी आता है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पानी को गांव वाले लाते हैं अथवा सरकार की तरफ से इसकी कोई व्यवस्था है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बेचारे गांव वाले खुद लाते हैं। इस योजना को बनाते समय हम इस बात का खयाल रखते हैं कि साधारणतः जो रुपया और स्थानों के लिये दिया जाता है उससे कहीं अधिक रुपया इसके लिये हम देते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये गांव किस-किस जिले के हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ये गांव गढ़वाल, मिर्जापुर और बांदा में हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन गांवों की लिस्ट दी गयी है उतने ही गांव नहीं हैं बल्कि पूर्वी जिलों का करीब-करीब हर एक गांव ऐसा है जिसमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आप अलहैदा से पूछ सकते हैं।

नगरमहापालिका अधिनियम में संशोधन करने का विचार

*१९—श्री ऊदल—क्या सरकार नगरमहापालिका ऐक्ट में कुछ ऐसे संशोधन करने पर विचार कर रही है जिस से महापालिका के मेयर तथा सदस्यों को और अधिकार मिल सकें ? यदि हां, तो कब तक और क्या-क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है। गत वर्ष इसमें कुछ अत्यन्त आवश्यक संशोधन किये भी जा चुके हैं। गत वर्ष महापालिकाओं के नगर प्रमुखों एवं उप-नगरप्रमुखों के सम्मेलन के समय उनसे अधिनियम में संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त हुये थे, जिनमें महापालिकाओं एवं नगर-प्रमुखों को अधिक अधिकार देने के विषय में भी सुझाव थे। इन पर विचार हो रहा है। अभी कुछ समय लगेगा।

*२०—श्री ऊदल—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करेगी कि सदस्यों को बैठकों में भाग लेने पर एलाउन्स उत्तर प्रदेश की महापालिकाओं में दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको एलाउन्स किस हिसाब से दिया जायगा ? बैठक के दिनों में दिया जायगा, या मन्थली दिया जायगा या और किस हिसाब से दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने जी हां, उत्तर दिया है, इस प्रकार की जो भी चीजें हो सकतीं हैं वे सब विचाराधीन हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो मेयर्स की कांफ्रेंस हुई थी उसने एक यह सुझाव दिया था कि महापालिका के जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के काम होते हैं सरकार उन कामों के बारे में उनकी राय ले ले, तो यह काम बगैर संशोधन के ही हो सकता है, तो क्या सरकार इस सुझाव को मानने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुख्यतः सारा काम उनकी राय से होता है। बिना उनकी राय के कोई काम होता ही नहीं।

नगरमहापालिकाओं का सम्पत्ति कर

*२१—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश पालिकाओं और पांचों महानगरियों में दो वर्ष पूर्व जो गृह-कर एवं जल-कर में साढ़े बारह से १५ प्रतिशत के करीब वृद्धि की गई थी, तो क्या सरकार अब उसमें और वृद्धि करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने जल एवं गृह कर की दरों में वृद्धि करने हेतु कोई सामान्य आदेश नगरपालिकाओं को नहीं दिये हैं। जहां तक पांचों महानगरियों (नगर महापालिकाओं) का संबंध है, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के प्राविधान के अनुसार सम्पत्ति-कर, जिसमें सामान्य कर, जल कर, जल निस्तारण कर तथा स्वच्छता कर शामिल हैं, भवन या भूमि या दोनों ही के वार्षिक मूल्य के १५ प्रतिशत से कम और २५ प्रतिशत से अधिक न लगाने का अधिकार है। उक्त सीमा के अन्दर वे स्वयं सम्पत्ति कर की दर में घटा बढ़ी कर सकती हैं।

विकास क्षेत्र ताल बेहट के आदर्श गृह

*२२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र तालबहट (जिला झांसी) में बन रहे २७ आदर्श गृहों की शिकायतों की जांच जून, जुलाई, अगस्त, १९६१ में संचालक पंचायतराज ने तालबेहट जाकर की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११८ पर।)

*२३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गृहों के बनने की स्वीकृति कब दी गई थी और नियमानुसार उक्त गृह कब तक बन जाना चाहिये था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त गृहों में २१ गृहों के बनने की स्वीकृति दिनांक २४-१२-५९ को तथा शेष ६ गृहों की स्वीकृति दिनांक ३०-१२-५९ को दी गयी थी।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत नियम संख्या २२ के अनुसार ऋण प्राप्त करने वालों को किश्त प्राप्त करने की तिथि से ६ मास के अन्दर किश्त के रुपयों का उपयोग कर लेने का प्राविधान है तथा विशेष परिस्थितियों में जिला नियोजन अधिकारी इस अवधि को १ साल तक के लिये बढ़ा सकते हैं, नियमों में ऐसी कोई अवधि स्पष्ट नहीं की गई है कि पूरा गृह, ऋण स्वीकृत करने की तिथि से कितनी अवधि में बन जाना अनिवार्य होगा।

*२४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त २७ गृहों को १,४०० रु० प्रति गृह कर्जा सरकारी नियमानुसार किन शर्तों पर और किस आधार पर दिया जाना था ? क्या उक्त सभी कार्यवाही कर्जा देने के पूर्व कर ली गई थी ? यदि हां, तो उक्त शर्तों और नियमों की मुख्य-मुख्य बातों को सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त २७ गृहों के लिये १,४०० रु० प्रति गृह कर्जा ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत नियम संख्या १५ की शर्तों पर, नियम संख्या ९ तथा १२ के आधार पर दिया गया था। कर्जा दिया जाने के पूर्व नियमानुसार सभी कार्यवाही पूरी कर ली गयी थी। केवल उस समय बंधक पत्र नहीं भराये जा सके थे।

नियमों की प्रतिलिपि* सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इसमें वांछित शर्तों आदि का उल्लेख है।

---

*छापी नहीं गयी है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है, जैसा कि आपने प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में कहा है कि प्राप्त ऋण का उपयोग ६ महीने के अन्दर हो जाना चाहिये। इसका पालन करते हुये यह रुपया ३१ मार्च, १९६० और ३१ मार्च, १९६१ तक एक एक को ९८० रु० दिया गया था और इस तरह से २२,२६० रु० इन लोगों को दिया गया। उस संबंध में प्लानिंग ऐंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आफिसर ने रिपोर्ट दी है कि ४ मकान ८ फीट की ऊंचाई तक बने हैं, एक मकान की ७ फीट ऊंचाई तक केवल दो दीवालें हैं, दो मकान ६ फीट की ऊंचाई तक, २ मकान ५ फीट की ऊंचाई तक, २ मकान ४ फीट की ऊंचाई तक, २ मकान ३ फीट की ऊंचाई तक, एक मकान २ फीट की ऊंचाई तक, एक मकान १ फीट की ऊंचाई तक बने हैं, इस तरह से १५ मकान हुए जिनमें से प्रत्येक को ९८० रुपये दिये गये। २१ मई को पंचायत के संचालक महोदय ने इसकी जांच की....

श्री अध्यक्ष--आप चाहते क्या हैं, प्रश्न कीजिये ?

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--श्रीमन्, मेरा कहना है कि जो रुपये दिये गये थे वे ६ महीने के अन्दर ही खर्च हो जाने चाहिये लेकिन जितने मकान हैं वे केवल १ फुट से ८ फुट की ऊंचाई तक ही बने हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ठीक से सुना नहीं। मैंने यह पढ़ा था कि मकान साधारणतः ६ महीने में बन जाने चाहिये। ऐसे एक साल की अवधि और बढ़ायी जा सकती है और फिर नियमों में ऐसी कोई बात नहीं है कि फलां तारीख तक या एक या डेढ़ साल के अन्दर बन ही जाना चाहिये। उसमें दिक्कत हो सकती है, देर लग सकती है, लेकिन अगर उनकी नीयत में कोई खराबी हो तो जरूर ऐक्शन लिया जा सकता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक आई० ए० एस० आफिसर जांच को मुकर्रर किये गये थे, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे और रिपोर्ट उन्होंने दे दी। इस लिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की नियुक्ति कर के इस की जांच करावें।

(प्रश्नों का समय समाप्त)

आगरा वन क्षेत्र में पत्थर की खदानों का नीलाम

*२५--**श्री बालोजी अग्रवाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पत्थर की खदानों (Stone mines) को डिवीजनल फॉरेस्ट आफीसर, आगरा किस अधिकार के अन्तर्गत नीलाम करते हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री--पत्थर की खानों को डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, आगरा सरकारी आदेशों के अन्तर्गत नीलाम करते हैं।

*२६--**श्री बालोजी अग्रवाल**--क्या यह सही है कि जिलाधीश, आगरा द्वारा बार-बार मना किये जाने के बाद भी डिवीजनल फारेस्ट आफिसर बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रतिवर्ष उनका नीलाम करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं, यह सही नहीं है कि जिलाधीश के बार-बार मना किये जाने पर भी डिवीजनल फारेस्ट आफिसर बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रतिवर्ष उनका नीलाम करते हैं। इसलिये कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

नोट--तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हल्का सरदार की जगह

*२७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि हल्का सरदार, पी० आर० डी० और पुलिस कांस्टेबिल एक ही स्तर के कर्मचारी हैं?

श्री गोविन्दसहाय—जी, नहीं।

*२८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या यह सही है कि हल्का सरदार पी०आर०डी० नियोजन विभाग से शासित होता है और कांस्टेबिल पुलिस विभाग से? यदि हां, तो सरकार हल्का सरदार की जगह छोड़ कर उन्हें नियोजन विभाग के ही मातहत रखती है या पुलिस विभाग के मातहत रखती है?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां। हल्का सरदार की जगह को तोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या यह सही है कि सरकार पी०आर०डी० विभाग को निकट भविष्य में समाप्त करने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोविन्दसहाय—जी नहीं।

*३०—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—[हटा दिया गया।]

*३१-३३—श्री चिरंजी लाल—[हटा दिये गये।]

लखनऊ में सीवर लाइन का निर्माण

*३४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर की सीवर लाइन का निर्माण राज्य सरकार के स्वशासन विभाग की निर्माण शाखा द्वारा किया गया था? यदि हां, तो इस निर्माण-कार्य में कुल कितना धन व्यय हुआ और कार्य कब प्रारम्भ किया गया और कब समाप्त हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लखनऊ नगर में मेन और ट्रंक सीवर डालने का कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा सम्पादित हो रहा है। पूरी योजना की अनुमानित लागत २ करोड़ रुपये है और ३१ जुलाई, १९६२ तक कुल ६७,७२,६८० रुपये व्यय हो चुके हैं। उक्त योजना संबंधी कार्य सन् १९५५ से आरम्भ किये गये थे और अभी योजना के समाप्त होने में समय लगेगा क्योंकि पूरा धन अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है।

*३५—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि चौक क्षेत्र के सरकटे नाले पर बनी हुई सीवर लाइन बिना आधार के लटक रही है जिससे पूरी लाइन को खतरा पैदा हो गया है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है और लाइन को क्षति पहुंचने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और उसमें कितना धन व्यय होने का अनुमान है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लखनऊ नगर महापालिका से इस आशय का एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था कि सरकटा सीवर के नीचे उचित नींव नहीं है और सीवर के बरसात में टूट जाने का खतरा है। परन्तु निरीक्षण से पता चला है कि यह शिकायत ठीक नहीं थी और सीवर की नींव ठीक बनी है किन्तु सरकटे नाले की सफ़ाई के समय नगर महापालिका ने सीवर के बगल से और नींव के नीचे से मिट्टी निकलवा दी थी जिसके कारण सीवर में कुछ खतरा पैदा हो गया था। इन गढ्ढों को कंकर से भरवा दिया गया है और नगर महापालिका से कहा गया है कि वह तुरन्त सीवर के बचाव के लिये एक पक्की दीवार सीवर के किनारे किनारे बनवाए और सीवर के बगल और नींव के नीचे से मिट्टी निकालना एक दम बन्द कर दे। कंकर भरवाने में लगभग ४०,००० रुपया व्यय हुआ है। पक्की दीवार नगर महापालिका अपने खर्चे पर निर्माण करायेगी जिसकी अनुमानित लागत ३ लाख रुपया होगी।

*३६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय लाइन का निर्माण कार्य हो रहा था उस समय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि निर्माण सामग्री का प्रयोग शर्तों के मुताबिक नहीं किया जा रहा है जिससे सम्पूर्ण निर्माण दोषपूर्ण हो रहा है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कर्यवाही की गई थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

रामगंगा बांध से आगरा वाटर वर्क्स को पानी देने पर विचार

*३७—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका की रामगंगा बाँध से आगरा वाटरवर्क्स को पानी देने की माँग पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रामगंगा बाँध अभी तैयार नहीं है परन्तु आगरा नगर महापालिका को इस बाँध से पानी देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

मथुरा में पानी की अव्यवस्था

*३८—श्री राधेश्यामशर्मा (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा शहर में पानी की अव्यवस्था को दूर करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक वह कार्यान्वित होगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मथुरा शहर की जल-वितरण समस्या को दूर करने के लिए एक पुनर्गठन योजना गत वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है जिसके प्रथम चरण को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

गाजीपुर नगरपालिका द्वारा जलकल व्यवस्था के लिये ऋण की मांग

*३९—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका ने अपने जल-कल एवं नालों (drainage) व्यवस्थाओं के सुधार के लिये सरकार से कुछ धनराशि की माँग की है? यदि हाँ, तो इस माँग को आये कितनी अवधि बीत चुकी है और इस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गाजीपुर नगरपालिका ने अपने जलकल व्यवस्था के सुधार के लिये २ लाख रुपये के ऋण की माँग ३० मई, १९६२ को सरकार को प्रस्तुत की थी। इससे सम्बन्धित नगरपालिका की योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को उनकी स्वीकृति के लिये भेजी जा रही है। उनकी स्वीकृति मिलने के उपरान्त नगरपालिका के ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गाजीपुर नगरपालिका ने अभी तक नाली सुधार (ड्रेनेज) के लिये शासन के पास कोई प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा है।

गाजियाबाद मास्टर प्लान में अध्याप्त भूमि

*४०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित मास्टर प्लान गाजियाबाद के अन्तर्गत जो भूमि गाजियाबाद शहर तथा आसपास के ग्रामों की ली जा रही है उसमें से गाजियाबाद के कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों की भूमि रियायत के तौर पर उन्हीं के लिए छोड़ी जा रही है? यदि यह सच है, तो किस-किस की भूमि छोड़ी जा रही है तथा क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*४१—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—उपर्युक्त प्रश्न में क्या सरकार गाजियाबाद शहर के कृषकों को अन्य ग्रामों के कृषकों की अपेक्षा अधिक मुआवजा देने की व्यवस्था कर रही है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

खाद्य एवं रसद विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*४२—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों को अधिक समय कार्य करते हुये हो गया, किन्तु उनको स्थायी अब तक क्यों नहीं किया गया इसके स्थायी करने पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१-४-५९ तक विभाग अस्थायी था अतः कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न अब तक नहीं उठता था। अब १-४-५९ से विभाग स्थायी हो गया है और जो पद स्थायी हो गये हैं उन पदों पर सरकार कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार कर रही है।

*४३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार यह बतायेगी कि दूसरे अस्थायी विभाग तरक्की पाते हैं किन्तु रसद विभाग को तरक्की नहीं मिलती है, इसका क्या कारण है? क्या इसको भी दूसरे अस्थायी विभागों की भांति तरक्की देने पर विचार करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—रसद विभाग में भी अन्य अस्थायी विभागों के प्रकार तरक्की होती है, राशनिंग में क्लर्कों से इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर से चीफ इन्सपेक्टर, ए० आर० ओ०, डी० एस० ओ० और डि० री० फू० क० तथा मार्केटिंग इन्सपेक्टर से डि० आर० एम० ओ०, आर० एम० ओ०, ए० आर० एफ० सी० इत्यादि।

*४४—श्री लखीसिंह—[१२ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ११२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मथुरा जिले में छाता कस्बे से चावल का निर्यात तथा कोल डिपो बढ़ाने की आवश्यकता

*४५—श्री लखीसिंह—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला के छाता कस्बे से बाहर चावल ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। मथुरा जिले के छाता कस्बे से, बार्डर एरिया के स्थानों के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य स्थान को चावल ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

*४६—श्री लखीसिंह—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला के छाता-कोसी कलाँ शेरगढ़ एवं बरसाना में कोई कोयले का डिपो खोलने का उनका इरादा है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार का इन स्थानों पर कोयले का डिपो खोलने का इरादा नहीं है।

प्राक्कलन समिति के अष्टम प्रतिवेदन की सिफारिशें

*४७—श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान नगर तथा ग्राम नियोजन सम्बन्धित उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति के अष्टम प्रतिवेदन की ओर गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ।

*४८---श्री किशोरीलाल अग्रवाल---यदि हाँ, तो क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि समिति द्वारा की गयी ४ सिफारिशों में से कितनी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं और कितनी नहीं ? यदि नहीं, तो न मानने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सरकार ने समिति की एक सिफारिश मान ली और तीन सिफारिशें नहीं मानी हैं। जो सिफारिशें नहीं मानी हैं उनका विस्तृत कारण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११९-१२० पर)

इलाहाबाद में बलुआघाट तथा गऊघाट पर गन्दगी

*४९---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद बलुआघाट पर जो चाचर के नाले से गन्दा पानी जमुना नदी में गिरता है और उसे रोकने के लिये सीवर बन जाने के बाद भी गन्दा पानी बह कर बलुआघाट पर गिर रहा है इसका क्या कारण है और कब तक वह गन्दा पानी रोका जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सीवर अभी पूरा नहीं बना है। इसके पूर्ण निर्माण के पश्चात् गन्दा पानी बलुवाघाट पर नहीं गिरेगा।

*५०---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के गऊ घाट पर जिस पर लाखों यात्री तीर्थ करने आते हैं गन्दा पानी घाट पर गिर रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---गऊघाट पम्पिंग स्टेशन पर जो गन्दा पानी जमा होता है उसे जमुना के उस पार पम्प द्वारा फेंका जाता है परन्तु वर्तमान पम्पों की इतनी क्षमता नहीं है कि कुल गन्दा पानी उनसे पम्प किया जा सके इसी कारण कुछ पानी घाट पर गिरता है इसे रोकने के लिये बड़े पम्प लगाने की योजना है।

*५१---श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले---

[२४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

बिन्दुखेड़ा निवासियों को वन सुविधाएं

*५२---श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)---क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दु खेड़ा जो लाल कुआँ (नैनीताल) के पास है और जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र की जनता वर्षों से लगातार जाड़ों में आकर चटाइयों को बनाने का उद्योग करती है अब तक जनता को वन विभाग की ओर से क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हो रही हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जाड़े के मौसम में लालकुंआ के पास बिन्दुखेड़ा में आने वाली पर्वतीय क्षेत्र की जनता को वन विभाग की ओर से निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं।

(१) छप्पर छाने के लिये घास व कुकाट निःशुल्क।

(२) १४ रुपया प्रति अड्डा (unit) प्रति मौसम की दर पर चटाइयाँ बनाने के लिये घास, जितनी उनकी आवश्यकता हो।

गाजीपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*५३---श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १ जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६२ तक सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं ? वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा किन व्यक्तियों के नाम हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१ जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६२ तक तीन सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों के विषय में वाँछित विवरण निम्न प्रकार है :

स्थान			नाम
बैरनपुर	..	..	जूनियर हाई स्कूल, देवरिया।
दीनापुर	..	..	जूनियर हाई स्कूल, दीनापुर।
कुचउरा	..	..	कोआपरेटिव सोसाइटी, कुचउरा।

*५४—**श्री झिलमिटराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अगस्त, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक कितनी नई दूकानें सरकारी सस्ते गल्ले की खोलने की योजना है तथा यह नई दूकानें किन स्थानों पर खोली जाने वाली हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस अवधि के भीतर सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की कोई योजना नहीं है। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जितनी भी दुकानों की जहाँ-जहाँ आवश्यकता होगी खोली जायंगी।

फतेहपुर नगरपालिका की मेहतर यूनियन का स्मृति-पत्र

*५५—**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका विभाग के १९ अगस्त, १९४७ के सरकारी प्रस्ताव सं० ४४८६/११—७१३—४६ की अवहेलना करते रहने के बारे में म्युनिसिपल बोर्ड फतेहपुर के मेहतर कर्मचारियों के यूनियन का कोई प्रार्थना-पत्र या स्मृति-पत्र उनके पास अभी हाल में आया है और क्या वे उस पर कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, जिलाधीश को अदेश दिये गये हैं कि वह नगरपालिका से मेहतर कर्मचारियों को शासनादेशानुसार उन सुविधाओं को दिलायें।

*५६—**श्री दीपनारायणसिंह**—क्या उक्त म्युनिसिपल बोर्ड फतेहपुर के विरुद्ध उक्त सरकारी प्रस्ताव के उल्लंघन करने की कोई आडिट रिपोर्ट भी हुई है? यदि हाँ, तो कब और उस पर क्या हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शासन को अभी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

*५७—**श्री मुहम्मद हुसैन** (अनुपस्थित)—[२४ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*५८—**श्री भगवानदास** (जिला मिर्जापुर)—[हटा दिया गया।]

कछवा टाउन एरिया का चुनाव

*५९—**श्री भगवानदास**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगामी ग्राम नगरपालिकाओं के चुनाव के साथ सरकार कछवा टाउन एरिया (मिर्जापुर) का चुनाव कराने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कछवा टाउन एरिया (मिर्जापुर) में चुनाव कराने के सम्बन्ध में आवश्यक विज्ञप्तियाँ जारी कर दी गई हैं। निर्वाचन की तिथि २४ सितम्बर है। संभवतः नई टाउन एरिया कमेटी सितम्बर के अन्त तक संघटित हो जायेगी।

भगवानपुर परगने में जंगली हाथियों से फसल को क्षति

*६०—**श्री जगदीशनारायण सिनहा**—क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर के ग्राम बुग्गावाला, शहीदवाला, ग्रांट व बधुवाशहीद की गन्ने की फसलों को जंगली हाथी उजाड़ रहे हैं? यदि हां, तो सरकार रोकथाम व सहायता के लिये क्या करने जा रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री—गत मई महीने के बीच से जुलाई महीने के बीच तक जंगली हाथियों के एक झुण्ड ने बुग्गावाला, शहीदवाला ग्रान्ट व बधुवाशहीद ग्रामों की खड़ी गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके उपरान्त यह हाथियों का झुण्ड वहां से चला गया। जंगली हाथियों को पकड़ने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा।

बस्ती नगरपालिका के चौकीदारों की मांगे

*६१—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री प्रश्न संख्या ४६ नत्थी (ग), दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, बस्ती की क्या रिपोर्ट आई हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रिपोर्ट आई है पर उस में पूरी सूचना नहीं है। यह सूचित किया गया है कि नगरपालिका के चौकीदारों को निर्धारित वेतन-क्रम देने का निर्णय बोर्ड ने कर लिया है तथा बकाया (arrear) देने के प्रश्न पर बोर्ड की अगली मीटिंग में विचार किया जायगा।

पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर शासन इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगा।

*६२—श्री श्यामलाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री नत्थी (ग), प्रश्न संख्या ९५, दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के प्रयोग के लिये लगा हुआ नल अपने पूर्व स्थान से हटा कर दूसरी जगह लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां लगाया गया है और हटाने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। यह नल अपने पूर्व स्थान से लगभग ५० फीट की दूरी पर सड़क के किनारे लगवा दिया गया क्योंकि उस के पूर्व स्थान पर उससे जो पानी गिरता था उसकी निकासी रुक गई थी और पानी एकत्र होकर गंदगी फैला रहा था।

गाजीपुर जिले में सीमेंट की कमी की शिकायत

*६३—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में सीमेंट की कमी के कारण सभी निर्माण-कार्य ठप पड़े हैं ? यदि हां, तो इस कमी का मुख्य कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

*६४—श्री रघुवीर—क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में कौन-कौन सीमेंट के होल सेलर हैं और प्रत्येक होल सेलरों को कितना-कितना कोटा सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना †संलग्न है।

*६५—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ व १९६२-६३ में सरकार द्वारा गाजीपुर जिले को कुल कितना टन सीमेंट दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२१ पर)

गोरखपुर जिले में भट्ठों के लाइसेंस

*६६—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले के किस-किस स्थान पर भट्ठा चलाने के लाइसेंस किस-किस व्यक्ति को दिये गये ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२२–१२४ पर)

*६७—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के लोगों को सुविधा से ईंट मिल सकें इसके लिये किसी भट्ठे को आदेश दिया गया है और क्या इस भट्ठे को कोयला देने की भी उचित व्यवस्था की गयी है ? यदि हां तो क्या, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं । ऐसा आदेश किसी भट्ठे वाले को नहीं दिया गया । परन्तु कोयले का वितरण करते समय उन भट्ठों का विशेष ध्यान रखा जाता है जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में स्थित है ।

*६८—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सच है कि कुछ ऐसे भट्ठे जो बाढ़-पीड़ित इलाकों को थोड़ी बहुत ईंट देते थे कोयले की कमी से बन्द हो गये हैं या लकड़ी जला रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कोयले के कुछ और लाइसेंस बांसगांव तहसील में बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है जब तक कोयले की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं होता तब तक कोयले का कोई नया लाइसेंस देना सम्भव नहीं है ।

बड़हलगंज में नलकूप से जल लेने की प्रार्थना

*६९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार २८ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या ६१ के संदर्भ में यह बताने का कष्ट करेगी कि जो नलकूप बड़हलगंज में सिंचाई विभाग द्वारा लगाये गये हैं और जिनकी नलिकायें कई स्थान पर कस्बे में लगी हुई हैं उससे पीने का पानी देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये अगर टाउन एरिया कमेटी, बड़हलगंज की ओर से प्रार्थना प्राप्त होगी तो उस पर विचार किया जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

रिहन्द बांध के उद्वासितों के लिये सस्ते अनाज की दूकानें

१—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध से उद्वासितों के पुनर्वास क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें कितनी चल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनर्वासियों की विकट परिस्थिति का ध्यान रखते हुये सरकारी स्तर पर गल्ला बेचने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सम्बन्धित क्षेत्रों में १४ सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

२—श्री रामप्यारे—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंतसागर के उत्तरी पश्चिमी छोर पर बसे पुनर्वासियों के लिये कोटा केन्द्र पर गल्ले का स्टाक क्यों नहीं हुआ जबकि ढुलाई का रेट कम होने के कारण रिटेलर्स ने मिर्जापुर से गल्ला उठाने तथा दूकान चलाने से इनकार कर दिया था ? क्या सरकार पुनर्वास क्षेत्रों में गल्ले के अभाव को देख कर तत्काल कोटा केन्द्र पर गल्ला भेज कर गल्ला बिकवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोटा से लगभग ५ मील बैदन ग्राम में सरकारी गोदाम स्थित है जहां से पंतसागर के उत्तरी पश्चिमी छोर पर बसे पुनर्वासियों के लिये खोली गई ४ सस्ते गल्ले की दुकानों के दुकानदार गल्ला लेजाकर बराबर बिक्री कर रहे हैं । इस कारण कोटा केन्द्र पर गल्ला स्टाक नहीं किया गया ।

यदि ऐसी आवश्यकता होगी तो सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और उचित कार्यवाही करेगी ।

३—श्री रामप्यारे—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी में रिटेलरों को गल्ले की ढुलाई खर्च पिछले लगभग दो वर्षों से नहीं दिया गया ? क्या सरकार को पता है कि ढुलाई खर्च प्राप्त न होने के कारण रिटेलर गल्ला उठाने में असमर्थ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह कहना सही नहीं है कि दुद्धी क्षेत्र में रिटेलरों को गल्ले की ढुलाई खर्च पिछले लगभग दो वर्षों से नहीं दिया गया है ।

३१ मार्च, १९६२ को प्रश्न कर्त्ता महोदय का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि तहसील दुद्धी में सस्ते गल्ले की ढुलाई एक वर्ष से अधिक की बाकी है जिस कारण रिटेलरों की परेशानी बढ़ गई है और वे दुकानें बन्द करने जा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी, मिर्जापुर से जाँच कराने के पश्चात ज्ञात हुआ कि दो रिटेलरों के कुछ बिल एक वर्ष के या इससे कम अवधि के प्राप्त हुए थे और उन्हें उचित जाँच-पड़ताल के पश्चात् स्वीकृत करके रीजनल एकाउन्ट्स आफीसर, गोरखपुर के पास भुगतान के लिये भेज दिया गया है परन्तु इस बात की पुष्टी नहीं हो सकी कि रिटेलर केवल इस कारण गल्ला उठाने में असमर्थ है कि उनको ढुलाई का खर्च भुगतान नहीं किया गया है ।

दुद्धी के किसानों को वन सुविधाएं

४—श्री रामप्यारे—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगल विभाग से दुद्धी के किसानों के लिये कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—दुद्धी तहसील के किसानों को वन विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२५ पर)

५—श्री रामप्यारे—[२४ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

६—श्री रामप्यारे—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस दर पर दुद्धी के किसानों को लकड़ी दी जाती है उसमें तथा ठेकेदारों को जो लकड़ी दी जाती है प्रति लकड़ी के महसूल में क्या अन्तर है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—दुद्धी तहसील के मूल निवासियों की कन्सेशनिस्ट टिम्बर के अतिरिक्त लकड़ी की आवश्यकता उनको दुद्धी वन खंड की अनुमोदित मूल्य अनुसूची (Approved schedule of rates) के अनुसार दी जाती है जो लगभग बाजार भाव के बराबर है । मूल निवासियों के अतिरिक्त दूसरे ग्रामीणों को भी उसी दर पर लकड़ी दी जाती है । चूंकि ठेकेदार वनों में खड़े पेड़ों को इकट्ठा लाट्स (Lots) के रूप में, नीलामों में खरीदते हैं और चूंकि उनको अनुमोदित मूल्य अनुसूची अथवा रियायती दरों पर लकड़ी नहीं दी जाती है, अतः दोनों मूल्यों के अन्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

७—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—[हटा दिया गया ।]

इटावा जिले में चुर्क सीमेंट की एजेंसियां

८—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में चुर्क सीमेंट की एजेंसियां किन-किन सज्जनों को दी गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इटावा जिले में चुर्क की एजेंसियाँ निम्नलिखित सज्जनों के पास हैं:

१—श्री विमल किशोर
२—सर्वश्री श्यामलाल गोपालदास

३—सर्वश्री रूप नारायण धर्म नारायण

४—श्री जगदीश सरन

५—सर्वश्री कृष्ण बिहारी गोविन्द बिहारी

९—श्री बालोजी अग्रवाल—[१२ वें गुरुवार के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आगरा में आई० डी० एच० के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

१०—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महापालिका के आई० डी० एच० के कर्मचारियों को पिछले कितने महीनों का वेतन नहीं मिला है और वेतन रोकने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस चिकित्सालय के कुछ कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६२ से वेतन नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि चिकित्सालय के जनरल औषधि-भंडार में १६ व १७ फरवरी, १९६२ की रात्रि में २,७५७ रुपये की चोरी हो गई थी और उसकी जाँच की जा रही है ।

मथुरा जेल में कैदियों को साबुन न मिलना तथा रिहाई के लिये प्रार्थना-पत्र

११—श्री लखीसिंह—क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला जेल में बन्दियों के लिये कितनी वर्दियाँ रहती हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—वर्दियाँ कैदियों को नहीं दी जाती हैं । हाँ, कैदियाना कपड़े दिये जाते हैं जिनकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १२६ पर)

१२—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि कैदियों को कपड़ा धोने हेतु अन्य जेलों की तरह साबुन नहीं मिलता ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हाँ, मथुरा जेल द्वितीय श्रेणी का जेल है और साबुन देने की योजना अभी द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के जेलों में लागू नहीं हुई है ।

१३—श्री लखीसिंह—क्या कारागार मन्त्री बतायेंगे कि मथुरा जिला जेल में कितने बन्दी ऐसे हैं जो ३ महीनों से अधिक हवालात में हैं और उन पर मुकदमें नहीं चलाये गये ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री गोविन्दसहाय—कोई भी नहीं ।

१४—श्री लखीसिंह—क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला जेल में कितने बन्दी ऐसे हैं जिन्होंने नेक चलन की जमानत पर छूटने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे हैं, उन पर क्या सरकारी आदेश प्रदान किये गये ?

श्री गोविन्दसहाय—१५ दिसम्बर, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६२ तक ग्यारह ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये हैं । इनमें चार के मामले शासन ने अस्वीकृत कर दिए, तीन को मुक्त करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं । शेष चार के मामले उस समय तक के लिए स्थगित कर दिये गय ह जब तक कि वे नियमानुसार अपने ही धर्म (religion) का संरक्षक नहीं प्रस्तुत करते ।

आगरा महापालिका के कर्मचारियों को एलाउन्स

१५—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा 'बी' क्लास का शहर घोषित हो जाने पर भी महापालिका के कर्मचारियों को 'बी' क्लास का सिटी एलाउन्स क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरा शहर को 'बी' क्लास घोषित हो जाने से महापालिका, आगरा के कर्मचारियों के सिटी एलाउन्स पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि यह क्लासिफिकेशन केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होता है ।

ग्रामीण गृह-निर्माण योजनान्तर्गत व्यय

१६—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री मेरे प्रश्न संख्या १५ (तारांकित) जो विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६२) के दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित था, उसके संदर्भ में यह बतायेंगे कि जब प्रदेश में बाढ़ एवं कटाव से लोग बेघरबार होकर पशुओं की जिन्दगी बिता रहे हैं ऐसी हालत में गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत बसाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बाढ़ तथा दैविक प्रकोप से प्रभावित गांव को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए प्राथमिकता देने हेतु ग्रामीण गृह निर्माण योजना के प्रस्तर ६ (ए) व (एफ) में प्राविधान है जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी गांव लिए जा सकते हैं जो इस योजना के अन्तर्गत नियमों के प्रतिबन्धों का पालन करने को सहमत हों । इन गांवों को बसाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है ।

१७—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार गृह-निर्माण योजना को नदियों के किनारे के उन गांवों को प्राथमिकता देगी जो गांव नदियों से कट कर धार में चले गये हैं और जिनके बसाने की समस्या आज भी सिर दर्द बनी हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—योजना में इसका प्राविधान है ।

१८—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार खंड विकास अधिकारियों को कोई इस प्रकार का आदेश देगी कि वे अपने क्षेत्रों में कटे हुये गांवों को इस योजना के अन्तर्गत बसावें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को यह आदेश दिये जा चुके हैं कि वे गांवों का चुनाव योजना के अनुसार करें ।

मेरठ नगर की वृहत् परियोजना

१९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ नगर के लिये कोई वृहत् परियोजना, सरकार के ग्राम नियोजन विभाग ने तैयार की है ? यदि हां, तो क्या वहां उस योजना में विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज अन्य उच्च शिक्षाओं तथा वाणिज्य लघु व बड़े उद्योगों को भी योजना में शामिल किया गया है ? इसकी तथा इसके अलावा भी जो रूप-रेखा बनाई गई उसकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । इस वृहत् परियोजना में विश्वविद्यालय, मेडिकल कालिज व अन्य उच्च शिक्षाओं के लिए स्थान निर्धारित किये गये हैं । वाणिज्य लघु व बड़े उद्योगों को भी योजना में शामिल किया गया है ।

रूप रेखा की प्रति †संलग्न है ।

२०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[हटा दिया गया ।]

---

†छापी नहीं गई है ।

जिला कारागार, मिर्जापुर के कैदी

*२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या कारागार मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिला मिर्जापुर में under trial तथा जिले के बाहर से आये हुये कैदियों की संख्या क्या है, तथा उसी जिले के कितने कैदी हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—२४ अगस्त, १९६२ को जिला कारागार मिर्जापुर में हवालाती कैदियों की संख्या १५४, बाहरी जिलों से आये हुये कैदियों की संख्या १३८ और मिर्जापुर जिले के कैदियों की संख्या ७९ थी।

फारेस्ट रोड्स

२२—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक फारेस्ट सर्किल ने सन् १९६२ तक कितनी मील फारेस्ट रोड तैयार की थी और उनकी मरम्मत में सालाना कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रत्येक सर्किल में सन् १९६२ तक तैयार फारेस्ट रोड का विवरण व उनकी मरम्मत में वार्षिक व्यय का ब्योरा निम्न-लिखित हैं:—

क्रम-संख्या	वृत का नाम	सन् १९६२ तक तैयार फारेस्ट रोड		मरम्मत पर वार्षिक व्यय
१	२	३		४
		मील		रु०
१—पूर्वी वृत्त ..	..	३३२४		२,०३,०००
२—पश्चिमी वृत्त	..	१८७४		४,८५,०००
३—दक्षिणी वृत्त ..	..	१४९८	६ चेन	१,००,०००
४—कुमायूं वृत्त ..	..	३२०६		२,४०,०००
५—भूमि प्रबन्धक वृत्त	..	४११	७—१/२ फ०	७०,०००
६—टेहरी गढ़वाल वृत्त	..	१४३६		२,११,०००
७—मुख्यालय वृत्त	..	९३	२—१/२ फ०	५,०००

२३—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—दुगड्डे से फारेस्ट मोटर रोड रतवा डाव तक कब बनी और उसकी लम्बाई कितनी है और उसकी स्कीम में कितना रुपया सालाना खर्च होता है और यदि वह रोड पक्की याने मेटल्ड बनाई जाय तो उसमें कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री अलगूराय शास्त्री—दुगड्डा से रघुवाढाव तक फारेस्ट मोटर रोड वन विभाग ने सन् १९४५, १९४७ में बनाई। इस सड़क की लम्बाई लैन्सडाउन डिवीजन की सड़क से होकर २७—१/४ मील और सिलागढ़ नदी के सोखड़ से होकर २५—१/२ मील है। इस सड़क की साधारण मरम्मत में सालाना करीब ३०,००० रु० से ३७,००० रु० तक व्यय होता है। वन विभाग पक्की (मेटल्ड) रोड नहीं बनाता है अतएव इस सड़क को पक्की करने में कितना खर्च होगा ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है। फिर भी अनुमानतः लगभग २० लाख रुपये लगेंगे।

२४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—वह सड़क इस वक्त १९६१—६२ में साल भर में कितने दिन चालू रही ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सन् १९६१-६२ के कार्यालय (वर्किंग सीजन) में यह सड़क १४ नवम्बर, १९६१ से ३० जून, १९६२ तक याने २२९ दिन चालू रही।

अतर्रा टाउन एरिया को नगरपालिका बनाने का विचार

२५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को टाउन एरिया अतर्रा की दीन-हीन दशा का ज्ञान है, नीचा एरिया होने के कारण पानी भरा रहता है, मच्छर अधिक हैं, मलेरिया का प्रकोप हर समय विराजमान रहता है, टाउन एरिया की वार्षिक आय ४५,००० रु० है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रथम भाग—टाउन एरिया की दशा दीन हीन नहीं है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—जी हां, परन्तु मलेरिया का प्रकोप नहीं है।

प्रश्न का तृतीय भाग—जी हां। आय लगभग ४५,००० रु० वार्षिक है।

२६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी बनाने की सोच रही है और उसे कब तक बनायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टाउन एरिया कमेटी का नगरपालिका बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव जिला अधिकारी के विचाराधीन है।

२७—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार पानी के निकास के वास्ते अतर्रा टाउन एरिया में ड्रेनेज स्कीम की सोच रही है ? और इस स्कीम के वास्ते सहायता देने को तैयार है ? अगर है, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद में परमिट से कोयला मिलना

२८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद शहर के पांच साफ्ट कोक डिपो पर जून और जुलाई, १९६२ में बिक्री के लिये जिला सप्लाई आफिसर, फैजाबाद ने रोजाना कितनी परमिटें काटी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १२७ पर)

२९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६१ में फैजाबाद में कभी कोयले की मात्रा अधिक होने से किसी समय वहां कोयले की बिक्री बिना परमिट देने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उस समय जिले में क्या स्टाक था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। उस समय फैजाबाद व अयोध्या में ४५३ टन साफ्ट कोक का स्टाक था।

३०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या खाद्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि ३१ जून को फैजाबाद में कोयले का क्या स्टाक था ? यदि यह स्टाक सन् १९६१ के साल से ज्यादा हो तो इस समय स्टाक अधिक होने से कोयले का बिना बिक्री का आदेश क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—३० जून सन् १९६२ ई० को फैजाबाद व अयोध्या में ५०५ टन साफ्ट कोक का स्टाक था। चूंकि कोयले की आयात स्थिति अनुकूल नहीं थी अतः बिना परमिट के बिक्री का आदेश नहीं दिया गया।

३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार कृपया यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला फैजाबाद में साफ्ट कोक के लिये क्या नीचे लिखा आदेश जिलाधीश फैजाबाद ने फरवरी, १९६२ में निकाला है—

"All the depot holders are hereby ordered to sift the soft coke and hard coke in such a way so that all the cinder, ashes and dust be removed and maximum percentage of smalls below 1/2'' fractie left after sifting may not exceed 20 per cent smalls below 1/2'' fractie left after sifting may not exceed 20 per cent smalls below 1/2'' and should not contain any quantity of cinder, ashes and dust. They should keep the stocks of such sifted cinder, ashes and dust at some other place outside the premises of their depots and should sell it after getting the rates fixed by the undersigned.

They should sell soft coke, and hard coke to the permit holders in the quantities given in the permits on the rates noted above." ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९६०-६१, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६२, वित्त लेखे १९६०-६१ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६१*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९६०-६१, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६२ सहित तथा वित्त लेखे १९६०-६१, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६१ सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास २ कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक श्री झारखंडे राय जी का है और श्री रामसुन्दर शास्त्री का है, श्री ऊदल का है, श्री रघुवीर और श्री झिलमिट राम का है। यह प्रस्ताव जोत कर विधेयक के सम्बन्ध में है और इसमें कहा गया है कि बड़ा क्षोभ है। यह विषय सदन के समक्ष आया हुआ है और सम्बन्धित विधेयक पर बहस शीघ्र होगी उसके सिलसिले में इस विषय पर विचार प्रकट किये जा सकते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आप यह देख लें कि बहस होगी या नहीं होगी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एलान पार्लियामेंट में किया है उससे जरा सन्देह होता है। मैं यह चाहता हूं कि आप सरकार से स्पष्टीकरण माँगें कि उनके क्या विचार हैं, वह आ रहा है या स्थगित हो रहा है, इस विषय में आप उनसे पूछें क्योंकि आज प्रदर्शन होने वाला है और असंतोष फैला है, सारे प्रदेश में एक उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, भवन के सामने भी प्रदर्शन होगा, इस सबको महसूस करके आप कृपया सरकार से पूछताछ करें और....

श्री अध्यक्ष—जहाँ मैं आपका, और जो बातें कही गईं उन सब बातों का ध्यान रखता हूं और आदर करता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन बहुत ऊंचे स्तर पर है और चूंकि इस विधेयक का उल्लेख हमारी सूची में भी है इसलिये हम अभी यह नहीं सोच सकते थे कि यह आयेगा या नहीं यदि नहीं। आता है तो क्षोभ और असन्तोष का जो

---

*छापी नहीं गई।

कारण है वह समाप्त हो जायगा और अगर आता है तो वह क्षोभ व असंतोष यहाँ व्यक्त किया जा सकेगा। दोनों अवस्थाओं में यह कार्य स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। इस लिये यह अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के ....

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—इस विषय में अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था जिसमें आप की अनुज्ञा मांगी गई थी।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत श्री सन्त सिंह यूसुफ और श्री टम्बेश्वरी प्रसाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं। श्री टम्बेश्वरी प्रसाद ने शुक्रवार को भी यह प्रस्ताव दिया था लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि कदाचित यह ट्रान्सपोर्ट सर्विस बन्द हो जाय, अब उन्होंने इस विषय को निश्चित किया है। इसलिये अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ का इस प्रकार है कि "कानपुर नगर हमारे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। इस समय इस नगर की जन संख्या लगभग १३ लाख है जो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और भविष्य में इसके और अधिक विस्तार की सम्भावनायें हैं। इस समय नगर का क्षेत्रफल लगभग १०५ वर्गमील है। नगर की आबादी का सबसे बड़ा भाग मजदूरों तथा मध्यम वर्ग का है। इस नगर में यातायात की कठिनाइयाँ बराबर मौजूद रही हैं। ३–४ वर्ष पूर्व नगर में कुछ बसें प्राइवेट कम्पनी के हाथ में थीं जो जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थीं। स्थिति में सुधार लाने के लिये जनता की माँग पर कानपुर नगर महापालिका ने नगर यातायात का संचालन स्वयं करना प्रारम्भ किया और इस काम को सुचारु-रूप से चलाने के लिये ६० लाख रुपये की सहायता सरकार से माँगी जिसे सरकार ने देना अस्वीकार कर दिया। इसके पूर्व महापालिका ने एक प्रस्ताव पास कर नगर यातायात की बस सेवा को राज्य सरकार के अधीन करने का निर्णय किया था परन्तु उसे भी सरकार ने ठुकरा दिया था। गत दो वर्षों से स्थिति यह है कि इतनी बड़ी जन संख्या वाले नगर में केवल २०–२५ टूटी फूटी बसें चलती थीं, कारखानों से सात-सात, आठ-आठ मील दूर बसे हुए मजदूरों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। फलस्वरूप लोग अपने काम पर ठीक समय से न पहुंचने के कारण अनेक कठिनाइयों में फंसते हैं।

कानपुर के जन प्रतिनिधियों ने तथा जन संगठनों ने बार-बार सरकार का ध्यान यातायात की इस अशोचनीय दशा की ओर दिलाया परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार जब लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा इलाहाबाद आदि अन्य सभी नगर महापालिकाओं में सरकारी बसें चल रही हैं तो कानपुर नगर के साथ यह उदासीनता तथा पक्षपात पूर्ण नीति क्यों बरत रही है ?

अब कानपुर नगर महापालिका ने यह निश्चय कर लिया है कि जो टूटी-फूटी बसें वह चला भी रही थी उन्हें भी अपनी कठिन आर्थिक परिस्थिति के कारण बन्द कर रही है। जिससे एक अत्यन्त विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है, और सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति के विरुद्ध सम्पूर्ण नगर की जनता में व्यापक असन्तोष व्याप्त है। अतः इस सार्वजनिक महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का इस प्रकार है: "कानपुर महापालिका की कार्यकारिणी समिति ने नगर ट्रान्सपोर्ट सेवा को आगामी ३० सितम्बर से बन्द करने का निश्चय गत सप्ताह आयोजित एक बैठक में किया है। उत्तर भारत की सर्वप्रमुख औद्योगिक राजधानी कानपुर के १० लाख नागरिकों को सस्ते मूल्य पर नगर के अन्दर यातायात की सुविधा प्रदान करने वाली महापालिका द्वारा संचालित नगर ट्रान्सपोर्ट सेवा को सदैव के लिये बन्द किये जाने के समाचार से नागरिक क्षेत्रों में काफी असन्तोष और क्षोभ की भावना व्याप्त है।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी ओर रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने कानपुर नगर ट्रान्सपोर्ट का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने से इन्कार कर दिया है ।

कानपुर के यातायात के बन्द होने से न केवल कानपुर की जनता प्रभावित होगी वरन सम्पूर्ण प्रदेश की आन्तरिक स्थिति प्रभावित होगी क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से यह प्रदेश का केन्द्र है । इस समाचार से सम्पूर्ण प्रदेश में चिन्ता, उत्तेजना तथा क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है ।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।"

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नियम ५२ में प्रस्ताव दिया है.....

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—इस समय कोई मौका नहीं है । जिस समय आयेगा, मैं यातायात मंत्री जी से पूछ लेता हूं, तो उस वक्त आपको मौका दूंगा आप सदन को स्पष्ट कर दें ।

माननीय यातायात मंत्री, कब तक वक्तव्य देंगे ?

यातायात मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—१४ तारीख रख दें ।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, मेरा नियम ५२ का एक प्रस्ताव था । हम तो कभी-कभी देते हैं वह भी नहीं पढ़ा जाता है, बड़ा दुर्भाग्य है ।

श्री अध्यक्ष—उसका ध्यान रखा जायगा ।

श्री लखीसिंह—उसको पढ़ दीजिये वह प्रश्न मजदूरों का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—यह भी मजदूरों का प्रश्न है और १०, १५ लाख आबादी जिस शहर में है उस शहर में मजदूर बिना किसी सवारी के पैदल जायं यह भी मजदूरों का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिये । नियम ५२ में एक प्रश्न लिया जा सकता है । एक जब मैंने ले लिया तो दूसरा नहीं लिया जा सकता ।

श्री लखीसिंह—लेने की बात नहीं, पढ़ने की बात कह रहा हूं । हमारे प्रश्न को भी पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे बातचीत कर लेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैंने नियम ५२ में एक प्रस्ताव इसी सिलसिले में दिया था । आपने हुक्म दे दिया वह शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष—इस सिलसिले में वह भी जुड़ जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—कहना यह है कि दफा ५२ में न लें । स्पष्ट घोषणा प्रधान मंत्री की तरफ से जोतकर विधेयक के बारे में यह हो चुकी है कि उसको प्लानिंग कमीशन के पास रिफरेंस के लिये भेज दिया जाय । माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री नहीं हैं यह ठीक है । आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में इसे ले लीजिये और जब वे आ जाँय तो बयान दे दें, जिससे भ्रम दूर हो जाय, इससे प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिल जायगी ।

लैंड टैक्सेशन बिल के संबंध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—लैन्ड टैक्सेशन बिल पर बड़े ऊंचे क्षेत्र में विचार हो रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो स्थिति है उस पर सरकार के सदस्य थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि लैन्ड टैक्सेशन बिल जो सदन में आया हुआ है उसे वह वापस ले रहें हैं या नहीं। इससे हमको भी जानकारी हो सकेगी और बात समझ में आयेगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन और राजस्व मंत्री हैं नहीं, जो उनसे पूछूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—कैबिनेट की रिस्पाँसिबिलिटी ज्वाइंट है और कई कैबिनेट मिनिर्स्टस मौजूद हैं और वे कुछ न कुछ सरकार का दृष्टिकोण हमें बतला सकते हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जो स्थिति है वह यह है कि ५ जिम्मेदार कैबिनेट मिनिर्स्टस वहाँ पर गये हुये हैं। वे प्लानिंग कमीशन से बातचीत कर लेंगे, उसके ऊपर निर्णय होगा। क्या परिणाम निकलता है इस पर सब निर्भर करता है। उसके लिये इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले दोनों धैर्य धारण करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं बड़ा आभारी हूं स्वायत्त शासन मंत्री की एक बात का। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता है उसमें जितना भी समय लगे उस समय तक यह बिल सरकार विदड्रा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह शर्तिया प्रश्न है। जबतक मुख्य मंत्री वापस न आ जांय तब तक इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये। जैसा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने बतलाया कि कुछ मंत्री मन्डल के सदस्य दिल्ली गये हुये हैं। अब वहाँ पर कौन सी बात होगी, क्या बात होगी यह तो वही बतला सकेंगे। अब यहाँ एक काल्पनिक प्रश्न किया जाता है कि क्या होगा? तो कौन बतला सकता है कि क्या होगा ? यह वही बतला सकते हैं कि जो डेवलपमेंट दिल्ली में होंगें वही प्रभाव डालेंगे हमारे विचारों पर।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि यह तो सही है कि माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली गये हुये हैं लेकिन संयोग ऐसा है कि आज हजारों आदमी इस दरवाजे पर आये हैं और उसकी कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। तो मैं यह जरूर चाहता था कि उनसे हम लोग क्या कहें और हमसे व कुछ जानना चाहेंगे, तो हम क्या कहें ?

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो दिल्ली गये हुये हैं मुझे जहाँ तक जानकारी है दो हिस्सों में बंट कर गये हैं। एक तरफ से वे यह कोशिश करेंगे कि जो विधेयक है उसको उसी रूप में रखें और एक तरफ कुछ लोग इसलिये गये हैं कि नहीं, इसको विदड्रा करो। मेरी जानकारी यह है। तो अब मैं माननीय बनारसीदास जी से, माननीया सुचेताजी जवाब देंगी, लेकिन माननीय बनारसीदास जी का जवाब कुछ ठीक लगेगा, प्रार्थना करूंगा कि वे हमें कुछ बतलायें। इससे सुचेताजी यह न समझें कि मैं उनका असम्मान कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भविष्यवाणी कर सके। अगर आपकी शक्ति है, माननीय गेंदासिंह जी भविष्यवाणी करने की, तो करिये अन्यथा हम इस समय किसी व्यक्ति से इस भविष्यवाणी की उम्मीद नहीं करते कि क्या होगा। जो कुछ होगा वह वे ही लोग बतायेंगे कि जो दिल्ली में बातचीत करने गये हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह प्रश्न न तो हाइपाथिटिकल है और न भविष्यवाणी का ही है। यह सीधा सा प्रश्न है कि आपके एजेन्डा में एक बात है। उसके विषय में कुछ वार्त्ता हो रही है। वार्त्ता क्या होगी क्या नहीं होगी वह अलग चीज है। प्रश्न केवल इतना है कि एजेन्डे में जो चीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

है उसको सरकार विदड्रा करेगी या क्या करेगी, यह एक स्पष्ट प्रश्न है। पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मिस्टिर साहब मौजूद हैं। गवर्नमेंट के माइंड को वे जानते हैं। वे हमें बता सकते हैं कि इसको विदड्रा करेंगे या नहीं।

श्रममंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)—मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इतनी जल्दी विदड्राल की बात आप लोगों के दिमाग में बैठी कैसे और इतनी जल्दी से उसका जवाब देने की भी क्या जरुरत है क्योंकि १७ तारीख के पहले तो उस बिल पर डिस्कशन आ नहीं सकता है। तो १७ तारीख तक इन्तजार करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है।

दूसरी बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि प्लानिंग कमीशन के सामने यह मसला रखा जाय वह सोच विचार करेंगे, तो हमें थोड़ा इन्तजार कर देखना चाहिये कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से क्या सुझाव इस बारे में आते हैं। अगर यह टैक्स न लगाना पड़े तो बहुत खुशी की बात है। इसलिये अभी हम यहाँ कोई निश्चित बात क्या बतला सकते हैं?

तीसरी बात गेंदासिंह जी ने कही। पता नहीं उनके पास कोई खास इन्फार्मेशन हो, हमारे पास तो यह इन्फार्मेशन है कि सभी मंत्रीगण एक राय होकर गये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—समाचार पत्रों में जो समाचार आये हैं, उसमें सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने जो पार्लियामेन्ट के अन्दर घोषणा की और नियोजन कमीशन को इस मामले को रेफर कर दिया, तो क्या प्रधान मंत्री ने हमारी राज्य सरकार को या केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ऐसी विधिवत् सूचना मिली है कि हम इसको प्लानिंग कमीशन को दे रहें हैं और जब तक प्लानिंग कमीशन विचार न कर ले तब तक इस विधेयक को स्टे किया जाय?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—माननीय प्रधान मंत्री ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि जब तक प्लानिंग कमीशन निर्णय न करे इस बिल को स्थगित रखा जाय। उन्होंने यह अवश्य कहा है कि यह केवल यू० पी०का ही प्रश्न नहीं, मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों का प्रश्न है। उनका कहना यह था कि प्लानिंग कमीशन इस पर पुनर्विचार कर ले। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से भी कहा था कि प्लानिंग कमीशन से बातचीत कर लीजिये और जैसा कि माननीया सुचेताजी ने बतलाया, कोई खुशी नहीं है हमें कि कोई टैक्स लगायें, हमारा तो बराबर यह प्रयत्न रहा है कि प्लानिंग कमीशन से अधिक से अधिक रुपया हमें मिले या फिर मैचिंग कंट्रीब्यूशन का कोई सवाल न हो। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि इसको स्थगित कर दिया जाय। यह लेजिस्लेचर का विषय है, न कोई आदेश दिया जा सकता है और न कोई आदेश दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—अब इस पर बहस नहीं होगी। माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दे दिया। अब कोई बहस नहीं होगी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। बल्कि मैंने एक प्रस्ताव दिया है, अगर आप अनुज्ञा दें तो उसको उपस्थित कर दूं।

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने इसको देखा नहीं है। देखूंगा तो दूंगा।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, २० अगस्त, १९६२ को घटना घटी है और विरोधी दलों की ओर से.....।

श्री अध्यक्ष—अभी आदेश दे रहा हूं। माननीय गुप्त जी के विषय में....

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसको देख लें। वह बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—लन्च के बाद देखूंगा।

२० अगस्त, १९६२ की घटना के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध था वह समाप्त हो चुका है। दूसरे आये हैं उनको पढ़ रहा हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इससे मुक्त हैं?

श्री अध्यक्ष—आप मौजूद नहीं थे, तो मुझसे पूछते।

सर्वश्री माननीय कृष्णपालसिंह, गेंदासिंह, झारखंडे राय, राघवेन्द्रप्रतापसिंह, भगवान सहाय तथा उग्रसेन जी ने २१ अगस्त, १९६२ को एक विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया जो निम्नप्रकार से है :—

"कल सदन में मार्शल ने पुलिस फोर्स और पी०ए०सी० की सहायता से सदन के कुछ माननीय सदस्यों को। जैसे श्री राधेश्याम शर्मा, श्री शिवनाथसिंह, श्री नत्थाराम और श्री राम आसरे वर्मा बलपूर्वक और अपमानजनक ढंग से खींचकर सदन के बाहर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। सदन में उपस्थित कुछ माननीय सदस्यों को अपशब्द भी कहा। मार्शल तथा पुलिस का यह सारा कार्य सदन के नियमों के विरुद्ध हुआ। इस कार्य से न केवल उपरोक्त माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है और उन्हें मानसिक क्लेश हुआ है वरन् सम्पूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है इससे सदन की कार्यवाही में भी व्यवधान उपस्थित हुआ है? मार्शल तथा पुलिस फोर्स के इस अवैधानिक कार्य से सदन का अवमान और विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः इस प्रश्न को उठाने के लिये आपकी सम्मति चाहते हैं।"

इस प्रश्न का परीक्षण उन घटनाओं की पृष्ठ भूमि में किया जाना उचित होगा जो १ अगस्त, १९६२ को घटित हुई। उस दिन माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद इंगित किये गये और सदन की सेवा से दो दिन के लिये निलम्बित हुये। इस पर सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। परिणामतः सदन की बैठक कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गई किन्तु सुव्यवस्था स्थापित न होने के कारण सदन को उस दिन के लिये उठा दिया गया। दूसरे दिन के उपवेशन में विरोधी दल के सभी नेताओं ने पूर्व दिवस की अव्यवस्था तथा अवांछनीय घटनाओं पर खेद प्रगट किया। तदुपरान्त, विभिन्न दलों के नेता मेरे कक्ष में समवेत हुये और यह तय हुआ कि सदन के भीतर उपद्रव व अव्यवस्था सर्वथा वर्जित रहेगी तथा किसी भी माननीय सदस्य के इंगित व निलम्बित किये जाने पर वे मार्शल के केवल छुये जाने पर सदन का परित्याग कर देंगे। किन्तु माननीय उग्रसेन, नेता समाजवादी दल ने इस प्रस्ताव से सहमति प्रकट करने में अरुचि प्रकट की।

२० अगस्त, १९६२ को माननीय श्री चन्द्रबली सिंह व नरसिंहनारायण इंगित व सदन की सेवाओं से निलम्बित हुये। उस पर समाजवादी दल ने सदन के भीतर अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार को अंगीकार किया? उसके कारण सदन १० मिनट के लिये स्थगित हुआ। मार्शल को यह आदेश दिया गया कि वे इंगीकृत सदस्यों को सदन के बाहर कर दें किन्तु वह आदेश को पूरा करने में असमर्थ रहे। मार्शल ने मेरे कक्ष में आकर बताया कि आदेश पालन में कुछ समाजवादी सदस्य बाधा डाल रहे हैं। अतः मैंने यह आदेश दिया कि पुलिस की सहायता से जो सदस्य बाधक हों उनको भी सदन के बाहर कर दिया जाय। यह आदेश अपने कक्ष ही में नियम २९९, खंड (३) के अन्तर्गत मैंने दिया था। सन् १९५८ में ऐसे ही एक अवसर पर इस आदरणीय सदन में व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या जब सदन सस्पेंड हो तो उस समय मार्शल या उनके कुछ साथी किसी माननीय सदस्य को विधान भवन से बाहर निकाल सकते हैं? इस प्रश्न पर व्यवस्था देते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा—

"जी हां, सब को निकाल सकते हैं। यही सिर्फ नहीं, अगर मैं चाहूं तो इस वक्त सदन स्थगित कर दूं और कुछ लोग यहां बैठे रहें और कुछ गड़बड़ी करते रहें तो मुझे अधिकार है कि मैं

[श्री अध्यक्ष]

बगैर किसी कुसूर के सदन से बाहर दूसरों को भी जाने की आज्ञा दूं। सदन का कार्य चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर कुछ लोग मेरे दस मिनट सदन स्थगित करने के बाद यहाँ बैठे रहें इसलिये कि दस मिनट के बाद सदन का कार्य फिर चलने नहीं देंगे तो मेरा कर्तव्य है कि उस बीच में उन लोगों को निकाल दूं। जब वे दस मिनट के बाद भी नहीं हटे और श्री राजनारायण को हटाने नहीं दिया तो मैंने आध या पौन घंटे के लिये और सदन को स्थगित कर दिया। सदन का इतना नुकसान हुआ। बल्कि इसके ऊपर उस शख्स के ऊपर कार्यवाही हो सकती है जिसे १० मिनट के अन्दर हटना था या जिसने श्री राजनारायण को नहीं हटाने दिया। मैंने यह भी किया कि गैलरीज के लोग भी हटा दिये जाँय क्योंकि गड़बड़ी की अवस्था में वह भी बाधक हो सकते थे सदन के कार्य में। मुख्य बात यह है कि सदन के कार्य संचालन का भार मुझे पर है। जो लोग गड़बड़ नहीं करते उनको भाषण का समय देना चाहिये और मैं देखता हूं कि कौन बहस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सदन का कार्य संचालन करने के लिये जो आज्ञा मैं आवश्यक समझता हूं देता हूं, वह मेरा कर्तव्य है, वह मेरा अधिकार है।"

यह मैंने यू० पी० असेम्बली प्रोसीडिंग्स इन हिन्दी, वाल्यूम १९७, पृष्ठ ७८५, दिनांक ९ सितम्बर, १९५८ से उद्धरण दिया है।

उपर्युक्त संकलन से स्पष्ट है कि मैं उन आज्ञाओं को दे सकता था कि जो मैंने व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से मार्शल को दीं। मेरे आदेशानुसार पुलिस ने सदन के सभा मन्डप में प्रवेश उस समय किया जब माननीय सदस्यों के मंडप में फिर समवेत होने की घंटी बजनी प्रारम्भ हो गयी थी। तीन मिनट के अन्दर जैसे ही घंटी बजनी बन्द हुई मैंने सदन में अपना आसन ग्रहण किया। इस बीच में सभा मन्डप से माननीय नत्थाराम, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय राधे श्याम शर्मा और माननीय शिवनाथ सिंह सदन के बाहर से लाये जा चुके थे, किन्तु माननीय चन्द्रबली सिंह और माननीय नरसिंह नारायण सभा मन्डप के भीतर उपस्थित थे, कुछ वाद-प्रतिवाद के पश्चात् वे भी चले गये।

उपर्युक्त विवरण तथा वे घटनायें जो २० अगस्त, १९६२ के उपरान्त इस सदन में घटित हुई हैं उन सब को ध्यान में रखते हुये ऐसा आभास होता है कि एक दल विशेष के कार्यक्रम का एक अंश यह भी है कि सदन में व्यवस्था न रहे और सं.दीय कार्यों में बाधा होती रहे। जो भी हो, प्रस्तुत विशेषाधिकार सूचना में जो शिकायत है वह यह है कि उपर्युक्त ४ माननीय सदस्यों को पुलिस द्वारा बलपूर्वक अपमानजनक ढंग से खींच कर सदन के बाहर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया गया।

मुझे खेद है कि इच्छा न होते हुये भी मुझे पुलिस को सभा मन्डप में प्रवेश करने का आदेश देना पड़ा। यह हो सकता था कि मैं सदन को उस दिन के लिये स्थगित कर देता। किन्तु ऐसा करना मेरे दृष्टि में सदन की मर्यादा, सत्ता व गौरव को अपमानित व विनष्ट करने के तुल्य होता, जो सर्वथा अवांछनीय है। अतः इंगित किये हुये सदस्य तथा उनके साथियों के व्यवहार के कारण पुलिस का सदन में प्रवेश और उनके द्वारा बल का प्रयोग अनिवार्य था। इंगितकृत सदस्य जहाँ बैठे थे सामने से नहीं हटाये जा सकते थे। उनके पास पहुंचने तथा हटाने के लिये दो ही मार्ग थे, या तो पीछे की सीट पर जा कर उन्हें घसीटा जाता अथवा माननीय राधेश्याम व माननीय शिवनाथ सिंह की सीटों से गुजर कर उनके निकट पहुंचा जाता। माननीय नत्थाराम व माननीय राम आसरे वर्मा इंगित सदस्यों के पीछे बैठे हुये थे। कहा यह जाता है कि उक्त चारों माननीय सदस्य इंगितकृत सदस्यों को निकालने में बाधा डाल रहे थे। उनकी ओर से इस कथन का प्रतिवाद किया जाता है। जो भी हो, उन चारों माननीय सदस्यों का अपने स्थान से बलपूर्वक हटाया जाना इस बात का द्योतक है कि या तो वे बाधा डाल रहे थे या ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जिसके कारण पुलिस व मार्शल को इंगित किये हुये सदस्यों के पास पहुंचने में रुकावट पड़ रही थी। स्पष्ट है कि इन चार सदस्यों ने अपना स्थान स्वयमेव नहीं छोड़ा अपितु बल प्रयोग ही से अपने-अपने स्थान से हटाये गये। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के १६वें संस्करण के

पृष्ठ १०९ पर जिसका उद्धरण निम्नांकित है स्पष्ट है-कि किसी सदस्य का व्यवहार जो सदन के अधिकारी के कृत्यों की पूर्ति में बाधक हो, या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता हो, कन्टेम्पट आफ दि हाउस की श्रेणी में आता है :

"It may be stated generally that any act or commission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may, be treated as contempt of the House".....

यानी उर्दू में जिसे कहते हैं फेल तथा तर्क फेल या आचरण तथा अनाचरण जिससे सदन के अधिकारी के कर्तव्यों के पालन में बाधा पड़ती हो या बाधा डालने का असर रखता हो, तो उस हालत में वह कन्टेम्पट आफ दि हाउस होगा ।

अतः उन परिस्थितियों में जिनका वर्णन ऊपर किया गया है पुलिस का सदन के अन्दर आना और उनके द्वारा अवरोध डालने वालों के प्रति बल का प्रयोग करना, मेरी दृष्टि में न अनियमित है और न किसी परम्परा के विरुद्ध है ।

रहा प्रश्न अपमानजनक ढंग से घसीटे जाने का, इस संबंध में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि ऐसी खेदजनक प्रक्रिया में सम्मान की गुंजायश नहीं रहती ।

सदन के बाहर सड़क पर ले जाने के संबंध में मैंने अपना खेद प्रकट कर दिया है ।

अन्त में इतना कह देना आवश्यक है कि चूंकि पुलिस मेरे आदेश से सदन के अन्दर आई थी अतः वह प्राधिकृत अधिकारी सदन की समझी जायगी ।

प्रस्तुत सूचना में यह भी कहा गया है कि "सदन में उपस्थित कुछ माननीय सदस्यों से अपशब्द भी कहा" वह वाक्य स्वयं अस्पष्ट है । यह नहीं विदित होता कि किसने किसको क्या अपशब्द कहे । ऐसा अस्पष्ट कथन, विशेषकर जब इसकी यथार्थता विवादास्पद है, ध्यान देने योग्य नहीं प्रतीत होता ।

माननीय वीरसेन द्वारा प्रस्तुत विशेषाधकार की सूचना के संबंध में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इस बात को मानते हुये कि माननीय शिवनाथ सिंह व माननीय राधेश्याम ने मार्शल के अधिकृत कृत्यों में बाधा डाली, तो भी चूंकि उक्त सदस्यों के विरुद्ध मेरे आदेशानुसार कार्यवाही हो गयी और वे सदन के बाहर कर दिये गये, अब कोई आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । इस आदेश द्वारा सब ही विशेषाधिकार की सूचनायें जो २० अगस्त, १९६२ की घटनाओं से संबंधित है अस्वीकृत की जाती हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अभी मैं दो, एक बातें और कह दूं । अब मैं दो, एक बातें और इस संबंध में कहना चाहता हूं । चूंकि एक प्रश्न यह उठा करता है कि यदि मेरे आदेश से मेरे कर्मचारी या अन्य व्यक्ति जिसको मैं आदेश किसी कृत्य को करने के लिये सदन में दूं तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं उठता है ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान माननीय खेर साहब की व्यवस्था के प्रति आकर्षित करूंगा । आफिशियल रिपोर्ट, लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रोसीडिंग्स, यू० पी० इन हिन्दी, वल्यूम १९७ के पृष्ठ ७८१ को पढ़ देना चाहता हूं । इसमें माननीय अध्यक्ष ने कहा कि "अब दूसरे किस्म की शिकायतें मेरे पास हैं । कल बलवानसिंह जी ने प्रश्न उठाया था कि जो ज्यादतियां पुलिस ने सदस्यों को उठाने में की हैं उनका उन्होंने जिक्र किया था और

[श्री अध्यक्ष]

कहा था कि क्या ? यह उचित है या नहीं ? दो एक ज्यादतियों का उन्होंने जिक्र भी किया था। मैंने कहा था कि आप लिखित मेरे पास शिकायतें भेजें तो श्री शिवप्रसाद नागर, श्री मलिखान सिंह, श्री अवधेशप्रताप सिंह और श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने विशेषाधिकार के रूप में शिकायतें की हैं कि ये ज्यादतियां हुई हैं हटाने में। मैं पहले यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार मार्शल कोई फिजिकल फोर्स जिसको कहते हैं, शारीरिक शक्ति का उपयोग करके अपना कर्त्तव्य पालन करता है। तो कोई प्रविलेज का सवाल उसके द्वारा नहीं उठता। अगर शक्ति के उपयोग में अतिरेक हुआ हो तो यह शिकायत के रूप में मेरे पास आ सकता है और जो कार्यवाही मुझे करनी है, मैं जांच कर के करूंगा। यह उन्होंने कहा कि जहां तक अध्यक्ष के आदेश से कोई कर्मचारी काम करे तो उस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। केवल एक उपहास का अवसर होता है कि शिकायत अध्यक्ष को कर दी जाय। इसी के ऊपर आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर शक्ति के उपयोग में अतिरेक हुआ हो तो वह शिकायत के रूप में मेरे पास आ सकता है और जो कार्यवाही मुझे करनी है वह मैं जांच करके करूंगा। जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है मैं थोड़ीसी कथित ज्यादतियों का बाद में संकेतात्मक रूप से जिक्र कर दूंगा। पूरी शिकायतें तो इस समय नहीं पढ़ूंगा और जांच करने के बाद जिन लोगों ने ज्यादतियां कीं उनके खिलाफ ऐक्शन ले सकता हूं लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न जब कि कर्त्तव्य करने में किसी से कोई ज्यादती होती है उसमें उस पर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता है। वह तो उस समय सदन की आज्ञा से ही कार्य कर रहे थे, उसमें जजमेंट उनकी ही हो सकती है कि कितनी शक्ति कम से कम उन्हें उपयोग में लानी चाहिये, किन्तु शक्ति का उपयोग करना यह दो व्यक्तियों के सम्बन्ध का सवाल है। यदि मैं जिद्द करके अड़ जाता हूं यहां पर और आप मुझे हटाते हैं, तो मैं कितनी ताकत इस्तेमाल करता हूं, न हटने में और आप कितनी ताकत मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल करते हैं हटाने में, उसके लिये हटाने में कितनी ताकत की आवश्यकता है यह मेरे और आपके तुलनात्मक शक्ति पर निर्भर करता है और जिस आदमी को हटाने की आज्ञा दी जाती है वही अन्दाजा लगा सकता है, दूसरा नहीं लगा सकता है। आप दूर से बैठकर देखें कि फलां आदमी नहीं हट रहा है और उसको हटाया जा रहा है तो आप नहीं समझ सकते कि उसको हटाने के लिये कितनी शक्ति की आवश्यकता है। भीड़-भड़क्के में बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि यह पता नहीं लगता कि किसने क्या किया। अगर १०, २० आदमी खड़े हों और उसमें से किसी ने जो वैध आज्ञा से शक्ति का प्रयोग कर रहा है उस को घूंसा मार दिया तो उसको भी गुस्सा आ सकता है और वह भी घूंसा मार सकता है।

अब इसके ऊपर विवेचना करते हुये माननीय प्रताप सिंह जी, जो उस समय सदस्य थे, उन्होंने कहा कि, "जी हां, मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से निकाला गया उस तरह से नहीं।" तब माननीय अध्यक्ष ने यह कहा, "अब आपका प्रश्न यह है कि हाउस आफ कामन्स का उदाहरण दूं।" इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि, "हाउस आफ कामन्स में ऐसी कभी घटना हुई नहीं तो वहां का उदाहरण क्या दिया जाय।" आगे वह कहते हैं, "यदि दो, चार आदमी मिल कर उधम करते हैं, एक आदमी निकाला गया तो दूसरे आदमी अगर उसको न निकालने देने में उसे मदद करते हैं या उसमें बाधक होते हैं तो सब के सब निकाले जाते हैं, नहीं तो मतलब यह हो जायगा कि अगर किसी की दस, पांच आदमियों की पार्टी है तो वह चैलेंज कर सकता है कि हम नहीं निकलेंगे क्योंकि औरों को निकाल दिये जाने का आर्डर नहीं है। आर्डर सिर्फ़ एक के लिये है। इस प्रकार तो सदन बैठ ही नहीं सकता है। इस प्रकार यहां इस सदन के कार्य को ठप्प करने के लिये यह बात होती है और उसको आप पुष्टि करें तो इसका मतलब यह है कि फैसिज्म के लिये आप प्रोत्साहन देते हैं। एक आदमी डिक्टेट करेगा कि सदन बैठेगा या नहीं और ५, ६ आदमियों की पार्टी बना कर वह ऐसा कह भी देगा और सदन का काम चलने नहीं देगा। इसलिये जो व्यक्ति वैध आज्ञा पालन कराने में बाधक हों वे एक-एक करके जब तक कि सदन में शान्ति न हो जाय तब तक के लिये फोर्स यूज़ करके निकाले जा सकते हैं, अगर कुछ लोग लिंक बना कर बैठ जायं।

इसलिये नियम में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि अगर कई लोग आब्सट्रक्शन करते हैं तो उन सब को हटाया जा सकता है। आपके ही नियमों में है कि—

"The Speaker shall have full authority to carry out his order or the decisions of the House and may employ, or authorise the employment of necessary force, at any stage of the proceedings."

मेरे पास यह रिपोर्ट आयी थी कि श्री राजनारायण को हटाने में बाधा डालने के लिये बहुत से सदस्यों ने घेरा बना लिया है। उनके बारे में क्या किया जाय? मैंने कहा कि जो लोग बाधक होते हैं श्री राजनारायण के साथ उन सब को हटाने के लिये आज्ञा देता हूं। "इस सदन में आर्डर स्थापित करने के लिये जो मुझे आवश्यकता हुई, श्री राजनारायण को हटाने के लिये और उनको हटाने में जो बाधक हों उनको हटाने के लिये जितनी शक्ति की आवश्यकता हो उसके इस्तेमाल की मैंने आज्ञा दी।" ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यही होता है। कई आदमी गड़बड़ करते हों तो सबको हटा दिया जाता है। सदन के कार्य को गड़बड़ कर के न चलने देने का किसी को अधिकार नहीं है।"

यह मैंने आप को पढ़ कर सुना दिया कि यह मेरे पहले की व्यवस्था है और मेरी जो आज की व्यवस्था है वह मैंने पढ़ कर सुना दी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं आप की आज्ञा से। मैं उस दिन था नहीं। आपकी इस व्यवस्था में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परन्तु वाकई कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आयीं। तो जानकारी की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा अपना ऐसा विश्वास है और आशा है आप भी इससे सहमत होंगे कि आप की चेयर से किसी दल विशेष पर आक्षेप, जैसा अभी आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी दल विशेष की नीति शायद सदन का कार्य ठीक से न चलने देने की है, दुखद है। भले ही कुछ भी किसी की नीति हो, लेकिन जब तक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, इस प्रकार की बात समझ में नहीं आती। कई बार आप की व्यवस्था से मतभेद होने के कारण, तथा अन्य कई कारणों से कई बार रोष-पूर्ण भाषण हो जाते हैं, लेकिन उस से इस प्रकार का निष्कर्ष श्रीमन्, निकाल लें, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं यह समझता हूं कि ऐसे पीठासन से इस प्रकार का आक्षेप बहुत उचित नहीं है। दूसरी बात मैं यह समझ पाया हूं कि इस केस का मुख्य कान्सीडरेशन इस बात पर निर्भर है कि मार्शल और पुलिस के कर्त्तव्य में लोगों ने बाधा डाली। उसका आप के पास कोई प्रत्यक्ष प्रूफ आया या नहीं, यह बात ध्यान देने योग्य है। अभी श्रीमन्, ने अपने वक्तव्य में, 'कहा जाता है' कहा। उसके मतलब हैं हियर से। आप स्वयं ही बहुत विख्यात लाइयर हैं और आपको पूर्णरूप से ज्ञात होगा कि हियर से कोई इवीडेन्स नहीं मानी गई है। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि उस समय जो तथाकथित बाधा डाली जा रही थी, उस समय क्या मार्शल श्रीमन्, के पास गये थे और उन्होंने यह कहा था कि फलां-फलां व्यक्ति हमारे कार्य में बाधा डालते हैं और तब यदि आप की आज्ञा का पालन न किया जाता और उनको उठाया जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी। मैं यह बात आप से जानकारी की दृष्टि से पूछता हूं। अभी श्रीमन्, ने कहा कि चूंकि रास्ते में बैठे थे और ऐसा लगता था कि शायद रोक रहे थे। मैं नहीं जानता कि उस समय की क्या स्थिति थी और आप की क्या रिपोर्ट थी। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि वे मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे या क्या बात थी।

एक बात और कि आप देखें कि जैसी कि पुलिस की रोषावस्था होती है कि जो भी सामने पड़ें, उसे घसीटकर और फेंक कर अपना कार्य करो। यह नहीं पता कि उस समय वैसा वातावरण था। इसलिये मैं, श्रीमन् से यह निवेदन करूंगा कि वे वास्तविकता पर प्रकाश डालें कि उनके पास यह वस्तुस्थिति की वास्तविकता पहुंची या नहीं। (व्यवधान)

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—वास्तविकता आप श्रीपालसिंह जी से पूछ लीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो दूसरों को तो बोलने दें। मैं यह कह रहा था श्रीमन् से कि कुछ जानकारी वे इसकी दें, तो मैं आप का बड़ा आभारी होऊंगा। आप इस पर अपने विचार प्रकट करें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय नेता विरोधी दल आप के निर्णय के बाद में बोल रहे थे, चूंकि जब माननीय नेता विरोधीदल बोलते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनके लिये एक आदर और सम्मान की भावना को लेकर हम उनकी बात को सुनें। लेकिन मैं आशा करता था कि प्रक्रिया नियमावली की धारा ३१८ के अनुसार .....

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें, मैंने उनको बोलने की आज्ञा दी है।

श्री बनारसीदास—मैं यह आशा करता था कि अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा के बाद ३१८ प्रक्रिया नियमावली के अनुसार वह कोई वाद-विवाद उपस्थित नहीं करेंगे। यह ठीक है कि उन्होंने कहा कि यह अध्यक्ष महोदय के निर्णय में कोई संशोधन नहीं करना चाहते। लेकिन वास्तव में प्रश्न वह नहीं था। जो उन्होंने पुनः विचार के लिये कहा, उस पर इस प्रकार से आपत्ति थी। यदि श्रीमन्, कोई निर्णय दे देते हैं और उस पर फिर से विचार प्रकट करने को कहा जाता है तो इस बात पर आपत्ति होती है। उस पर कोई बहस इस सदन में करना ज्यादा उचित नहीं होगा। यह अधिक उचित होगा कि आप के चेम्बर में जाकर वह बातचीत की जाय। यह कहना कि किसी पार्टी विशेष के ऊपर आक्षेप किया है, ठीक नहीं है।

मैं आप को बताऊं कि यह रोजाना का कार्य बनाया गया था कि क्वैश्चन आवर के बाद में कोई न कोई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और फिर सदन का वातावरण उसी प्रकार का होने लगता था। एक दिन उग्रसेन जी ने ऐसा किया और उसके बाद यह एक परंपरा सी बन गई। इसलिये उसके लिये यह कहना कि किसी दल के लिये या किसी दल की तरफ से निर्णय दिया गया, यहां किया गया या लोक सभा में किया गया या मध्य प्रदेश में किया गया या कहीं भी, यह आप सोचें कि कहां तक उचित है। इसलिये किसी प्रकार की बहस करना अनुचित होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैंने कोई वाद-विवाद नहीं उठाया, केवल अपनी जानकारी के लिए आप से प्रश्न किये हैं।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना मन्त्री जी न यह बाद कही कि आप के निर्णय के बाद किसी प्रकार का स्पष्टीकरण और वाद-विवाद नहीं होना चाहिये, लेकिन उनके प्रति आदर भाव रखते हुए .....

श्री अध्यक्ष—इस पर बहस नहीं होगी। सूचना मन्त्री का आक्षेप अपने स्थान पर ठीक है लेकिन जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न होता है तो जानकारी की दृष्टि से कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। हो गयी अब वह बात, बैठिये।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—आप ने उग्रसेन जी का नाम लेकर कहा कि किसी पार्टी के कार्यक्रम में आ गया है कि सदन के कार्यों में अवरोध करे तो अगर उस पार्टी से आप का तात्पर्य हमारी सोशलिस्ट पार्टी से है तो हमें दो मिनट का समय दिया जाय ताकि हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें।

श्री अध्यक्ष—स्पष्टीकरण बाद में दे सकते हैं, इस समय जानकारी प्राप्त करना चाहत हों तो मैं सुनने को तयार हूं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—मैं एक जानकारी चाहता हूं। वैसे उस कांड के पीछे मैं भी एक मुल्जिम हूं और उसके नाते जो भी आप ने व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है, क्योंकि पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी में जो अध्यक्ष हुक्म देता है या व्यवस्था देता है वह असहमति रहते हुए भी शिरोधार्य करनी पड़ती है। लेकिन आप ने सब पार्टियों की नीतियों, सिद्धान्तों और मेनिफेस्टों को पढ़ा होगा, हमारी पार्टी के विरुद्ध आप के निर्णय में पूरे तरीके से झलक दिखाई देती है .....

श्री अध्यक्ष—आप जानकारी चाहते हों तो प्रश्न कीजिये, नेता विरोधी दल ने स्पष्ट कहा है कि आलोचना इस प्रकार नहीं होनी चाहिए।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, हमनें तो प्वाइंट आफ आर्डर पर आपकी व्यवस्था चाही थी, आपने नहीं दी। आपकी व्यवस्था के प्रति हम अपनी आस्था प्रकट नहीं कर सके इसलिये बहिर्गमन किया। आपकी इस व्यवस्था से भी मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं और यहां बैठने में अपने को मजबूर पाता हूं।

श्री रघुनाथ—मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये। यह बिलकुल स्पष्ट हो जाय कि केवल पार्टी के नेताओं को मैं सुनूंगा।

श्री रामेश्वरीप्रसाद—आपने मुझ पर परसनल चार्ज किया, रेफ़रेंस किया है मेरी वाली घटना का जिसका कोई इससे संबंध नहीं था और आप ने वहीं से इस केस को बनाया है, इसलिये मेरी बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। आप कृपया बैठ जायं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। आपने किस नियम के अनुसार यह वक्तव्य दिया अभी कि मैं केवल पार्टी के नेताओं से ही सुनना चाहूंगा, अन्य व्यक्तियों से नहीं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं विवाद नहीं करना चाहता, किन्तु कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आपने अभी २९९ नियम का उल्लेख किया है, परन्तु उसी धारा की उपधारा (२) में यह स्पष्ट है यदि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा का पालन कोई माननीय सदस्य न करें तो उनको आप इंगित करेंगे, माननीय नेता सदन प्रस्ताव करेंगे उसके निलम्बन का, और तब उस पर कार्यवाही होगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ने जो आदेश दिया माननीय राधेश्याम और माननीय शिवनाथ जी के बाहर जाने के लिये, तो उस आदेश की सूचना उन्हें किस सूत्र ने दी। मैं वहां मौजूद था और मैंने घटना को देखा।

श्री अध्यक्ष—आप जानकारी क्या चाहते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि आप के आदेश की सूचना उनको कैसे मिली। यदि आप की आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया तो जैसा कि धारा २९९ की उपधारा (२) में स्पष्ट व्यवस्था है उसके अनुसार कार्यवाही हुई या नहीं, माननीय शिवनाथ जी और माननीय राधेश्याम जी अपने स्थान पर बैठे हुये थे .....

श्री अध्यक्ष—मैं आप की शहादत नहीं मांग रहा हूं, कृपया बैठिये। (व्यवधान)।

श्री मैनेजर सिंह—श्रीमन्, एक देहाती लोकोक्ति है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं। आर्डर, आर्डर ।

*श्री राधेश्याम शर्मा—मैं ४ प्रश्नों की जानकारी करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह बात कैसे पता लगी आपको कि मैंने मार्शल को रोका ? यह किस गवाही के आधार पर आप को मालूम हुआ ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मार्शल ने यह बात आप को बतायी थी कि राधेश्याम मेरे कहने पर नहीं हट रहे हैं और यदि हां, तो आपने उनको क्या हुक्म दिया ? क्या यह कहा कि उनको उठाकर बाहर ले जाओ ? क्या मेरा नाम आपने लिया था ? तीसरा प्रश्न यह है कि आपने जो हमारे दल की बात कही है उससे हमारे दल के कार्यक्रम आदि पर आपत्ति है, वह नहीं होना चाहिये। और चौथी बात यह है कि आप ने कहा कि माननीय वीरसेन जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। जिस दिन उन्होंने यह प्रश्न उठाया था, मैं बहुत प्रसन्न था इसलिये कि कम से कम अब यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को जरूर जायेगा।

श्री अध्यक्ष—आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, जो विशाषाधिकार का प्रश्न माननीय वीरसन जी ने उठाया था, उसको आपने बिना किसी गवाही के खारिज कर दिया। मैं खुश था कि उसके द्वारा सफाई तो हो जाती। वैसे आप की जो भी व्यवस्था है, वह शिरोधार्य है लेकिन यह ठीक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधीदल के प्रश्नों का अब मैं उत्तर दे दूं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—श्रीमन, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—उसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—श्रीमन्, मैं आग्रह करता हूं कि उस पर आप अवश्य व्यवस्था दें। हमारे दलों के जो नेता होते हैं वे नीतिगत मामलों में हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने विचार व्यक्त करने की हमें पूरी स्वतंत्रता और अधिकार है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लग सकता।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आप बैठिये। अभी बता दूंगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—मैं एक जानकारी चाहता हूं। यदि किसी माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि अध्यक्ष महोदय सदन से हमको हटाना चाहते हैं तो क्या मार्शल अथवा किसी और के कहने से उनको हट जाना चाहिये ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, हमारी बात कब सुनी जायगी।

श्री अध्यक्ष—उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप गलतफहमी में हैं जो अभी दूर हो जायगी।

एक सदस्य—श्रीमन्, एक जानकारी है।

श्री अध्यक्ष—अब कोई जानकारी नहीं है। अब आप लोग बैठ जायं।

मैंने, १ अगस्त, १९६२ का हवाला, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का, केवल इसलिये दिया था कि उस दिन मुझे सदन को स्थगित करना पड़ा था सदन में कुछ अव्यवस्था होने के कारण, जो मैं समझता हूं कि सदन सम्मान के प्रतिकूल है। इस कारण से मैंने टम्बेश्वरीप्रसाद जी की घटना का उसमें उल्लेख किया, यह नहीं था कि मैं उसके द्वारा उनके ऊपर कोई आक्षेप कर रहा था। इसके अतिरिक्त उस घटना से संबंधित एक आवश्यक बात और थी। वह यह कि उसके बाद विभिन्न दलों के नेता मेरे कक्ष में एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी अनुमति दी कि सदन में उपद्रव नहीं होगा। मेरे द्वारा जिसको इंगित किया जायगा और उसको अगर मार्शल छू देगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वह सदन से चला जायगा और किसी व्यक्ति द्वारा भी बल का प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन उस समय भी जब सब नेता एक मत के हो गये थे, उससे माननीय उग्रसेन जी ने अपनी असहमति प्रकट की। अब यह सत्य है या नहीं? अगर यह बात सत्य है तो फिर मैंने २० तारीख को जो घटना हुई, उस को देखकर मैंने लिखा था, "उपरोक्त विवरण तथा वे घटनायें जो २० अगस्त, के उपरान्त इस सदन में हुईं, जैसे नरसिंह नारायण जी तथा तेजभान सिंह जी सदन की सेवा से निलंबित, विशेष परिस्थितियों में किये गये", इन दो घटनाओं को देखकर मैंने केवल यह लिखा था कि ऐसे कार्यक्रम का आभास होता है। और चाहे यह सही हो या गलत हो। आगे यह लिखा कि इससे जाहिर होता है।

अब माननीय नेता विरोधीदल का यह कहना कि यह किसी एक पार्टी विशेष पर कटाक्ष है ऐसी बात नहीं है। वह तो एक प्राइमाफेसी इम्प्रेशन है क्योंकि माननीय नेताओं ने कह दिया कि बल वर्जित है, कह दिया कि हर प्रकार का उपद्रव वर्जित है और यह भी कहा कि आपका आदेश और मार्शल का छू देना काफी है, लेकिन माननीय उग्रसेन ने कहा कि नहीं। उसके बाद हमने देखा माननीय काशीनाथ का व्यवहार और उनके साथ ही माननीय तेजभान जी का व्यवहार और उससे एक आभास होता है और उसी का मैंने उल्लेख किया है।

दूसरा प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने दिया कि सबूत क्या है? इसमें सबूत होने न होने का प्रश्न नहीं उठता। मेरा आदेश यह नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष को निकाला जाय। आदेश वही था जो कि माननीय खेर साहब ने सन् १९५८ में दिया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या मार्शल के कृत्य में बाधा डाले तो मैं आदेश देता हूं कि पुलिस की सहायता से उसे निकाल दो। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने या किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में कोई सबूत इकट्ठा करने में तो शान्ति होती ही नहीं, वही स्थिति हो जायगी कि मेरे पास शिकायत आती है कि राम ने बाधा डाली, मैं आदेश देता कि राम निकाल दिये जायं। तब तक वहां से राम हट जाते और कृष्ण आ जाते रुकावट डालने, फिर कृष्ण हट जाते तो उमाशंकर जी आ जाते। तो यह क्रम जारी रहता है और कोई बात नहीं पूरी होती। मेरा आदेश यह था कि जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा वह निकाल दिया जायगा और यही आदेश माननीय खेर साहब ने भी दिया था। किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में यह आदेश नहीं था और न हो सकता था।

तीसरा प्रश्न जो उपस्थित किया गया है वह यह कि मेरे पास कौन सा सबूत मौजूद था जिसके आधार पर मैंने यह कह दिया था कि वहां बल का प्रयोग करो। तो मैं यह निवेदन कर दूं कि मेरे निर्णय को आपने ध्यान पूर्वक सुना नहीं है जो मैंने उसमें कहा है। व्यक्ति विशेष से मलतब माननीय चन्द्रबली सिंह और माननीय नरसिंह नारायण के बगल में बैठने वालों का और भी जो बाधा डाल सकते थे जबरदस्ती घसीट कर निकालने में, बल का प्रयोग करने से था। जो माननीय सदस्य उनके पीछे बैठे हुये थे, उन्हें भी हटाने में बल प्रयोग किया गया। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने इस सदन के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि वे वहां मौजूद थे और पुलिस के शब्दों के व्यवहार शिष्ट था, मार्शल का व्यवहार भी शिष्ट था, सिर्फ पी० ए० सी० के एक व्यक्ति का व्यवहार अशिष्ट था। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी का कहना है कि कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मार्शल ने सिर्फ यह कहा कि "इनको" भी निकालो। इसके अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। इस प्रकार सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैंने स्थिति बतला दी है, इसको आप ठीक से सोचें व, समझ लें कि किस स्थिति में बल का प्रयोग किया गया है—

".....any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendancy, directly or indirectly, to produce such results may be treated as contempt of the House."

[श्री अध्यक्ष]

तो इन सब को जबरदस्ती निकाले जाने का कारण इस प्रकार से है कि माननीय शिवनाथ सिंह और माननीय राधेश्याम आदि उन अधिकारियों के रास्ते में पड़ते थे जिनको इंगित व्यक्तियों तक पहुंचना था, यह मेरा अन्दाजा है। इस अन्दाज के ऊपर प्रदर्शन में उनके साथ बल प्रयोग से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता और इस आधार पर मैंने सूचनाओं को अस्वीकृत किया है।

माननीय वीरसेन जी को सूचना के सम्बन्ध में मैंने कह दिया है कि मैंने आदेश दिया कि जो बाधक हैं उनको हटा दिया जाय और उनको हटाने से मेरा मतलब यही था कि उनको सभा मंडप से हटा दिया जाय। लेकिन यदि सड़क पर बाहर उनको फेंक दिया गया तो उसके लिये मैंने पहले ही खेद प्रकट कर ही दिया है। उनके साथ इतनी बात हो चुकी तो अब उनके ऊपर कोई कदम उठाना उचित नहीं है। अब यह विषय समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

मैं आदेश देता हूं कि माननीय सदस्य बैठे जायं।

(व्यवधान)

अब इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, जो आपने आभास वाली बात कही, उससे में अपनी असहमति प्रकट करता हूं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आपके नेता को जो कुछ कहना था, उन्होंने कह दिया।

(श्री काशीनाथ मिश्र ने सदन का परित्याग किया।)

एक सदस्य—श्रीमन्, यह किस नियम के अन्तर्गत बार-बार इस प्रकार खड़े हो जाते हैं। यह बिलकुल अनुचित है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता था.....

श्री अध्यक्ष—आर्डर-आर्डर, आप बैठिये, मैंने आदेश दे दिया है कि इस प्रश्न के विषय में अब कोई बात नहीं होगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—श्रीमन्, केवल जरा सी प्रार्थना करनी थी.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब आप बैठें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, एक निवेदन करना था.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह विषय समाप्त हो गया, अब उस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं परन्तु श्रीमन्, आप जिस कुर्सी पर पीठासीन हैं उस पर हमारे सदन की मर्यादा और इज्जत निर्भर है और यदि आप कोई ऐसी व्यवस्था देते हैं कि जिस से कि किसी पार्टी पर विशेष असर पड़ता है और उसके सम्बन्ध में कुछ कहने भी नहीं देते हैं तो ऐसी हालत में हमारा यहां बैठना मुनासिब न होगा। इसलिये हम अपने साथियों के साथ एक घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(समाजवादी दल के कुछ सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—इस समय कोई प्रार्थना आप नहीं कर सकते, मैं दूसरा विषय ले रहा हूं, आप बैठ जायं। माननीय केशरी प्रसाद जी, मेरा निवेदन था कि .....

श्री कृष्णा—श्रीमन्, हम नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आप हमे मजबूर कर रहे हैं, म[redacted] तो आप करते रहिये ।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त नहीं सुना जायगा, बाद में आपको जो कहना हो वह कह लें, अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, एक बात कहने को केवल आप आज्ञा दें···

श्री अध्यक्ष—श्री केशरी प्रसाद जी, जब विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है ····

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, एक प्रार्थना मेरी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने कह दिया कि मैं इजाजत नहीं देता, आप बैठ जायं ।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस तरह से तो फैसला होगा··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि आप (सरकारी दल) लोग भी शांत रहें हमारी आप की शोभा इसी में है कि हम उदार रहें, यह उचित नहीं है कि हम हंसी और मजाक करें । सब लोग शांति से बैठें । मैं श्री केसरी प्रसाद से कह रहा था ·····

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, इसके विरुद्ध हम एक घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(माननीय सदस्य अपने दल के सहित सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—मेरी मंशा यह नहीं थी कि मैं किसी माननीय सदस्य को गेगे कहूं लेकिन क्योंकि माननीय गेंदा सिंह जी से कुछ बातें हो चुकी थीं, इसलिये आशा करता था कि जो उन की पार्टी के लोगों को तो वह सब बातें मालूम होंगी, इसी कारण से मैं नहीं चाहता था कि उन की पार्टी का कोई खड़ा हो । दूसरे यह कि कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो ····

श्री मैनेजर सिंह—यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, गेंदासिंह जी की पार्टी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी वर्ना हमारा यह इरादा नहीं है कि किसी माननीय सदस्य को गेग करें और न हम ऐसा कभी भी सोच सकते हैं । अब एक पत्र नेता विरोधी दल का आया है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—एक निवेदन करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—मैं कुछ कहना चाहता हूं । मैं व्यवस्था के खिलाफ कतई कुछ नहीं कहना चाहता, न कुछ करना चाहता हूं ····

श्री अध्यक्ष—आपकी पार्टी के नेता ने कहा—हम जा रहे हैं—एक घंटे के लिये फिर आप बीच में कैसे आ गये ।

श्री शिवनाथसिंह—आपकी व्यवस्था के विरुद्ध कभी बीच में उठ कर टोकना या अव्यवस्था पैदा करना मैं उचित नहीं समझता और न मैं कभी बीच में टोकना पसन्द करता हूं ···

श्री अध्यक्ष—आप उसी का सबूत दे रहे हैं । आप बाद में पूछियेगा । इस समय कोई सवाल नहीं होगा ।

श्री शिवनाथसिंह—चूंकि आपकी व्यवस्था चल रही थी··

श्री अध्यक्ष—आप बैठते हैं कि नहीं, ···

श्री शिवनाथ सिंह—मैं बैठता हूं। लेकिन कुछ कहना चाहता था विशेषाधिकार के बारे में, आप सुन लेते....

श्री अध्यक्ष—आप बाद में कह सकते हैं।

श्री शिवनार्थासिंह—बाद में कहने का कोई महत्व नहीं रह जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, नहीं तो मैं आपको इंगित कर दूंगा। या तो आप जायं या बैठें।

श्री शिवनार्थासिंह—अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सदन का त्याग करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री शिवनार्थासिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

सदन के विभाजन के संबंध में नेता विरोधी दल का पत्र

श्री अध्यक्ष—अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय नेता विरोधी दल ने पेश किया है और मैं चाहता हूं वह सदन के सामने आ जाय ताकि मेरी पोजीशन भी क्लीयर हो जाय और माननीय सदस्य भी मेरी ऐग्जेक्ट पोजीशन को समझ लें। नेता विरोधी दल का यह पत्र आया है—

"आज जब याचिका के सम्बन्ध में सदन का कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया तो उस समय मैंने आपसे विभाजन की मांग करते हुये यह मांग की थी कि लाबीज में विभाजन कराया जाय। परन्तु आपने माननीय सदस्यों को लाबी में न भेज कर हाथ उठवा कर मत प्राप्त कर लिया जो कि प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विभाजन नहीं था। नियम ३ के अन्तर्गत विभाजन नहीं था। परिभाषा इस प्रकार दी गई है।

"विभाजन" का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों में भेज कर या किसी अन्य ऐसी रीति का अनुसरण करके जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ओर मतदान करने वाले सदस्यों की सूची बन सके, मत लेने से है,"

चूंकि आपने हाथ उठाकर मत प्राप्त कराया जिससे मत देने वाले सदस्यों की सूची नहीं बन सकी, इसलिये मैंने जिस विभाजन की मांग की थी वह विभाजन नहीं हुआ। नियम २९८ के अन्तर्गत मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा लिये जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेगा तो विभाजन द्वारा लिये जायेंगे। अंग्रेजी नियमावली में इसके लिये शब्द "शैल" का प्रयोग किया गया है। तो यदि किसी सदस्य द्वारा विभाजन की मांग होती है तो माननीय अध्यक्ष के लिये अनिवार्य हो जाता है कि नियम ३ में विभाजन की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार विभाजन कराया जाय। नियम २९८ के परन्तुक में अध्यक्ष को यह अधिकार अवश्य है कि यदि वह समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है तो वे हाथ उठवाकर विभाजन करवा सकते हैं। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि परन्तुक नियमावली में इस लिये रखा गया है यदि कोई सदस्य इसका दुरुपयोग करे तभी इसका प्रयोग होना चाहिये। और आज मैंने जो मांग की थी वह विभाजन की पहली मांग थी। अस्तु उसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त जहां तक मुझे ज्ञान है हाउस आफ कामन्स या अन्य व्यवस्थापिका सभाओं में यदि विरोधी दल के नेता द्वारा कभी विभीजन की मांग की गई हो तो उससे कभी इंकार नहीं किया गया है।

मुझे आप के आज के रवैये और स्टैन्ड से बहुत खेद है। आज का आपका रवैया नेता विरोधी दल के सम्मान की घटाने का प्रयत्न किया गया है। आप जो कि हमारे हितों के संरक्षक हैं उनके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैंने यह पत्र बहुत दुखी: हो कर लिखा है। मैं आशा करता हूं भविष्य में जब कोई सदस्य विभाजन की मांग करता है, जब तक वह अनावश्यक नहीं, आप लाबीज में ही करावें।

मैं आशा करता हूं कि आप अपने निर्णय को सदन की अगली बैठक में सही करेंगे ।

"धन्यवाद ।"

अब मैंने जो लिखा है वह इस प्रकार से है :—

नियम २९८ के मूल उपबन्ध में यह अवश्य लिखा है कि "यदि कोई सदस्य ऐसा (विभाजन द्वारा मत लेना) चाहेगा तो विभाजन द्वारा लिये जायेंगे" । "यद्यपि मूल उपबन्ध के विना परन्तु की सहायता से देखा जावे तो आपका तर्क कि किसी सदस्य की मांग पर विभाजन कराना अनिवार्य है, सही प्रतीत होता है किन्तु निर्वाचन के नियमानुसार हमें नियम २९८ की शब्द रचना का ध्यान रखना पड़ेगा और पूरे नियम को ध्यान में रखकर उसके आशय को विनिश्चित करना पड़ेगा । यदि मूल मांग को केवल देखा जाय तो प्राग्दर्शन में वह अवश्य आदेशात्मक प्रतीत होता है, लेकिन परन्तुक के साथ पढ़ने पर पूरा नियम केवल निर्देशात्मक (Directory or optional and not fundamental or mandatory) ही रह जाता है । परन्तुक में स्पष्ट रूप से विहित है कि यदि अध्यक्ष ऐसी मांग को अनावश्यक समझें तो केवल हाथ उठाकर मत ले सकेंगे जिसका मतलब यह हुआ कि पूरा नियम अध्यक्ष के इस विवेक पर निर्भर है कि विभाजित कराना किसी विशेष विषय पर आवश्यक है या नहीं ।

मैं आपके इस तर्क से अपने आप को असहमत पाता हूं कि विभाजन की आवश्यकता केवल इस प्रश्न पर निर्भर करती है कि विभाजन की मांग का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं । दुरुपयोग (abuse of the rules) एक बात है और अनावश्यक दूसरी बात है । यद्यपि यह सत्य है कि आवश्यकता की परिधि के भीतर नियम का दुरुपयोग आ जाता है किन्तु आवश्यकता शब्द अपने अर्थों में विस्तृत है । मैं समझता हूं कि विभाजन उस दशा में भी अस्वीकृत किया जा सकता है जब कि अध्यक्ष के मत में विभाजन की मांग का विषय, उस विशेष अवसर के लिये, महत्व पूर्ण न हो । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक विषय पर तीन-चार दिन से सदन में चर्चा होती रही हो, और जब चार्चा समाप्ति पर हो, उस समय उस विषय को स्थगित करने की मांग की जाय, तो ऐसी मांग को नियमों के दुरुपयोग के अतिरिक्त कहा जा सकता है कि वह अत्यन्त विलम्बित है और इतनी चर्चा के बाद नितान्त अनावश्यक है ।

आपने हाउस आफ कामन्स तथा अन्य व्यवस्थापिक संस्थाओं का उल्लेख किया है किन्तु मुझे कहीं इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिला कि नेता विरोधी दल के विभाजन की मांग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । मेरा निश्चित मत है कि मांग चाहे वह किसी प्रकार की हो, और चाहे वह नेता सदन या नेता विरोधी दल के द्वारा हो क्यों न प्रस्तुत की जाये, आदर व सम्मान के पात्र होते हुये भी, अध्यक्ष के विवेक का अपहरण नहीं कर सकते । स्मरण रहे कि अध्यक्ष का आदेश सदन के आदेश के तुल्य है और उससे किसी व्यक्ति विशेष व दल विशेष के मान असम्मान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपन मेरे पत्र का उत्तर दिया । मेरे पत्र की एपेसिफिक घटना उस दिन की है और आपने जो यह कहा कि ३,४ दिन से विवाद चल रहा हो उसके लिये कोई नयी बात नहीं है कि विभाजन हो । श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि मुनासिब ध्यान की परिभाषा क्या है क्योंकि जब वह याचिका आयी तो सारी पृष्ठ भूमि ही बदल गयी । याचिका आने का मतलब यह हुआ कि पेटीशन कमेटी के सामने मामला जायगा । अब पटीशन कमेटी का डेसीजन फेटर नहीं होना चाहिये । वह उसको सही मान सकती है या कह दे कि गलत है । अगर उसने गलत कह दिया तो सारा विवाद व्यर्थ हो जायगा । मैं समझता हूं कि सदन का समय व्यर्थ नष्ट न हो । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अब इस पृष्ठ भूमि में आप विचार करें और फिर से निर्णय दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, मैं सोचूंगा ।

सूचना मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, खासतौर से मैं माननीय दुबेजी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि ५ तारीख को इस विधेयक पर आम विवाद खत्म होने वाला था लेकिन माननीय दुबेजी का खासतौर से सुझाव यह था कि ७ तारीख तक इस विधेयक पर आम बहस चलती रहे और सब नेताओं ने मिल कर बाद में फैसला भी किया कि १० और १२ तारीख को यह विधेयक पूर्णतया पारित किया जाय। तो एक फैसला सब लोगों ने मिल कर किया और संसदीय प्रणाली का यह एक भाग रहा है कि जो फैसला नेता बाहर करते हैं उसका पालन होता है। इसलिये मैं यह नहीं समझ पाया कि यकायक याचिका की धारणा माननीय नेता विरोधी दल के दिमाग में ७ तारीख को कैसे आयी। जिस वक्त ५ तारीख को उन्होंने यह फैसला किया तब उनके दिमाग में यह चीज नहीं होगी। बल्कि उन्होंने यह भी कहा था कि वे स्वयं ७ तारीख को इस पर बोलना चाहते हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। इसलिये याचिका का सवाल मैं समझता हूं कि जैसे थोड़ी बहुत जमनास्टिक होती है इसलिये लाया गया।

श्री अध्यक्ष—एक भ्रम है। याचिका जो है 'It is presented by persons other than a member' तो याचिका दूसरों की है, इनकी नहीं। हो सकता है कि हमारा और आपका मतभेद हो। बाद में हम और आप मिल कर बातचीत कर लेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, वीरसेन वाले पर क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष—वह तो खारिज हो गया। आप सुनते नहीं हैं, आप अपनी धुन में रहते हैं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है वह बड़ी अहमियत का है और मैं समझता हूं कि आप इस पर थोड़ा सा समय हम लोगों को दें।

श्री अध्यक्ष—जहां तक माननीय भगवान सहाय की बात का संबंध है, मैंने अपनी बात कह दी कि यह मेरा दृष्टिकोण है। अगर इस दृष्टिकोण को कोई बदलवाना चाहता है तो कक्ष में आकर बातचीत कर सकता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—आपने कहा था मुझे निवेदन करने के लिये मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—किस विषय पर ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—जिस पर आपने वक्तव्य दिया था कि सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता रहेगी।

श्री अध्यक्ष—हां, मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता रहेगी, बस खत्म हुआ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, आपने विशेषाधिकार के सिलसिले में विशेषरूप से कहा था।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये मैंने कहा था कि गैग करने की मंशा नहीं थी। मैं सब व्यक्तियों को अधिकार देता हूं कि वे बोल सकते हैं।

२३ अप्रैल, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १० के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—२३ अप्रैल, १९६२ को श्री तेजसिंह के तारांकित प्रश्न संख्या १० से संबंधित श्री तेजसिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक २३ अप्रैल, १९६२ को श्री तेजसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० के संबंध में श्री तेजसिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि रेवेन्यू मैनुअल के आर्टिकिल ४७५ में लिखा है कि—

Certain land, whether cultivated, culturable or barren, may have a special market value exceeding its market value as agricultural land owing to it proximity to a town or large village and its potential value as a building site."

तो यह कितनी भूमि ली जा रही है वह किसी पब्लिक परपज के लिये नहीं ली जा रही है, उसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्वायर कर रहा है जो आगे उसे बेचेगा। इस वक्त उसकी स्पेशल मारकेट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या मंत्री जी लैंड एक्वीजीशन आफिसर को आदेश देंगे कि इस जमीन की स्पेशल मारकेट वैल्यू लगाकर एक्वायर किया जाय ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि हमारा जो कानून है उसके अनुसार प्रेजेंट मारकेट वैल्यू दी जा सकती है। उसके साथ कोई हार्डशिप न हो इसलिये १ फरवरी, १९६२ को जो मारकेट रेट्स थे, क्योंकि वहां बहुत से बाहर के लोग जमीनें खरीद रहे थे, उसका या जो भी मौजूदा रेट होगा वह स्वयं ही आ जायगा, इसलिये जो किया जा रहा है उसी से वह चीज पूरी हो जाती है।

उक्त उत्तर में तिथि गलत थी जिसका पता बाद में चला। सही तिथि १६ जुलाई, १९६० है। उक्त उत्तर इसी प्रकार संशोधित रूप में पढ़ा जाय।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १२८ पर)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद १ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विधान भवन के फाटक बंद होने के कारण सदस्यों के अन्दर आने में रुकावट के सम्बन्ध में शिकायत

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। मैं और माननीय रामायण राय जी अभी आध घंटे से खड़े-खड़े गेट पर जिसे वाच ऐंड वार्ड ने बन्द कर रखा है, हम लोग खड़े होकर बार-बार कह रहे थे कि हम लोग माननीय सदस्य हैं और सदन की सेवा में आ रहे हैं, हम को कार्य करने का मौका दिया जाय। बड़ी लड़-झगड़ के बाद हम लोग भीतर आये। गेट पर मान्यवर लाठी लेकर पुलिस खड़ी है और माननीय सदस्यों को गेट के अन्दर घुसने नहीं दिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बरदाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह से जनतंत्र नहीं चल सकता है जिस तरह से यहां पुलिस व्यवहार कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह आप का हुक्म है या किस का हुक्म है, जिसके हुक्म से यह तानाशाहियत इस सदन के अन्दर बढ़ती जा रही है। मैं आपके जरिये पुलिस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने की सूचना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अभी दरियाफ्त करूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं व्यवस्था चाहता हूं। जो मेम्बर खड़े हैं, जो सदन की सेवा से दस मिनट के लिए वंचित किये गये हैं, उनको इजाजत दें कि वह आयें।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है । इस को मालूम किया जा रहा है । एक तरफ से तो कोई बात होती नहीं है । मैं थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---आप जो कुछ करेंगे वह शिरोधार्य है । लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन पुलिस वालों को जो गेट के अंदर हैं, उनको बाहर करवाएं । यहां बलवा नहीं होने जा रहा है, जो मुख्य मंत्री को घबराहट हो ।

श्री उपाध्यक्ष---अभी पता लगाने गये हैं, आ जायं ।

***श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)---मान्यवर,मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । मैं आज जब सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहा था तो विधान भवन का जो बड़ा फाटक है और दूसरा फाटक है, जिससे हम लोग प्रतिदिन आया करते हैं, उन पर कुछ लट्ठधारी पुलिस वाले खड़े थे । उन लोगों ने यह कहा कि हम लोगों को आदेश हैं कि हम आपको भीतर न आने दें । मैं जानना चाहता हूं, मान्यवर, कि किस की आज्ञा थी, किसके आदेश से ऐसा हम लोगों से कहा गया क्योंकि अभी आपने माननीय सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, नहीं ।

श्री रामायणराय---आपने स्वयं इस बात को कहा है कि किसके आदेश से यह व्यवस्था वहां चल रही है। तो मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदन के सदस्यों का जो मौलिक अधिकार है सदन में भाग लेने का, उस मौलिक अधिकार से हम को किसने वंचित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह सब बात दरियाफ्त करके . . . .

श्री विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)---आइडेंटी कार्ड उनके पास था या नहीं, इसके बारे में साफ हो जाय ।

श्री रामायणराय---उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड के संबंध में कहा है, तो सब की आइडेंटी जनता को मालूम है, आपको भी आइडेंटिटी जनता जानती है । जहां तक मान्यवर, आपने आइडेंटिटी कार्ड ईशु कर रखा है उन जाहिल सिपाहियों के लिए, वह आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास रखा हुआ है । आप चाहें तो देख सकते हैं । शर्म नहीं आती है, जनतंत्र की बड़ी हामी भरी जाती है और माननीय सदस्यों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है । (शोर)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---(शोर के बीच) . . . . . अगर आप पुलिस की ताकत रखते हैं तो हम इस पुलिस का भी मुकाबला करना जानते हैं, लेकिन हम अहिंसा को मानते हैं . . . . .

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रूखाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको आइडेंटिटी कार्ड के होते हुए भी गेट के बाहर अभी नहीं रोक रखा गया ? (व्यवधान) एक बात सुन लें । आइडेंटिटी कार्ड की बात कही गई । उन सदस्य महोदय के पास आइडेंटिटी कार्ड है जो यह एतराज उठा रहे हैं लेकिन उनको स्वयं उस कार्ड के होते हुए भी जाने की अनुमति नहीं मिली । मैं भी वहां मौजूद था । जो यह एक घंटे का समय हम लोगों को मिलता है वह उसमें इस प्रकार से गेट बन्द करना और हम लोगों को रोकना, बिलकुल गलत बात है । इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय से कहा, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे लेकिन यह आइडेंटिटी कार्ड न होने की बात जो कही गई, यह बिलकुल गलत है ।

श्री रामायणराय---मेरे संबंध में यह कहा गया । मैं आपकी सेवा में अपना परिचय पत्र भेज देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिए। कौन मैंने आपसे परिचय-पत्र पूछा है ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि कहीं आप पुलिस के संरक्षण में तो नहीं चले गये हैं जैसे कि अध्यक्ष महोदय चले जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कटाक्ष करने की बात तो नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैंने तो इसलिये पूछा कि कंन्ट्रोल आपके पास है या किसी और के पास। अगर आप के पास है तो मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप मेरे ऊपर कटाक्ष क्यों करते हैं। उन्होंने एक बात कही....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं केवल यही पूछ रहा था कि कंट्रोल आपने अपने पास रख रखा है या ट्रांसफर कर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—स्पीकर साहब की तरफ से या मेरी तरफ से किसी प्रकार का कोई आर्डर नहीं है। अब बात हो गई।....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो यह आपके द्वारा मैं प्रिविलेज का नोटिस देता हूं जिन्होंने रामायणराय जी और नरसिंहनारायण को यहां आने से रोका है उनके खिलाफ।

श्री रामायण राय—मान्यवर, आपके द्वारा यह जानकर हमें बहुत ही दुख है कि आपके आदेश के बिना हमें सदन में आने से इस राज्य सरकार की पुलिस ने रोका है। हमारे जो यह अधिकार छीन लिये गए हैं और हमारे विशेषाधिकार की इस तरह से अवरोध करके जिन लोगों ने अवहेलना की है उनके खिलाफ मैं विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना आपको देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—देखिए, आप लिख कर भेजिए।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय से आपको सूचना देना अनिवार्य है इसलिए मुझे दस मिनट तक सदन की सेवा से जो रोका गया है यह अवैधानिक तरीके से रोका गया है और केवल मुझी को नहीं रोका गया है बहुत से सदस्य अभी भी गेट के बाहर खड़े हैं। उनको रोका जा रहा है। और आप कहते हैं आपकी इजाजत नहीं है, जब आपकी इजाजत नहीं है तो पुलिस यहां तक आयी कैसे ? पुलिस कैसे अन्दर खड़ी है ? डंडे लगाकर के एक दूसरे से जुटकर के अवरोध कर रही है।.....

श्री उपाध्यक्ष—जरा सुनिये। मैंने अभी मार्शल को भेजा था। मार्शल ने आकर मुझसे यह कहा कि इस वक्त कोई रोक नहीं है। उस वक्त में जब आपको रोका हो उसकी बात तो हम जानते नहीं। लेकिन मार्शल ने इस वक्त आकर यह कहा है कि अब वहां कोई रोक नहीं है, दरवाजे खुले हुये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जब आपने स्पष्ट तरीके से यह कह दिया कि हमारा कोई हुक्म नहीं है कि अन्दर पुलिस रहे, लट्ठधारी पुलिस अन्दर रहे, तो श्रीमन्, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें। जिस तरह का जनतंत्र चल रहा है वह तो हम लोगों को मालूम ही हो गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके बिना आदेश के पुलिस अन्दर आयी है, गेट पर लाठी लेकर, मेन गेट को उन्होंने घेर रखा है, आपका कोई हुक्म नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था दें कि वह पुलिस मेन गेट के बाहर रखे जायं, गेट के अन्दर न रखे जायं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। गेट के अन्दर जो पुलिस पदाधिकारी रखे गये हैं उनको वहां से हटाया जाय।

श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—जिस समय की यह घटना है उस समय मैं वहां पर खड़ा था। वहां पर ताला बन्द था। मैं भोजन करने के लिये गया था। अभी वहां से आ रहा हूं। जो वहां पर पुलिस वाले थे मैंने उनसे जाकर पूछा कि किसकी आज्ञा से यह गेट बन्द किया है तो वह कहने लगे कि क्या फांसी दे दोगे। उन्होंने अभी उस ताले को खोला है। यह अभी दो मिनट पहले की बात है। वहां पर ताला बन्द था।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—यह घटना इस प्रकार है जिसका हमको पता है। माननीय शिवनाथ सिंह मेन गेट से अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैं भी बाहर जाना चाहता था। वह दरवाजा बिलकुल बन्द था। मार्शल की बात जो आपने कही है वह इस वक्त खुल गया होगा लेकिन उस समय मेन गेट बन्द था। हम दूसरी तरफ के दरवाजे से गये क्योंकि यह दरवाजा बन्द था। हमको सेक्रेटेरियट का चक्कर काटना पड़ा। उसके बाद जब हम लोग वापस आये तब भी वही हालत थी। मुझे दुख है कि आपकी आज्ञा के बिना सदन का काम या सदन के परिसर में पुलिस आने का काम कैसे चल सकता है या पुलिस मंत्री की आज्ञा के बिना किस तरह से यह काम होता है समझ में नहीं आता। सरकार का इसमें दोष है कि वह इस तरह के गलत काम करती है जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको और अध्यक्ष महोदय को भुगतना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सरकार को सख्त किया जाय ताकि यह आपकी बात माने और बिना आपके आर्डर के कोई काम वह न करे। हम कोई बात करते हैं तो फौरन यहां पर हमारी बात पकड़ते हैं। सरकार के इस तरह के काम समझ में नहीं आते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप हमारे साथ चलिये या कोई मंत्रिमंडल का सदस्य चले, तो हम दिखायें कि गेट अब भी बन्द है या नहीं। जो यहां पर मार्शल की बात कही गई है वह गलत बात है। इस सदन के अन्दर गलत बयानी की जाती है। ऐसी बात यहां पर कही जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। इस कारण आप इसकी तुरन्त जांच करायें। जो लोग अभी तक रोके हुये हैं उनकी आप जांच करें ताकि वे लोग अन्दर आ सकें।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोगों ने जो शिकायत की है, उसका बाकायदा नोटिस लिखकर देदें, हम इन्क्वायरी करा लेंगे। इन्क्वायरी के बाद जो कुछ बात होगी तब उसका निर्णय होगा। इस वक्त मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—इस वक्त जो माननीय सदस्य रोके गये हैं उनके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। जो सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं वह मेरे साथ चलें और चलकर वहां की स्थिति को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—अब कोई नहीं रोका जा रहा है और न रोका जायगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—प्रश्न यह है कि रेलिंग के बाहर जो स्थान है वहां पर पुलिस को होना चाहिये। (व्यवधान) पुलिस को जो गेट के अन्दर रखा गया है वह तालाबन्द करके रखा गया है। वह अन्दर क्यों बैठी हुई है? अगर ला एन्ड आर्डर को मेंटेन करना है तो बाहर रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यहां पर पुलिस ला एन्ड आर्डर को मेंटेन करने के लिये रहती है। (व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—पुलिस ज्यादती करती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—अगर पुलिस की कोई ज्यादती होगी तो उसकी जांच की जायगी। इस वक्त वह कैसे हो सकती है? आप बाकायदा नोटिस दे दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—गेट पर रोक रहे हैं। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय गेट खुला हुआ है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—जो माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं वे तो इस समय सदन में उपस्थित हैं। मेरी सूचना यह है कि क्योंकि वहां पर जलूस आया हुआ है और वह मेन गेट पर हैं। जो माननीय सदस्य मेन गेट से आते हैं जिनको वे पुलिस वाले पहिचानते हैं या वहां पर जो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं उनके लिये तो कोई आपत्ति नहीं है .....(व्यवधान)

(सोशलिस्ट पार्टी की बैंचों से बहुत शोर)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—आप गलत बोल रहे हैं। यहां पर सदन में गलत बात कही जाती है। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—यहां पर गलत बात कही जाती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, आप गलती कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—बनारसीदास जी आक्षेप कर रहे हैं। जब माननीय रामायण राय जी के पास आइडेंटिटी कार्ड है और वे दिखा सकते हैं तो उसके बाद कैसे कह सकते हैं कि वे बिना आइडेन्टिटी कार्ड के चले आये हैं। यह आक्षेप है हम लोगों पर। ऐसी बात को आप रोकिये। (शोर—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये। आपने अपनी बात कह दी, अब आप सुन लीजिये, जो कुछ भी गलत या सही, उन्होंने कहा, वह कह दिया। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास—आपकी नोटिस में यह बात लायी गयी और यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। बार-बार आज्ञा के बिना खड़े होना उचित नहीं है, और एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह शर्म की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं। ऐसी बातें सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। यहां इस प्रकार आवेश में आकर व्याख्यान देना उचित नहीं है। शांति के साथ अपनी बात आप से कही जा सकती है और अगर किसी माननीय सदस्य को तकलीफ पहुंची है, तो उसकी जांच करानी चाहिये, लेकिन इस तरह की बातों से कोई लाभ नहीं है और मैं समझता हूं कि इसे समाप्त कर अब सदन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिये।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग बैठिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला दूं, बाहर के पांचों गेट्स पर ताला पड़ा हुआ है। मैंने एस० पी० महोदय से पूछा कि ताला किस ने डाला तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। एक दूसरे गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, और यहां यह कहा जाता है कि गेट्स खुले हुये हैं। यह बिलकुल गलत बात कही जाती है।

श्री बनारसीदास—मैं श्रीमन्, इस बात पर आपत्ति करता हूं। वे अपने शब्द वापस लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। यह ठीक है कि आप को शिकायत है। आप लिख कर उसे दे दें। मैं यहां इस चेयर पर बैठा हूं, बाहर की बात कैसे जान सकता हूं। न इधर की बात कह सकता हूं, न उधर की। आप अपनी शिकायत लिख कर भेज दें, उसकी जांच की जायगी और उस पर बाद में कार्यवाही की जायगी। इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, इसलिये इस वक्त की जो कार्यवाही है, उसे चलने दें।

श्री रामायणराय—मैं दो इवीडेंस दना चाहता हूं। चूंकि आपने व्यवस्था दे दी है कि हम लोग लिख कर शिकायत दें उस पर आप कार्यवाही करेंगे, इसलिये मैं.....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कहा है कि जांच करने के बाद जो मुनासिब कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

श्री रामायणराय—मैं यह दो साक्ष आप की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त नहीं, इस वक्त आप कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, आप अगर आइडेंटिटी कार्ड देख लें.....।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'—आइडेंटिटी कार्ड के लिये मैंने आक्षेप नहीं किया था, यह कहा था कि यह उन्होंने दिखाया था, या नहीं, जो लोग फाटक के बाहर रोके गये हैं उन्होंने अपना कार्ड दिखाया या नहीं.... । (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, माननीय सदस्यों का आपस में आरोप-प्रत्यारोप करना गलत है, अच्छी बात नहीं है, यह ठीक है । आप की व्यवस्था कि लिखित शिकायत आपको दे दी जाय, और उसका जो कई लोग प्रमाण दे रहे हैं उसे आप ले लें और इसकी स्पष्ट जांच आप करायें, क्योंकि यह बात समझ में आती है कि गेट उन्होंने बंद करा दिये और इस प्रकार माननीय सदस्यों का रास्ता रुद्ध हुआ । इसकी जांच होनी चाहिये । यह अच्छा नहीं है, माननीय सदस्यों के प्रति, मैं समझता हूं कि इसमें रोष लाने की आवश्यकता नहीं है । शिकायत हो और आप उसकी जांच करें और फिर उस पर आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक बात है । यही मैंने कहा कि आप शिकायत लिख कर दे दें । मैं यहां पर था, मेरी तरफ से कोई आर्डर नहीं हुआ । जो बात होगी, उसकी जांच की जायगी ।

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, यह जो प्रदर्शन बाहर हो रहा है । (व्यवधान)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रदर्शन के कारण कुछ प्रबन्ध करने की आवश्यकता हुई । मेरा खयाल है कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि बाहर के आदमी यहां पर आयें । यह बात बिलकुल साफ है कि बहुत सी भीड़ रास्ते में यदि खड़ी हो जायगी तो यह तो तय है कि माननीय सदस्यों को आने में तकलीफ जरूर हो सकती है । आप जरा इस बात को सोचें कि क्या यह सरकार का आशय हो सकता है कि आदरणीय सदस्य यदि यहां आना चाहते हैं तो अधिकारी लोग उनको यहां न आने दें और मनाही कर दें ? यह मतलब सरकार का कभी नहीं हो सकता है । अगर किसी कर्मचारी से भूल हुई तो सरकार उसके लिये खेद प्रकट करेगी । लेकिन जो चीज अनिवार्य है कि अगर सैकड़ों आदमियों की भीड़ है और सदस्यों को आने में दिक्कत होती है तो उसके लिये यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अपना आइडेन्टिटी कार्ड दिखाइये । मैं यह मानता हूं कि उसमें कुछ थोड़ी सी असुविधा माननीय सदस्यों को हो सकती है । एक बात और है कि सब दरवाजे न खोल कर एक ही दरवाजा खोल दिया जाय, जिससे आदरणीय सदस्य आ जायें । मेरी जानकारी यह है कि जिस समय यहां रामायण राय जी आ रहे थे तो यहां एक भाई जो बैठे हैं वे भी आ रहे थे, उन्होंने यह कहा कि एक तरफ से दरवाजा बन्द था तो दूसरी तरफ से वह चले

आये । अभी जैसा कि आपने कहा कि इन सब बातों की जानकारी करेंगे, तो जो भी आप अपना उस संबंध में निर्णय देंगे, वह हमें शिरोधार्य है । अब मैं आशा करता हूं कि सदन की कार्य-वाही चलने दी जायगी और सब माननीय सदस्य उसे शांति से सुनेंगे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या इस रोक से माननीय मंत्री जी अपने को सम्बद्ध करते हैं, जो बाहर हो रही है ?

*उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत) खण्ड—२ †

श्री उपाध्यक्ष—इस वाद-विवाद को छोड़ कर अब कार्यवाही प्रारम्भ होती है। माननीय कमला सिंह जी ने जो सवाल उठाया और जो यह संशोधन पेश हुआ है.....

**श्री कमलासिंह यादव (जिला गाज़ीपुर)—मैं उस समय जब यह कह रहा था तो सदन उठ गया, इसलिये अब मैं कुछ कहना चाहता हूं उसी विषय पर ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह संशोधन है जो श्रीमन् अग्रवाल साहब ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह आउट-आफ-आर्डर है । उसका पहला कारण यह है कि जो डिफनीशन दी गई है, वह डिफनीशन कहीं भी विधेयक के अन्दर अगर आप देखें, तो उसमें कहीं भी छावनी या कन्टूनमेंट का जिक्र नहीं है । कोई भी चीज जिसका विधेयक में शुरु से आखिर तक जिक्र न हो, किसी डिफनीशन के अन्दर उसको ले आना, मैं समझता हूं कि इस विधेयक से परे है ।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक इस विधेयक का सवाल है, कन्टूनमेंट एरिया म्यूनिसि-पैलिटीज से परे होता है । कन्टूनमेंट एरिया मिलिटरी का एरिया कहलाता है । मिलिटरी के लोग ही उसका शासन करते हैं । ज्यादातर देखा जाता है कि कर्नल वगैरह जो मिलिटरी के होते हैं, वे ही अध्यक्ष होते हैं । मेम्बर्स नामिनेट किये जाते हैं, चुने नहीं जाते हैं । म्युनिसि-पैलिटीज और नागरपालिका का कानून उस पर लागू नहीं होता है । इस तरीके से कन्टूनमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, और बिलकुल परे है, म्युनिसिपैलिटीज बोर्डस या नागर क्षेत्र से । दूसरी चीज यह है श्रीमन् कि जहां तक कैनटोनमेंट या छावनी का संबंध है, शुरू में माननीय मंत्री जी से पूछा गया था । उन्होंने कहा था कि कैनटोनमेंट पर किसी किस्म का टैक्स वह नहीं लगाने जा रहे हैं । ज्ञापन-पत्र जो उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि छावनी के ऊपर इतना टैक्स लगेगा । तो ज्ञापन और डेक्लेरेशन से स्पष्ट है कि उनका मंशा टैक्स लगाने का नहीं था ।

तीसरी चीज यह है कि कैनटोनमेंट एरिया नगर या म्युनिसिपैलिटी एरिया से भिन्न है । नया टैक्स बिना गवर्नर की सेंक्शन या रिकमेंडेशन के नहीं लाया जा सकता है और गवर्नर सेंक्शन नगर या म्युनिसिपैलिटी के लिए है । इसमें लिखा है कि "नगरों और शहरों के बढ़ते हुए महत्व को और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार को अपेक्षाकृत अधिकाधिक उत्तरदायित्व वहन करना होगा, यह उचित समझा गया है कि समाज के पूर्ण लाभ के लिए नागर क्षेत्रों में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों के पूंजीगत मूल्य पर कर आरोपित किया जाय ।"

तो जहां तक नागर क्षेत्रों का सवाल है उससे बिलकुल भिन्न छावनी एरिया है जो जो कानून आप नागर क्षेत्रों, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया पर लगाते हैं वह कैनटोनमेंट एरिया पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन के वह नहीं आ

---

*२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।
†७ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से ।
**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

सकता । जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसके दायरे को दो ही तरीके से बदला जा सकता है । या तो आप इसे वापस लें और फिर से ले आवें रिकमेंडेशन के साथ या कैन-टोनमेंट एरिया के लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन के साथ अलग से विधेयक लावें ।

मैं इस सिलसिले में लोक सभा की कुछ रूलिंग्स उपस्थित करना चाहता हूं । श्रीमन्, धन से संबंधित जितने बिल होंगे उसके लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन और सेंक्शन बहुत जरूरी होती है । कैनटोनमेंट एरिया के लिए कोई रिकमेंडेशन या सेंक्शन नहीं है, इसलिए यह जो अमेंडमेंट आया है यह एक नया टैक्स लगाने के लिए है, क्योंकि जो प्रोपोज किया गया है वह छावनी एरिया के लिये नहीं किया गया है । अब मैं रूलिंग पढ़ना चाहता हूं । यह लोक सभा की कलेक्शन आफ रूलिंग्स, १९५७ की है उसके १०२ पेज पर दिया हुआ है—६८ नम्बर की है,

"On the 21st April, 1956, during the clause by clause consideration of the Finance Bill, Shri T. N. Viswanatha Reddy sought to move the following amendment to clause 34 of the Bill :

117 "page 18—*after* line 28, *insert*—

"Vegetable non-essential oils, all sorts in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on without the aid of power."

Ruling the amendment as out of order, the Speaker observed :—

"Amendmet no. 117 of Shri Viswantha Reddy is out of order because he wants to add a new category of taxes. By that amendment he wants that a tax of Rs. 35 per ton should be imposed on vegetable non-essential oils of all sorts in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on without the aid of power. Without the sanction of the President no tax can be imposed, but there can be reduction. Therefore, amendment no. 117 in out of order."

एक सदस्य—यह किसी मिनिस्टर साहब ने पेश किया था या कोई गैर सरकारी प्रस्ताव पर था ?

श्री कमलासिंह यादव—यह तो इसमें लिखा नहीं है । आप पढ़ लीजियेगा । यहां पर भी तो किसी मिनिस्टर साहब ने पेश नहीं किया है, माननीय जगदीशशरण जी ने पेश किया है ।

तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को सदन अगर स्वीकार करता है तो छावनी और कैन्टोनमेंट एरिया में जहां पर कि अब तक कभी टैक्स नहीं लगा, वहां पर भी टैक्स लग जायेगा और वह उस सूरत में एक नया टैक्स होगा और जब नया टैक्स होगा तो वह आउट आफ आर्डर होगा और लोक सभा की यही रूलिंग इस संबंध में है । इससे तो आप उसका स्कोप बढ़ा रहे हैं और जब उसका स्कोप बढ़ जायेगा तो यह विधेयक से परे है । पृष्ठ ५२ पर ४२ नम्बर के प्रश्न को आप इसी में देखें—

"On the 27th August, 1951 during the clause by clause consideration of the Government of Part C States Bill, Shri R. K. Sidhva sought to have two amendments to clause 3 as follows ;

(i) * * *

(ii) Amendment proposing merger of Ajmer and Bhopal into Rajasthan and Vindhya Pradesh, respectively (Amendment no. 38

On an objection having been raised by the Minister of States (Shri N. Gopalaswami Ayyangar) that the amendments were not admissible, the Deputy Speaker observed :

"A point of order has been raised regarding the admissibility of the amendments tabled by Mr. Sidhva. Both are connected in that one wants to delete Ajmer and Bhopal from the list of States regulated by this Bill and the other that they must be merged with the States of Rajasthan and Vindhya Pradesh respectively. Objection has been raised to the amendments as being out of order on the ground that they involve a constitutional change under Article 3 of the Constitution. Mr. Sidhva evidently accepts this position that it comes under Article 3. Unfortunately Article 3 requires the President's previous approval, recommendation or initiative and such a thing has not happened so far as this matter is concerned. Thereafter it does not satisfy the provisions of Article 3 of the Constitution..... I feel that there is much more serious objection to Shri Sidhva's second amendment. It is beyond the scope of the Bill. The Bill contemplates the provision of Legislatures for Part C States and those States are assumed to be separate entities in the Bill. On that single ground I rule the amendments as out of order."

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस हिस्से को हम अभी छोड़ दें और आगे बढ़ें। इसके ऊपर बाद में निराकरण हो जाय। ऐसा पहले भी हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह चाहता हूं कि जिन सज्जन को जो कुछ कहना हो, वह कह लें। उसके बाद इसे पोस्टपोन करके आगे बढ़ेंगे। फिर इस पर रूलिंग हो जायेगी।

श्री कमलासिंह यादव—पेज ६३ पर ४७ नम्बर की रूलिंग है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं—

"Bills : Amendments : Recommendation of the President under Article 274 of the Constitution not required to amendments which seek to reduce a tax or duty or to vary the limits of exemption : Amendments seeking to enhance the tax or duty : Recommendation of the President necessary."

तो जहां तक इस टैक्स का सम्बन्ध है, हम एक नया टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसलिये आर्टिकिल २७४ के अन्दर भी रिकमेंडेशन जरूरी है।

"On the 9th September, 1953, a question arose whether these amenments required the President's recommendation under Article 274 of the Constitution. On the 10th September, 1953, the Deputy Speaker gave his ruling on the question as follows :

Hon'ble Members are aware that a point of order had been raised from both sides with respect to some amendments relating to clause 34, and also regarding the proposed amendments to the amendment moved by the Finance Minister regarding the Second Schedule seeking to include the rates of duty. In so far as may any amendment seeks to increase the rate of duty, it is common ground that both under Article 274 and Article 117 of the Constitution, it requires previous recommendation of the President or the sanction of the President.

Doubts were raised regarding the other one. It was contended that under Article 274—which is a separate Article when the States are interested in a particular duty or the imposition or the variation of a tax, the previous sanction of the President to the amendment or to the Bill is necessary."

श्री उपाध्यक्ष—समय बचाने के लिये आप केवल हवाला दे दीजिये, पढ़ लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—रूलिंग तो बहुत लम्बी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूं।

"It was contended that under Article 274 which is a separate Article when the States are interested in a particular duty or the imposition."

'इम्पोजीशन' शब्द पर मैं जोर देना चाहता हूं क्योंकि यह नया टैक्स लगने जा रहा है—

"or the variation of a tax, the previous sanction of the President to the amendment is necessary."

तो यह वैरियेशन का ही सवाल नहीं है, बल्कि इम्पोजीशन का भी सवाल है। इसलिये प्रीवियस सैंक्शन या रिकमेंडेशन अवश्य होनी चाहिये।

अब एक और रूलिंग नम्बर ४४ पृष्ठ ५५ की मैं पेश करना चाहता हूं।

"Bills : Amendments : Amendments going beyond the scope of the Bill out of order.—The scope of the Bill is very limited as appears from the preamble: 'to provide for the formation of the State of Andhra, the increasing of the area of the State of Mysore and the deminishing of the area of the State of Madras, and for matters connected therewith" So that any attempt at increasing the area of any other State is outside the scope of the Bill."

चूंकि इस विधेयक में कहीं भी छावनी का जिक्र नहीं है, इसकी अलहदा आइडेंटिटी है। यह डिफेंस डिपार्टमेंट से गवर्न होता है। उस एरिया पर जो इस विधेयक की रीच से बाहर है आप टैक्स लगाना चाहते हैं। इसलिये भी यह संशोधन आउट आफ आर्डर है। यह स्वीकार नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, जो संशोधन अग्रवाल साहब ने पेश किया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। जैसा कि रूलिंग्स की ओर मैंने, श्रीमन् का ध्यान दिलाया है, आप उन्हें देखते हुए अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। इस विधेयक के सम्बन्ध में सदन के सभी माननीय नेताओं ने तय किया था कि आज १० तारीख को ५ बजे तक और १२ तारीख को ४ बजे तक यह विधेयक पारित होना है। इस दृष्टि से आप थोड़ा समय का ध्यान रखें और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इसी दृष्टि से बहस को संतुलित करने की कोशिश करेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—उसमें से इतना समय निकाल दिया जाय जितना कि इस संशोधन की बहस में लग गया है। ५० लाख का टैक्स लगा रहे हैं और चाहते हैं कि उस पर कोई बात कही न जाय। मंत्री जी यह भी सोचें कि यह नया संशोधन करके नया टैक्स लगा रहे हैं जो कि असामयिक और गलत है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—अगर माननीय बनारसीदास जी इस संशोधन को वापस ले लें तो समय बच जायगा।

श्री बनारसीदास—यह तय हुआ था कि सरकारी संशोधनों को शुरू में ही पढ़ दिया जायगा और अगर मंत्री जी उन्हें मान लेते हैं तो उन पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय रामसुन्दर जी मौजूद हैं। डाक्टर जेड० ए० अहमद भी थे। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय उस समय मौजूद थे।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय बनारसीदास जी ने कहा, यों तो मैं उस दिन नहीं था, लेकिन जब ऐसी चीज तय हो

गई थी तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी पाबन्दी करता। लेकिन चूंकि नया संशोधन आया है इसलिये मैं बोलने के लिये मजबूर हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी के संशोधन की मैं मुखालिफत करता हूं। मुझे बड़ा अफसोस और ताज्जुब है कि जगदीशशरण अग्रवाल जी यह संशोधन लाये हैं। अगर यह संशोधन किसी और माननीय सदस्य द्वारा लाया गया होता तो मैं समझ सकता था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अभी तो यही तय नहीं हुआ कि संशोधन आ भी सकता है या नहीं। आपने रूलिंग ही नहीं दी है तो संशोधन पर बहस का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जो आपत्ति है, उसी पर बोलिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के करीब ३० हजार आदमी जलूस में आये हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे थोड़ी देर के लिये हाउस को बन्द कर दें और स्वयं देख लें कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उसकी क्या हालत है। उनको देख कर शायद सरकार के दिल पर कोई प्रभाव पड़े और जो टैक्स का भार उनके ऊपर सरकार लाद रही है, उसको कम करने को सोचें।

श्री बनारसीदास—जनता के प्रतिनिधि तो श्री राम सुन्दर पांडेय जी यहां मौजूद ही हैं, हमारे ऊपर उनकी भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ेगा इसलिये वहां जाने की जरूरत नहीं है।

श्री भगवानसहाय—श्रीमन्, जो बिल पहले आया था वह नगरपालिका, नगरमहापालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज से संबंधित था, उसमें कैन्टोनमेंट बोर्ड मौजूद नहीं था। इसलिये इस समय वह अमेंडमेंट के रूप में नहीं आ सकता। वह अलहदा बिल की शक्ल में तो आ सकता है अथवा पहले से ही उसको इस बिल में रखा जाना चाहिये था। इस के अलावा इस पर माननीय राज्यपाल महोदय की इजाजत लेनी चाहिये थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस बारे में माननीय राज्यपाल की स्वीकृति ली या नहीं ?

इसके अलावा ये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की प्रापर्टी है अतः इस सरकार के कानून वहां लागू नहीं हो सकते। उन पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को है।

इसमें एक बड़ी भारी वैधानिक आपत्ति भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने ला डिपार्टमेंट की इसमें राय ली है अथवा नहीं ? इसमें यह भी नहीं बताया गया कि इस बिल से कितनी आमदनी होने वाली है। वह भी हमें मालूम होना चाहिये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। मैं ४१ वर्ष से कैन्टोनमेंट का निवासी हूं। यह अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकता है और न पास हो सकता है। मुझे आश्चर्य है इस बिल को ड्राफ्ट करने वालों पर, जिन्होंने इतनी त्रुटियां और लूप होल (छिद्र) इस बिल में रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी आपत्ति बताइये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—वही बता रहा हूं। कैन्टोनमेंट के बारे में जो यह संशोधन है उसको पास करने का हमें कोई हक नहीं है। छावनियां केन्द्रीय गवर्नमेंट के अधिकार में हैं उसमें वहीं का कानून लागू होगा। इसलिये पहले इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी चाहिये। इसी ऐक्ट में सरकार ने खुद तस्लीम किया है कि यह बिल सेन्ट्रल गवर्नमेंट की प्रापर्टी पर लागू नहीं है। वहां की जमीन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है और अधिकांश बिल्डिंग्स भी उन्हीं की हैं। मेरी आपत्ति है कि इस किस्म का अमेंडमेंट अगर पास हुआ जो कि

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]
इस सदन के स्कोप के बाहर है, तो ऐक्ट नहीं बन सकता है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी बतला देता हूं कि अगरचे आपने इस तरह की धांधली की (क्योंकि आप सर्व शक्तिमान हैं, जो कुछ चाहें कर सकते हैं) तो यह कानून अल्ट्रावायरस होगा और जो बिल पेश है उसकी मन्शा व स्कोप के खिलाफ भी होगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं। फर्ज कीजिये कि आपका बहुमत है और अपने बहुमत के बल पर आपने अमेंडमेंट पास कर दिया, तो दलील यह हो सकती है कि छावनी के मकानों पर टैक्सेशन लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो उस मकान पर जिसका किराया ५० रुपये माहवार से कम हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। जिस मकान में मालिक खुद रहता है या जो मकान किराये पर न लगा हो, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—जो व्यवस्था का प्रश्न है, उसी पर रहें आप। और बात बाद में कहियेगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—ऐसा मालूम होता है कि स्पीकर साहब ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ नेताओं को ही समय दिया जायगा और बैक बेंचर को समय नहीं दिया जायगा और मुझे समय पीछे नहीं मिलेगा। अगर यह अमेंडमेंट एलाउ हुआ तो यह ऐक्ट अल्ट्रावायरस होगा और मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी गलती होगी।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कानूनी है। आपका यह उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, किन क्षेत्रों के लिये लागू है, यह इस विधेयक के प्रथम पैरा में ही लिखा हुआ है, जो इस प्रकार है—"यह आवश्यक और इष्टकर है कि नियोजित विकास के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित वित्तीय साधनों की वृद्धि करने की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित भूमि या भवनों अथवा दोनों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये।"

अगर उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्र के अन्दर भूमि है या भवन है तो आप टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाहर कैन्टोनमेंट एरिया है तो आप वहां पर इस टैक्स को नहीं लगा सकते हैं। यह प्रश्न हमारे सामने मोटे तौर पर आया है कि कैन्टोनमेंट एरिया का प्रबंध, उसका चुनाव या उसकी दूसरी चीजें आपके सदन के द्वारा पास किये हुये कानून से गवर्न होती हैं तो आप टैक्स लगा सकते हैं। अगर नहीं हैं तो नहीं लगा सकते हैं। इस आधार पर, मैं समझता हूं कि २४ घंटे का ही मामला है, चाहे टेलीफोन से या किसी तरह से ए०जी० से जिन्हें आप तनख्वाह देते हैं, इस सम्बन्ध में सलाह ले लें जो ईमानदारी से आपको सलाह देंगे। मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिवा इसके कि आप पहले ए०जी० की राय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत ठीक।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, कैन्टोनमेंट एरिया में टैक्स लगाने का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से सरकार संशोधन लाई है इस भवन-कर विधेयक के सम्बन्ध में, उसका मैं विरोध करता हूं। जैसाकि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में प्रारम्भ में ही दिया हुआ है, फिर इसके प्री-एम्बिल में दिया हुआ है, और खंड २ के उपखंड (२२) में भी दिया हुआ है, नागर क्षेत्र में छावनी नहीं आता है। माननीय मंत्री जी बहुत धीरे से कहते हैं कि इसको स्थगित कर दिया जाय। इसको स्थगित करने का मतलब यह होगा कि खंड २ का उपखंड (२२) का संशोधन पास हो जाय। फिर तो वह स्कोप में आ जायगा। तो जो स्कोप के अन्दर है, सीमा के अन्दर है उस पर टैक्स लग सकता है अन्यथा नहीं लग सकता है, जिसके बारे में कोई ज्ञापन नहीं है और मंत्री जी ने आय के बारे में भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और इस तरह से जो स्कोप में नहीं हैं उन पर भी टैक्स लगाने का कारण पैदा हो जाता है। इस तरह से करीब ४८ संशोधन इसके अन्दर ऐसे हैं जिनको सम्भवत: मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे और आगे यह भी है कि यह पूरे नागर क्षेत्रों में लागू हो, जब कि पहले केवल एक लिस्ट इस में दी गई थी कि वह इन-इन

विशेष स्थानों में लागू होगा। इस पर बहुत से लोगों ने समझा कि हम क्यों भाषण दें जब हमारे यहां यह लागू ही नहीं हो रहा है। कुछ ने कहा कि हम तो दस रुपये तक में छूट जायेंगे, हमारे यहां किस तरह से लागू हो सकता है। हम पर उस का प्रभाव न होगा और यह समझ कर बहुत लोग बोले ही नहीं, और अब बाद में इस की व्याप्ति बढ़ाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आप को कुछ कहना है ?

श्री रक्षपालसिंह—यह १४८ धारा के उपखंड (१) में नहीं आता है इसलिये इसको रिजेक्ट करना चाहिये और स्थगित नहीं करना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि आप मंत्री जी की बात न मानें और आप का भी यही मत है कि यह संशोधन आ नहीं सकता, क्योंकि मंत्री जी खुद इस पर अनिश्चित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सारे झंझट को खत्म कर के आप अस्वीकार कर दें क्योंकि यह व्याप्ति के बाहर है। इससे सब लोगों को रिलीफ होगी। जब तक आप अस्वीकार घोषित न करेंगे .....

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त तो उस को स्टैंड-आउट कर देंगे, बाद में आगे ले लेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति अभी श्री कमलासिंह ने उठाई, वह अवश्य ही विचारणीय है। उस के अन्दर दो राय की गुंजायश हो सकती है। अभी माननीय दीपनारायण जी बोल रहे थे, जो कुछ उन्होंने कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। इस शंका का सारा क्रक्स है कि नागर क्षेत्र में यदि कैन्टूनमेंट आता है तो उन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है ? मैंने इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली भी पढ़ी और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के प्राविजन्स को भी पढ़ा और इन दोनों को पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई भी ऐसा संशोधन नहीं आ सकता कि जिस से बिल का स्कोप बढ़ता हो। एक तो बिल का स्कोप नहीं बढ़ा, दूसरे अगर नागर क्षेत्र में कोई चीज नहीं आती है तो उस पर संशोधन द्वारा टैक्स लगाना अनुचित हो सकता है, इस सैद्धान्तिक बात को मैं स्वीकार करता हूं।

अब प्रश्न यह है कि नागर क्षेत्र में कैन्टूनमेंट आते हैं या नहीं ? मैं कानून का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय अग्रवाल जी उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप का ध्यान उधर आना चाहिये, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—यह भी कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि देखना यह रह जाता है कि नागर क्षेत्र में कैन्टूनमेंट आते हैं या नहीं, यही हमारा मेन प्वाइंट है, इसी के लिये मैं कह रहा था कि मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन उस की कुछ ए, बी, सी, डी, जानने का कुछ थोड़ा दुर्भाग्य मुझे भी प्राप्त है और उसी के आधार पर मेरा निवेदन है कि कानून का सिद्धांत यह है कि या तो किसी शब्द की परिभाषा ऐक्ट में होती है उसको पढ़कर हमें कुछ माने मालूम हो जाते हैं और अगर वह ऐक्ट में नहीं दी होती तो माना हुआ रूल यह है कि जो उसके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं वह मान्य होते हैं। इस बिल में नागर क्षेत्र की कोई परिभाषा नहीं है इस शक्ल में हमें डिक्शनरी मीनिंग ही इसके लेने होंगे और उस में नागर क्षेत्र का मतलब है "अरबन एरिया", अर्बन एरिया और रूरल एरिया। जो नागर क्षेत्र है उसमें सदा म्युनिसिपैलिटीज, कैन्टूनमेंट और टाउन एरिया सम्मिलित रहे हैं। जो रूरल क्षेत्र हैं उस में कैन्टूनमेंट कभी शामिल नहीं रहा। और डिक्शनरी मीनिंग में जो नागर क्षेत्र की परिभाषा दी हुई है कैन्टूनमेंट उसमें हमेशा आया है। इसलिये मैं डिक्शनरी मीनिंग की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट]

दूसरी बात यह कहता हूं कि रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट इसी सदन ने पास किया, वह कैन्टूनमेंट एरियाज में लागू होता है। अगर इस सदन को कैन्टूनमेंट एरियाज पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐक्सक्लूसिव प्रापर्टी होती तो रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट की धाराओं को कैन्टूनमेंट पर नहीं लागू कर सकते थे। तो पहली बात यह थी कि नागर क्षेत्र में कैन्टूनमेंट आ सकते हैं कि नहीं? इसकी परिभाषा के न होते हुये डिक्शनरी मीनिंग को आधार करना पड़ेगा और उसमें कैन्टूनमेंट आ सकते हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि कैन्टूनमेंट में नामिनेशन की पद्धति है इसलिये वह दूसरी चीज हो गई। मुझे विस्मय हुआ। एक समय था नगरपालिका में नामिनेशन होता था और कलेक्टर प्रेसीडेंट होता था, अब भी कहीं-कहीं नामिनेशन होता है। तो नामिनेशन होने से या इलेक्शन होने से नागर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र नहीं हो जायगा। मेरे मित्र कह रहे हैं मसूरी में आज भी नामिनेशन की प्रणाली है, नैनीताल में भी है। तो चूंकि वहां नामिनेशन की प्रणाली है इसलिये वह नागर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

इसके बाद प्रक्रिया में केवल स्कोप की बात है। स्कोप के लिये विधेयक में लिखा है—"उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्र में भूमि और भवन पर कर लगाने के लिये यह इष्टकर है.....।" अभी माननीय सदस्य ने लोक सभा की कुछ रूलिंग्स पढ़ी थीं, मैंने उनको सुनने की कोशिश की। उसमें बिल्कुल दूसरा प्रश्न है। वहां पर वे एक नई चीज पर टैक्स लगाने जा रहे थे। आज हम नया कर लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिये विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ा रहे हैं। उसका स्कोप है नागर क्षेत्र में भूमि और भवन पर कर लगाना। हम कोई नया कर नहीं लगा रहे हैं। तो स्कोप नहीं बढ़ा रहे हैं, नया कर नहीं लगा रहे हैं। उसके स्कोप के अन्दर कैन्टूनमट एरिया आता है और कोई नया कर नहीं है। इसलिये जो रूलिंग कोट की गई वह लागू नहीं होती। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा। लगे या न लगे, इसमें दो रायें हो सकती हैं और सदन को पूरा अधिकार है मेरे संशोधन को, मेरी बात सुनने के बाद अगर समझे कि कैन्टूनमेंट पर नहीं लगना चाहिये, बिल्कुल अस्वीकार कर दे। लेकिन यह कहना उसके प्रयोजनों के बाहर है, परिधि के बाहर है या अवैधानिक है क्योंकि कोई नया कर लगाते हैं, यह नया कर हरगिज नहीं हो सकता।

जहां तक विज्ञप्ति की बात है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आय-व्यय की बात हो सकती है। जो विज्ञप्ति आयी उसमें जनगणना के हिसाब से खर्च की बात दी गई है। कैन्टूनमेंट की जनगणना का जिक्र किया गया है। तो जब खर्च हो सकता है, आमदनी भी हो सकती है। तो वह विज्ञप्ति की बात भी इस तरह से पूरी हो जाती है। इसलिये जो आपत्तियां उठायी गईं वे किसी तरह से इसमें नहीं आतीं।

मैं बधाई देता हूं मंत्री जी को, उन्होंने जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है उसमें यह स्कोप भी हो जाता है। जैसा आरम्भ में कहा यह विचारणीय प्रश्न है। जहां कानून की बात हो वहां जल्दी करना या एक राय को आखिरी राय मानना शायद उचित नहीं होगा। इस समय ३ बज चुके हैं, अब यह प्रत्यक्ष है कि यह शायद आज पास न हो सकेगा। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा अगर इस धारा को थोड़ा आगे ले लें तो जो यह बात उठायी गई हैं उन्हें और देखा जा सकता है। ला मिनिस्टर भी उस समय नहीं थे। उनकी राय का भी लाभ उठाया जा सकता है।

†कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। धारा १३९ (१) के अनुसार चूंकि "छावनी" शब्द जोड़ने से जो इसकी परिधि है उसके बाहर की चीज आ रही है, यह संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता है। इस बिल के अन्दर कहीं भी "छावनी" शब्द नहीं आया है। तो नया शब्द जोड़ने के मानी यह हुये कि परिधि बढ़ाई जा

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहो है। फिर उसके नीचे १३९ (२) में यह लिखा हुआ है "संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।" तो सदन ने प्रथम वाचन कर लिया है और स्वीकार हो चुका है। उसकी स्वीकृति के बाद यह संशोधन लाया जा रहा है जो उसको अफेक्ट करता है। इस तरह से एक नया शब्द जोड़ कर इस विधेयक की परिधि को बढ़ाया जा रहा है। इसलिये यह संशोधन नहीं माना जाना चाहिये।

माननीय जगदीश शरण जी ने कहा कि इस विधेयक के अन्दर "नागर क्षेत्र" की परिभाषा नहीं है। जगदीश शरण जी जैसे विद्वान् व्यक्ति द्वारा ऐसी बात कही गयी, जिनके लिये मेरे दिल में बहुत ऊंचा स्थान ह, इससे मुझे बहुत दुःख हुआ। अगर आप खंड १ (२२) देखें तो उसमें "नागर क्षेत्र" की परिभाषा दी हुई है जो बहुत स्पष्ट है। इस नागर क्षेत्र की परिभाषा में "छावनी" शब्द रखना उचित नहीं होगा क्योंकि जब इस बिल के अन्दर "छावनी" शब्द आया नहीं है तो उसके रखने की आवश्यकता क्या है? अगर "छावनी" शब्द इसमें जोड़ना है तो इसके लिये नया क्लाज बनाना होगा। इससे यह बात सिद्ध होती है कि इस विधेयक की परिधि बढ़ती है जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसके लिये एक मात्र रास्ता यह रह जाता है कि सरकार इसको वापस ले ले और रिड्राफ्ट करके लाये। बगैर इसके किसी तरह से कोई चीज बीच में नहीं जोड़ी जा सकती है क्योंकि ऐसा करना प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध होगा। तो इस पर आप जरा विचार करें क्योंकि यह बहुत गम्भीर विषय है। कल को इसी आधार पर एक परम्परा बन जायगी और कोई भी ऐसी चीज ला सकेगा जो अनावश्यक होगी।

इसके अलावा यह मनी बिल है। अगर रिट आ गयी तो सारा मामला रखा रह जायगा। इसलिये बहुत सोच समझ कर काम करना है। यह "छावनी" शब्द कहीं आया नहीं है तो उसको परिभाषा में रखने की क्या आवश्यकता है? परिभाषा में रखने के माने यह हैं कोई क्लाज बढ़ायेंगे जो उसको कवर करे और फिर परिधि बढ़ेगी। इसलिये इसका समय अब निकल गया। अगर इसे पास कराना है तो यों ही पास करा लें, नहीं तो रिड्राफ्ट कर के फिर लायें।

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस उसूल से एख्तिलाफ हो कि छावनी के ऊपर यह टैक्स नहीं लगना चाहिये तो वह समझ में आता है, लेकिन जो इस किस्म का टेक्निकल आब्जेक्शन उठाया जा रहा है इसमें किसी किस्म का कोई जोर नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है—

"Whereas it is necessary and expedient to provide for the levy of tax on lands and buildings or both situated in urban areas."

इसमें यह है कि अरबन एरियाज के ऊपर हम यह टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब अरबन एरियाज में क्या-क्या चीज है यह इस बिल से मालूम होगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कह दें कि पहले हम सारी टाउन एरियाज या विलेज पंचायतों पर लगाने जा रहे थे और अब उसको बढ़ा कर कैन्टूनमेंट्स को ला रहे हैं। लफ्ज "अरबन एरियाज" इस्तेमाल किये गये हैं। यह कह देना कि अरबन एरियाज में कैन्टूनमेन्ट्स शामिल नहीं हैं, यह कोई माने की बात नहीं रखता। यह तो जब्त करने की बात है। अरबन एरियाज की डेफिनीशन में लिखा है—

"Urban area" means any local area comprised with the limits of a city, a municipality, a notified area or a town area, as the case may be."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

अब इससे और कैन्टूनमेन्ट्स की अमेंडमेंट में से डेफिनीशन आ रही है तो न तो कोई स्कोप बढ़ रहा है न कोई आल्ट्रेशन हो रहा है । जहां तक अमेंडमेंट का ताल्लुक है, इसमें लिखा है--

"An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question."

यह तो आखिरी फैसला सदन करेगा कि इस बिल का स्कोप क्या हो। जहां तक गवर्नर की रेकमेंडेशन का ताल्लुक है, १४० में यह है--

"(1) If Government desire to move an amendment, which under the Constitution cannot be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor, they shall annex to the required notice a copy of such sanction or recommendation and the notice shall not be valid until this requirement is complied with.

(2) If a private member gives notice of an amendment which in the opinion of the Speaker cannot be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor, the Speaker shall, as soon as may be, after the receipt of the notice, refer the amendment to the President or the Governor, as the case may be."

खाली आप रेफर कर देंगें, यह नहीं कि इस पर बहस नहीं हो सकेगी, अगर जरूरत समझें, अव्वल तो जरूरत ही नहीं है, यह अरबन एरियाज के टैक्स का मामला है। इसमें क्या शामिल है क्या नही, यह फैसला करना है। अरबन एरियाज में यह शामिल है। इसलिये इसका डिस्कशन नहीं रुक सकता है। ज्यादा से ज्यादा इसके सैक्शन की अगर जरूरत हो तो वह आ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--इस पर बहस हो चुकी है और अब कोई प्वांइट बाकी नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, में केवल उन्हीं चीजों को कहूंगा जिनके बारे में न्याय मंत्री जी ने कहा है। जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया है, उनकी योग्यता के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने सदन के सामने गवर्नमेंट की रक्षा के लिये ऐसा इंटरप्रिटेशन क्यों किया। उन्हें तो सच बात कहनी चाहिये थी। पहली चीज जो आपने पढ़ी इसके टाइटिल से वह यह है कि अरबन एरियाज के लिये यह ऐक्ट है। आपने कहा कि अरबन एरियाज सब आ जाते हैं। मैं इस चीज को मानता हूं। एक सज्जन ने कहा कि अगर डेफिनीशन नहीं है तो इसके वही माने माने जायेंगे जो डिक्शनरी में हैं। लेकिन इसके क्लाज २२ में डेफिनीशन है। इस ऐक्ट को इस डेफिनीशन के दायरे के अन्दर लागू करना चाहते हैं। श्रीमन्, इसको देखें कि--

"Urban area" means any local area comprised within the limits of a city, a municipality, a notified area or a town area, as the case may be :"

कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें से स्पेशली कैन्टूनमेंट शब्द ओमीटेड है। इसलिये जैसा कि जगदीशशरण जी ने तस्लीम किया है वही होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--क्या डेफिनीशन बदल नहीं सकती ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--श्रीमन्, उसी पर आ रहा हूं। आपने पढ़ दिया कि--

"If the Government desire to move an amendment, which under the Constitution cannot be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor, they shall annex to the required notice a copy of such sanction or recommendation and notice shall not be valid until this requirement is complied with"

यह तो उनके लिये है जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मूव होते हैं। इसमें भी नोटिस मैनडेटरी है और नोटिस में सैंक्शन मैनडेटरी है और नोटिस उस समय वैलिड होगा जब सैंक्शन मौजूद हो। अगर यह चीजें हों तभी वह मूव हो सकता है और उसी हालत में एलान किया जा सकता है। अगर कोई प्राइवेट मेम्बर मूव करता है तो उसमें यह है कि—

"If a private member gives notice of an amendment which in the opinion of the Speaker cannot be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor, the Speaker shall, as soon as may be, after the receipt of the notice, refer the amendment to the President or the Governor, as the case may be."

तो इसमें भी है कि सदस्य पहले नोटिस दे और वह भी उस समय तक मूव नहीं हो सकता है जब तक कि पहले से प्रेसीडेंट या गवर्नर की रिकमेंडेशन मौजूद न हो। और स्पीकर उसे एलाऊ कर सकता है इससे पहले नहीं। स्वीकृति मिल जाने के बाद ही अमेंडमेंट विचाराधीन हो सकता है। इसलिये भी अत्यन्त आवश्यक है कि गवर्नर की सैंक्शन पहले लें यह मनी बिल है। जब गवर्नर अपनी सैंक्शन दे देंगे, तभी कंसीडर करेंगे।

"The whole Bill as it is has to be placed before the Governor. When a Bill is placed before the Governor he considers every item of the Bill and only then he gives his sanction to it. If any item is excluded from a Bill, it cannot be said that he has given his sanction for that item. It is possible that if that item had been included in the Bill he might have withheld his sanction."

हो सकता है कि अगर कैंटूनमेंट की बात आती हो तो वह एलाऊ न करते। कैसे कहते हैं कि वह सैंक्शन कर देते? इसलिये उनकी सैंक्शन जरूरी है। मैं यही कह कर समाप्त करता हूं रूल १४० को पढ़ा जाय, किसी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि बिना सैंक्शन के मूव किया जा सकता है। मैं माननीय न्याय मंत्री की योग्यता किसी मानी में कम नहीं समझता। पता नहीं उन्होंने यह इंटरप्रिटेशन कैसे दे दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय जगदीशशरण अग्रवाल का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सारी बातों को कंसीडर किया। लेकिन, स्वयं चूंकि उन्होंने उस परिभाषा को नहीं देखा था इसलिये शायद उन्होंने अरबन एरिया में कैंटूनमेंट मान लिया था। मैं आपका ध्यान माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रस्ताव पेश करते समय किया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि यह सरकार यह समझती थी कि कैंटूनमेंट एरिया का क्षेत्र इसके अन्दर नहीं आता है इसलिये इसको हमने शामिल नहीं किया। सरकार स्वयं इस बात से सहमत थी कि कैंटूनमेंट एरिया इसके अन्दर नहीं आता है। जिस समय गवर्नमेंट ने गवर्नर का सैंक्शन लिया, उस समय वह यह समझती थी कि वह कैंटूनमेंट एरिया पर टैक्स नहीं लगाने जा रही है। गवर्नर की सैंक्शन इस बात को ध्यान में रखते हुए ली गई। अगर बिल में दस जिले स्पेसिफाई होते हैं कि इन जिलों पर यह लागू होगा और एक अमेंडमेंट आ जाता है कि ४४ जिले और जोड़ दिये जायं, तो निश्चित रूप से व्यापक प्रभाव उसका पड़ता है। इसलिये निश्चित रूप से इसकी परिधि बढ़ती है। ऐसी दशा में बिल्कुल नहीं हो सकता, जबकि सरकार स्वयं कंविस्ड थी कि कैंटूनमेंट एरिया पर टैक्स लगाने नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी जो कहते हैं वह गलत है। अरबन एरिया का टाइटिल होने से नहीं हो सकता है। जो परिभाषा अरबन एरिया की दी गयी है उसमें कहां है, कैंटूनमेंट एरिया? आपने स्वयं कहा था कि कैंटूनमेंट एरिया केंद्र शासित है। अगर यह सब होता तो सिटी के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज भी आ जातीं, टाउन एरियाज भी आ जातीं। फिर अलग से स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत पड़ती? श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह जो दलील माननीय मंत्री जी ने दी है वह अपनी जगह पर उचित दलील नहीं है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

तीसरी बात यह है कि अब यह तो आप भी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी ऐसा संशोधन नहीं आ सकता जो कि विधेयक की परिधि को बढ़ाता हो और यह संशोधन निश्चित रूप से परिधि को बढ़ा रहा है। माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल, जिन्होंने यह संशोधन पेश किया था पहले उनका ध्यान उस परिभाषा की ओर नहीं गया था, लेकिन अब उसको देखने के बाद वह स्वयं इस मत के हैं कि आप इस पर ऐडवोकेट जनरल की राय लें। इसलिये अगर सरकार चाहती है कि यह संशोधन पेश हो तो हमें उस पर सख्त एतराज है। या तो इस पूरे बिल को स्थगित किया जाय या सरकार इसको वापस ले और फिर से माननीय गवर्नर महोदय की सैंक्शन लें अन्यथा माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल स्वयं इस संशोधन को वापस लें। कृपया इन बातों को ध्यान में रखते हुये, आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय न्याय मंत्री। बस अब और किसी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। अब काफी हो गया।

***श्री सैयद अली जहीर**—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें अर्ज की थीं आपके सामने, मेरे खयाल से गरमी ज्यादा दिखाई गई और गुस्सा भी काफी किया गया, लेकिन उन बातों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। यह जो ऐक्ट है यह—सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज आफ उत्तर प्रदेश के ऊपर टैक्स लगाने के लिये है। अर्बन एरियाज में आया कैंटूनमेंट आता है या नहीं आता है, यह क्वेश्चन है। अगर किसी डेफिनीशन में कोई बात उसकी रखी गई है या उसको हम और साफ करना चाहते हैं तो कोई आपत्ति इस बात के ऊपर नहीं हो सकती कि उसकी डेफिनीशन नहीं दी जा सकती। यह यकीनन उसमें शामिल हो सकता है। अब या तो यह बहस की जाय कि अर्बन एरियाज के माने यह हैं कि कैंटूनमेंट उसमें नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह इसी में शामिल होता है। अर्बन एरियाज में तो यकीनन कैन्टोनमेंट शामिल होता है। और जब इस बिल की सैंक्शन गवर्नर महोदय के यहां से आ गयी तो उसके बाद इस किस्म का एतराज कि सैंक्शन नहीं है या इस अमेंडमेंट के लिये किसी मखसूस सैंक्शन की जरूरत है यह नहीं पैदा होता। इसी पर मैंने यह अर्ज किया था कि अगर यह समझा भी जाय कि उसके लिये रूल्स में प्राविजन है तो यह प्राविजन १४० (२) में है—

"140. Sanction of the President or recommendation of the Governor to be annexed to notice of Amendment. (1) If Government desire to move an amendment, which under the Constitution can not be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor they shall annex to the required notice a copy of such sanction or recommendation and the notice shall not be valid until this requirement is complied with."

यह अल्फाज उसमें रखे गये हैं। लेकिन वहां पर प्राइवेट मेम्बर का अमेंडमेंट है उसके लिये यह है—

"(2) If a Private member gives notice of an amendment which in the opinion of the Speaker cannot be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor, the Speaker shall as soon as may be, after the receipt of the notice, refer the amendment to the President or the Governor, as the case may be."

उसके लिये पहले से जरूरत नहीं है। खाली यह है कि गवर्नर को रेफर कर दें कि आया इसमें गवर्नर की सैंक्शन की जरूरत है या नहीं और अगर है तो आप सैंक्शन दें। और वह तो इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी जरूरत है या नहीं। लेकिन उसकी वजह से यह जरूरी नहीं है कि बिल का जो प्रोसीजर है वह रोक दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह कि अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो इस तरह के ऐक्ट्स के लिये कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल १९९ और २०७ लागू होता है। १९९ में यह है—

"199. For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following, namely . . . . "

तो इसमें यह है कि आपको पहले से सैंक्शन की जरूरत है। लेकिन अगर यह बिल एक दफा इंट्रोड्यूस हो जाय तब उसके बाद २०७ आप देखें—

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legisltive Council:

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax."

तो खाली इसके इंट्रोडक्शन के लिये जरूरत है। इसके लिये जरूरत नहीं है कि आया हर एक स्टज पर इसको गवर्नर को रेफर किया जाय। यह हमारे रूल्स में भी प्रोवाइड किया गया है। इसके लिये अब कोई जरूरत नहीं है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, अब इस पर और मौका नहीं दिया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—इस पर मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर कोई जवाब देने का मौका नहीं होता है। यह कोई मोशन नहीं है। इस समय में कोई इस पर अपनी रूलिंग देने नहीं जा रहा हूं। जितनी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं उन सब पर विचार करूंगा और विचार करने के बाद तब अपनी रूलिंग दूंगा। इस समय यह अमेंडमेंट स्टैंड ओवर रहेगा। इस समय मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं इसलिये अगर कोई बात किसी माननीय सदस्य को कहना हो तो वह मेरे चैम्बर में आकर मुझसे कह सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—कैन्टूमेंट की इसके अन्दर कोई डैफिनीशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जो बात कहना हो वह मेरे चैम्बर में कहियेगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—इसी तरह से अगर अमेंडमेंट बढ़ते रहे तो और जो आगे टैक्स के बिल आयेंगे उनके लिये और भी अधिक संशोधन आयेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव—यह ३ (ख) नम्बर पर जो मेरा संशोधन है इसको मैं मूव करना नहीं चाहता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड (२) के उपखंड (६) की पंक्ति ३ में शब्द "ज्योत" के बाद "अथवा खंडहर" जोड़ दिया जाय। अब यह इस तरह से हो जायगा कि "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो भवन के स्थल के रूप में काम में लायी जाती हो या लायी जाने योग्य हो किन्तु जो यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में यथापरिभाषित होल्डिंग (ज्योत) अथवा खंडहर न हो। जहां तक खंडहर का सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया जितने हैं, उनको अगर पुर्वी जिलों की तरफ जाकर देखा जाय तो वहां पर देखेंगे कि बाढ़ वगैरा की वजह से इतनी खराब हालत है कि बरसात में हर मकान बारबार धराशायी हो चुका है और जब बाढ़ आती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

हैं। मैं श्रीमन्, अपनी गाजीपुर म्युनिसिपैलिटी का भी जिक्र करूंगा और मैं माननीय मंत्री जी को भी याद दिलाऊंगा कि जब वह गाजीपुर गये थ चंद बरस पहले, तो उहोंन वहां खंडहर ही खंडहर दे ते थे और वह बाढ़ और वर्षा के परिणाम थे। आज वहां के लोगों की ऐसी हालत नहीं ह कि वह उन खंडहरों पर नये मकान बनवा सकें। कोई उद्योग धंधा हमारे जिले में नहीं ह जिससे रोजी कमा कर वहां की जनता किसी प्रकार अपने मकान बनवा सके। हालत यह ह कि लोग किराये के मकानों में अपनी गुजर कर रहे हैं और हमारे यहां मकानों की बहुत कमी है। अगर हम इस प्रकार का टैक्स लगा देंगे तो नतीजा यह होगा कि जो गरीबी का मारा हुआ खंडहर पर अपना मकान भी नहीं बना सकता, वह उससे भी बंचित हो जायगा और उसे छोड़ कर भाग जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें 'खंडहर' शब्द जोड़ दिया जाय। यह टैक्स विकास के लिये लगाया जा रहा ह और जो विकास हमारे प्रदेश में चल रहा ह उसके बार म श्रीमती कुसुम नैयर द्वारा एक किताब लिखी गयी है "ब्लासम्स इन दि डस्ट", उसके चैप्टर १० के ८१ वें पेज का कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है--

"Perhaps Mohan Singh's purkhas were right. Perhaps there is an inevitability about poverty against which the individual is generally helpless and also, at least so far, agencies of "development" as well. Take a village in the district of Ballia, in eastern Uttar Pradesh. It has had six years of "Community Development", and the Rasra Block in which it is situated has been retired into the "postintensive" stage..

"How much gold have you hoarded by now ? tell me truthfully", I ask of Rikhi Dev, a cheerful young man with one and a half acres of land.

"Gold, you say", he laughs. Here I do not get even two meals a day and you ask how much gold I have."

"What do you mean, you do not get two meals a day ? "

"Honestly. I do not eat more than"....

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, कमलासिंह जी जो बात कह रहे हैं वह आम बहस की बात है। यह सिद्धांत हमने मान लिया है कि इस बिल पर विचार किया जाय। इस समय प्रश्न यह है कि 'खंडहर' शब्द जोड़ा जाय या नहीं। इसमें गरीबी, अमीरी की या पेइंग कैपेसिटी की बात नहीं आनी चाहिये। नियम २९१ के अनुसार यह बिलकुल इर्रिलिवेंट है।

श्री कमलासिंह यादव—आप वहां के लोगों का विकास करने के लिये यह टैक्स लगा रहे हैं और इस सिलसिले में मैं उन जिलों की हालत बतला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वाकई में जिस उपखंड के बारे में आपका संशोधन है उसी के बारे में आप अपनी बात कहिये।

श्री कमलासिंह यादव—जो विकास हुआ है उसका रिजल्ट हमारे यहां क्या हुआ है उसकी बात मैं बतला रहा हूं और जब सरकार को परिस्थिति का पता लग जायगा तो उसे मालूम हो जायगा कि मकान क्यों नहीं बन रहे हैं। इसीलिये मैं यह अंश पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बाढ़ के कारण यह खंडहर हो गये हैं इस बात से कभी काम चल सकता है ?

श्री कमलासिंह यादव—बाढ़ और बारिश का कोई असर हमारे यहां नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—खंडों पर बहस थोड़े शब्दों में होनी चाहिये। संक्षेप में आप अपनी बात कह लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—यह कई चैप्टर्स में, कई पेजेज में है, मैं तो थोड़ा पोर्शन ही पढ़ना चाहता हूं इसलिये कि श्रीमती कुसुम नैयर ने स्वयं वहां आंखों जा कर देखा ह। अब तक मैं पढ़ भी दिये होता। इस तरह तो मेरा समय जाया हुआ।

एक सदस्य—वे सब बातें अपने भाषण में कहें।

श्री कमलासिंह यादव—जब वहां श्रीमती कुसुम नैयर जी रसड़ा ब्लाक में गांव में गयीं और पूछा कि तुम्हारे पास कितना गोल्ड है तो उसने कहा कि गोल्ड के बारे में आप कह रहो हैं मेरे पास तो दोनों वक्त खाने को भी नहीं है। यदि आप चाहें तो आप अपने विश्वास के लिये हमारे मकान में चल कर देख लीजिये। गांव में ८५ आदमी रहते हैं। परन्तु खाने को दोनों वक्त नहीं मिलता है। तब कुसुम नैयर जी उनकी रिक्वस्ट पर हर घर में गयीं और उन्होंने देखा कि वहां बरतन खाली रखे थे। वह १२ बजे का वक्त था, खाने का। परन्तु एक मकान में भी खाने को नहीं था, किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। उन्होंने पूछा कि किस तरह से गुजर करते हो, तो लोगों ने बताया कि हम शीरा पीकर रहते हैं और इसी तरह से हमारे बच्चे और औरतें भी जीवित रहती हैं। परन्तु गरमी के दिनों में वह भी नहीं मिलता। तब बरेली का चोटा ही पीकर गुजर करते हैं, जिससे डायरिया हो जाता है। इसी तरह से हम लोग खेतों पर भी काम करते हैं। ऐसी हालत जब वहां के गांव के लोगों की है तो आप को उनके बारे में कुछ गौर करना चाहिये। वहां के लोग अपने खंडहरों पर मकान न बना पाकर केवल खपरैल और झोंपड़ी से ही गुजर करते हैं। ऐसी हालत में आप स्वयं समझ सकते हैं कि वे लोग कैसे जीवन निर्वाह करते हैं।

इतना ही नहीं मैं तो माननीय बनारसीदास जी से कह रहा हूं कि वे हमारे साथ चलें और देखें कि वहां के लोगों की जो हालत मैंने बताई है वही है या कुछ और। यदि वे न जाना चाहें तो वे हमारे यहां के कलेक्टर साहब रिजवानुल हसन, जोकि हमारे ला मंत्री जी के संबंधी भी हैं, उनसे भी आप पूछ लें कि क्या हालत है, गाजियाबाद में उन एरियाज की। यदि वहां खंडहर न हों तो जो चाहें वे टैक्स लगा लें। इसलिये आप वहां टैक्स न लगायें। मैं और अधिक डिटेल में न जाकर केवल इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि टैक्स उन्हीं पर लगाना चाहिये जो टैक्स दे सकें। परन्तु जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिलता है उनपर आपका टैक्स लगाना ठीक नहीं है। इस विधेयक में शुरू से आखिर तक कहीं भी इग्जम्पशन इस बात का नहीं है कि एक इस स्टेटस के आदमी को इग्जेम्ट करने जा रहे हैं। मेरा खयाल यह है कि धारा ३ के अंदर यह प्रोवाइजो है, उससे बचने के लिये यह....

श्री उपाध्यक्ष—मेरा कहना यह है कि इधर उधर की बातें न कह कर आप कृपया विषय पर रहें तो अच्छा होगा।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, कोई भी चीज कहने के पहले उसकी परिस्थितियों का बयान करना होता है। मैं यह बता रहा हूं कि किन सरकमस्टान्सेज में यह विधेयक लाया गया है, यह सब बातें तो मजबूरन कहनी पड़ रही हैं। जो नंगा नृत्य देख रहे हैं, वह हम टाउन एरियाज और म्यूनिसिपैलिटीज में देख रहे हैं। इस कारण से मजबूरन कहना पड़ रहा है। मैं टाइम वेस्ट करने के लिहाज से बड़ा वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। लेकिन इसमें खंडहर आ जाता है तो कम से कम इतना तो होगा कि जितनी आदमियों की कैपेसिटी है वहीं तक वे दे पायेंगे, लोगों की दशा में सुधार हो सके और अपने खंडहरों को धीरे धीरे काटकर वह मकान बना सकें। चाहे वे मिट्टी के हों या खपरैल ही हों। इसके लिये आपको लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। मकान बनाने के बाद अगर आप टैक्स लगावें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इस वक्त तो उनके पास कोई ऐसी आमदनी नहीं है जिससे कि वे मकान बना सकें। तो ऐसी

[श्री कमलासिंह यादव]

भूमि पर तो किसी तरह भी टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जो परिभाषा दी हुई है उसमें यह शब्द "खंडहर" और जोड़ दें तो वह टैक्स से बरी हो जायेगा।

(मंत्री जी को पुकारने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—श्रीमन्, लखीसिंह बोलने के लिये खड़े हुये, आपने उन्हें नहीं बुलाया।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, जो फैसला हुआ है अगर उसको नहीं माना जाता है और पार्टियां आपस में नियन्त्रण नहीं रखती हैं....

श्री राधेश्याम शर्मा—सोशलिस्ट पार्टी सरकार के किसी फैसले को नहीं मानती है। लखीसिंह जी को आपने किस नियम के अनुसार बोलने नहीं दिया?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, जो फैसला हुआ उसमें माननीय नरसिंहनारायण जी, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मौजूद थे और सब की राय से एक समझौता हुआ था....

श्री राधेश्याम शर्मा—नरसिंहनारायण जी गये जरूर थे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। समझौते पर तो सोशलिस्ट पार्टी का एक दृष्टिकोण है (व्यवधान) और वह यह कि सोशलिस्ट पार्टी आपके किसी फैसले को नहीं मानती। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने किस नियम के अनुसार लखीसिंह जी को बोलने से रोक दिया?

श्री बनारसीदास—(व्यवधान) श्रीमन्, आपको अधिकार है और आप टाइम एलाट कर सकते हैं....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—जितना समय माननीय बनारसीदास जी ने लिया उतने समय में तो माननीय लखीसिंह बोल लेते....(व्यवधान)

श्री बनारसीदास—माननीय मैनेजरसिंह जी अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं माननीय विरोधी दल के नेताओं से यह पूछता हूं कि उन्होंने इस बिल के संबंध में कोई फैसला किया है या नहीं? माननीय नरसिंहनारायण जी बतलायें कि वे उसमें शरीक थे या नहीं?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाबी में बैठा हुआ था और जब मैंने माननीय बनारसीदास जी की बात को सुना तो मैं चला आया। फैसला जो हुआ उसमें सारी पार्टियों के नेता लोग मौजूद थे। उसमें यह फैसला हुआ कि विधेयक कितने दिन तक चलाया जाय। अब उसमें हमारा क्या सहयोग होगा और दूसरों का क्या सहयोग होगा, यह तय नहीं हुआ। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय बनारसीदास जी से पूछ सकता हूं कि यदि कोई सदस्य किसी अमेंडमेंट पर बोलना चाहता है तो क्या उस फैसले के होते हुये भी नहीं बोल सकता? ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और वैसा होना जनतंत्र के विरुद्ध है। फैसला यह हुआ था कि विधेयक इतने रोज में पास होगा। ऐसा फैसला कैसे हो सकता है कि किसी अमेंडमेंट पर कोई सदस्य बोलने न पाये।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा फैसला नहीं बताया जा रहा है। आप अपने मेंबरों को स्वयं कहें कि वे रेस्ट्रेन्ट बरतें। कोई रोकने वाला नहीं है। बहस तो तभी बंद हो सकती है जब कि उसके बंद करने का प्रस्ताव आयेगा। अब माननीय मंत्रीजी को अपनी बात कहने दीजिये। इसके बाद मैं माननीय लखीसिंह जी को मौका दूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इस बिल के बारे में यह तय हुआ था कि १४ तारीख को सुबह के ४ बजे तक यह पास हो जायगा। अगर यह ऐसा है तो ऐसे छोटे छोटे आइटम्स पर इस तरह से बहस होगी तो इसका परिणाम यह होगा कि जो जरूरी संशोधन हैं वे रह जायेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि १४ तारीख के सुबह तक पास हो जायगा। क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष—अगर कोई गलत शब्द निकल जाय तो इसको इस प्रकार से न लेना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, माननीय मंत्रीजी के मुख से कोई गलत शब्द निकल जाय और आप उसको माफ कर दें, यह कैसे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपको स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि सुबह ४ बजे सदन की कोई मीटिंग नहीं होती।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर कोई गलत चीज निकल गयी और उससे माननीय केशरीप्रसाद जी को संतोष हुआ तो वह उस संतोष को रखें। पहले मैं सुबह समझा, वास्तव में वह शाम को चार बजे है। जिस चीज पर बहस चल रही है वह फर्स्ट रीडिंग के समय ही कह चुका हूं कि वह मुझे स्वीकार नहीं है। खंडहर वाली बात इसलिये स्वीकार नहीं है क्योंकि अगर वह नहीं बना सकता है तो उसको बेच दे, सरकार से लोन लेकर बना ले और अगर वह दोनों में से कोई बात करना नहीं चाहता है तो वह टैक्स दें। इसलिये मैं विरोध करता हूं।

***श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे माननीय बनारसीदास जी का न जाने क्या बैर है कि जब मैं बोलने का मौका चाहता हूं सभी वे अड़ंगा लगाते हैं। माननीय गुप्ता जी यहां नहीं हैं और आप यह काम कर रहे हैं इसलिये उनसे उनको खिताब तो मिल ही जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी का जो खंडहर वाला संशोधन है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सभी जानते हैं कि माननीय कमलासिंह जी ने खंडहर वाली बात पर बहुत जोर दिया है। वह इस प्रकार है—खंड २ के उपखंड (६) के पंक्ति ३ में शब्द 'जोत' के बाद "खंडहर" जोड़ दिया जाय।

खंडहर तो उस मकान को कहते हैं जिसकी आधी दीवाल एक तरफ गिर जाय, उसमें तमाम सूराख हो जायं, जिसकी ईंट व चूना तक गल जाय। पूर्वी जिले की हालत तो मंगलसिंह जी ने बतलायी, लेकिन मैं पश्चिमी जिले की हालत बतलाऊंगा। बनारसी दास जी चूंकि मंत्री हो गये हैं इसलिये बुलन्दशहर की हालत नहीं बतलाते, लेकिन मैं बुलन्दशहर में अधिक रहता हूं और वहां की हालत बतलाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—यहां पर बुलन्दशहर का कोई जिक्र नहीं है। जिस संशोधन पर विचार हो रहा है उसी पर आइये।

श्री लखीसिंह—मैं उसी पर बात कहने जा रहा हूं कि खंडहर का माने हम सब लोग समझते हैं। ६–७ साल से हमारे पश्चिमी जिलों में गर्की आ रही है। गर्की उसको कहते हैं कि ज्यादा वर्षा हो जाय और पानी उबलने लगे। जिस तरह से गंडक, राप्ती आदि नदियों में बाढ़ आती है उसी तरह से गंगा, यमुना से पानी उबलने पर बाढ़ आती है। अबकी बार हमारी तरफ गर्की नहीं आयी, लेकिन पिछले ६–७ साल से लगातार गर्की आती रही है। नीचे जब जमीन से पानी उबलने लगा तो तमाम मकान खंडहर हो गये हैं और यह कर टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया और नगरपालिका क्षेत्र, सब पर लग रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं खंडहर पर बोल रहा हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि इसकी जरा परिभाषा कर दें कि खंडहर पर बोलता कौन है ? (हंसी)

श्री लखीसिंह—मैं अर्ज कर रहा हूं कि टाउन एरिया नोटिफाइड एरिया और नगर पालिकायें हैं, जैसे मथुरा में मथुरा, बृन्दावन और कोसीकलां तीन नगरपालिकायें हैं। कोसी कलां व बृन्दावन की हालत मैं बतलाना चाहता हूं, पश्चिमी जिलों की हालत ऐसी है कि सौ में लगभग ६० मकान ऐसे हैं जो खंडहर हो गये हैं, जर्जर हो गये हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गयी, लेकिन जो पुराने छोटे छोटे जमींदार हैं, अब उनकी कुछ आमदनी तो है नहीं और उनके मकान देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि बड़े ही आलीशान हों, लेकिन वास्तव में खंडहर हैं। अब अगर उनकी आर्थिक हालत पर गौर करते हुये इस "खंडहर" शब्द को न निकाला जाय तो उन खंडहरों पर भी टैक्स लगे। यह न्यायसंगत बात नहीं हो सकती। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो न्याय की बात है उसे तो मान लिया जाय। अभी न्याय मंत्री जी जब श्री माधोप्रसाद जी के कानूनी आंकड़ों के घेरे में आये तो वे कुछ बातें मानने को तैयार हुये, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि माननीय मंत्री विचित्रनारायण शर्मा जी को इस "खंडहर" शब्द के जोड़ देने में क्या हानि है ? क्या यह उचित है कि टूटे हुये व खंडहर मकानों पर भी टैक्स लगाया जाय ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुये केवल इतना ही कहूंगा कि कम से कम हमारी यह सरकार जो बहुत अच्छी बनी हुई है और जिसकी बड़ी तारीफ है, जिस की बड़ी तारीफ होती है—देखो न गेट पर क्या हो रहा है, अगर कोई भली सरकार होती और गांधी जी के जमाने की कांग्रेस सरकार होती, तो वह आज इस गेट के प्रदर्शन को देख कर त्यागपत्र देकर अलग हो जाती। गांधी जी होते तो मैं उन से कहता, अब किस से कहें ? यह पेम्फलेट मेरे पास है, आप २ मिनट मुझे इसे पढ़ने दें। इस में लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त के....

श्री उपाध्यक्ष—लखीसिंह जी, यदि आप अपने को संशोधन तक कन्फाइन नहीं रख सकते तो आप बैठ जायं।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, मैं तो आप की आज्ञा ले रहा था, मैं पढ़ थोड़े ही रहा था। आप तो हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं, आप की आज्ञा बिना कैसे मैं पढ़ सकता हूं। मैं नहीं पढ़ता। हम तो यह खूब समझते हैं कि जब आप कुर्सी पर होते हो तो हम में से कोई नहीं निकाला जाता, हम पर आप की तो बड़ी भारी कृपा रहती है। आप ही तो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह सब क्या आप कह रहे हैं, आप संशोधन पर बोलें।

श्री लखीसिंह—थोड़े से यह मंत्री लोग बैठे हैं, जो दिल्ली चले गये, वह चले गये, उन्हें चले जाने दीजिये। वह तो वहां बड़ा फैसला जो करना होगा, करेंगे। नेहरू जी ने कहा है उस आधार पर शायद वह कुछ फैसला कर के आयें तब तो ठीक ही है, भगवान उन को सद्बुद्धि दे वर्ना अगर सरकार ने यहां इसको ऐसे ही रखा तो इसका जनाजा निकलेगा, लेकिन पड़ौसी के लिये जो कठिनाई आती हैं वह हमारे लिये भी आयेगी। हमें भी तो इस राज्य के जनाजे के साथ दाह क्रिया में जाना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष—आप फिर इधर उधर बहक गये।

श्री लखीसिंह—आप की आज्ञा मानकर मैं जो संशोधन श्री कमलासिंह जी का है उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको तो स्वीकार कर ही लें।

*श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि मंत्री जी को शायद अपने पर ही शंका थी। मैं मसझता हूं कि शायद बिल का उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि किस तरह का बिल सदन के सामने है। मैं उन्हें राय दूंगा कि माननीय ला-मिनिस्टर साहब सामने बैठे हैं उनसे ही वह राय ले लें। अगर आप जरा खंड ३ के प्रतिबन्ध को पढ़ें, उस में लिखा है कि "प्रतिबन्ध यह है कि उस भूमि के संबंध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहां तक उस (भूमि) का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो।" मैं मंत्री जी को दिलाऊंगा। कि अगर किसी इमारत से संलग्न कोई भी भूमि एक एकड़ तक है तो उसे छोड़ दिया जायगा, लेकिन खंडहर अगर एक एकड़ से कम भी हो तो उसकी क्या दशा होगी? इस को वह बतायें? ऐसी भूमि जो किसी भवन से संबंधित न हो उसकी दशा क्या होगी? अगर वह इस संशोधन को मान लें तो एक एकड़ से कम वाले मकान जो खंडहर के रूप में हैं वह वंचित हो जायेंगे। यह जो बिल लागू किया जा रहा है इसके द्वारा वह बड़ा आदमी जिन की कोठियां हैं जिनके सामने १ एकड़ तक भूमि खाली पड़ी है उस को वह बरी करते हैं, लेकिन वह भूमि जो खंडहर के रूप में हो, जहां पर कोई छादन भी न हो, उस को वह कानून के दायरे में ला रहे हैं। यह तो गरीब को पकड़ना और अमीर को छोड़ना ही है। यह पालिसी है और इस पर डिक्लेयर किया जा रहा है कि शहरी मकानों के लिये कर रहे हैं और वह ले रहे हैं।

मैं तो मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कितना रुपया प्रदेश के अन्दर दे रहे हैं। हर प्रदेश में देख लें। यहां की हालत यह है कि जो ५०० रुपया पाते हैं वे लोअर ग्रेड के समझे जाते हैं, उसके ऊपर अपर ग्रेड के माने जाते हैं। तो ५०० रु० से ऊपर आमदनी वाले को तो ४,००० रु० जमीन खरीदने के लिये दिया जाता है और १६,००० रु० मकान बनाने के लिये दिया जाता है। लेकिन ५०० रु० तक वाले को ८,००० रु० कुल देते हैं। अब मंत्री जी कह रहे हैं २,००० रु० जमीन खरीदने के लिये भी देंगे। आप कितने आदमियों को मकान बनाने के लिये रुपया दे सकते हैं? अपनी कैपेसिटी को भी तो देखिये। ६ परसेंट सूद है। जो रुपया लेगा उसकी क्या हालत होगी? मकान भी बिक जायगा। अब जो आप कह रहे हैं कि खंडहर जिसके पास है उस पर मकान बना ले, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या ऐसे आदमी को जिसके पास खंडहर के अलावा और कुछ नहीं है, उसको आप कर्जा मकान बनाने के लिये देंगे? अगर दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं, आप कर लगायें। आप नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिये सेक्योरिटी की जरूरत होती है। वह गरीब सेक्योरिटी कहां से देगा जिससे रुपया ले सके। और कब तक देगा। मैंने मंत्री जी का ध्यान धारा ३ के प्रतिबन्ध (१) की तरफ दिलाया अगर उसको गौर से देखें तो जो संशोधन मैंने परिभाषा में रखा है वह जरूरी है बहुत। इसी तरह से हम उस गरीब को जिसके पास कोई घर नहीं है, इस कर से बचा सकते हैं। अतः मैं आशा करता हूं वह ठंडे दिमाग से सोचें और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे और जिस प्रकार झोंपड़ी को आपने स्वीकार कर लिया है उसी तरह से खंडहर को भी स्वीकार करेंगे। मैं ऐसे मंत्री से अपील कर रहा हूं तो गरीबों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। जिस तरह से झोंपड़ी को आपने निकाला है उसी तरह से खंडहर शब्द भी इसमें जोड़ कर, जिसके पास कोई साधन नहीं है मकान बना सके, वह लोग इस टैक्स से बरी हो सकें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कहा जाता है श्रीमन्, मैंने बिल को नहीं समझा मगर मुझे लगता है जो संशोधन आ रहे हैं वे बिना सोचे समझे आ रहे हैं। सरकार ने इसमें यह अधिकार लिया है, कि अगर इजाजत मिल जायगी, एक हद तक हम माफ करेंगे, नीचे वालों पर कर नहीं लगायेंगे। तो जब मकान बना हुआ है वह भी किसी हद तक छूट जायगा जो खंडहर है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन खंडहर अगर ऐसा खंडहर हो, उसके जैसा आज का किस्सा है कि किसी ने ५०,००० रु० में जमीन ली थी आज ही इस संबंध मे एक भाई मेरे पास आये और मुझसे कहा, वह १,००,००० रु० में बिक सकती है अगर इजाजत हो। तो अगर ५०,००० रु०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

की जमीन ५ साल के अन्दर १,००,००० रु० की हो जाती है। इस तरह अगर सरकार कुछ ले लेती है तो कौन से गरीब मारे जायेंगे ? कोशिश हम यही करेंगे कि एक हद तक हम छोड़ दें। इस सदन के सामने उसके लिये आगे प्रस्ताव आयेगा। अब एक खंडहर की वेल्यु काफी होनी चाहिये, तभी टैक्स लगेगा। छोटे-मोटे खंडहर पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिये उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस जगह छोड़ने से सारा मतलब ही खत्म हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (६) की पंक्ति ३ में शब्द "जोत" के बाद "अथवा खंडहर" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—३ (घ) और ३ (ङ) में चूंकि "छावनी" शब्द है, इसलिये उनको पोस्टपोन किया जाता है।

खंड ३

भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर कर का लगाया जाना

३—(१) नागर क्षेत्र में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर प्रत्येक वर्ष के लिये कर ऐसी दर से लिया जायगा, लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो उक्त भूमि या भवन के पूंजीगत मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ घोषित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि उस भूमि के संबंध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहां तक उस (भूमि) का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो, उक्त भवन के संबंध में देय कर में सम्मिलित समझा जायेगा और केवल एक एकड़ क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि पर कर पृथक रूप से लगाया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पहले वर्ष में, जिसमें कर निर्धारित किया जाये देय कर का सम्पूर्ण वर्ष के लिए देय कुल कर से वही अनुपात होगा जो (अनुपात) उन दिनों की संख्या का जिनमें यह अधिनियम उस वर्ष में प्रचलित रहे, संख्या ३६५ से हो।

(२) कर ऐसे दिनांकों को देय हुआ करेगा जो नियत किये जायं, और यथा-स्थिति, भूमि या भवन के स्वामी द्वारा राज्य सरकार को देय होगा।

(३) यह कर भूमि या भवन अथवा उसके भाग के संबंध में तत्समय देय किसी अन्य कर के अतिरिक्त होगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के पैरा १ को निकाल कर निम्नलिखित रखा जाय—

"नागर क्षेत्र में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर प्रत्येक वर्ष के लिये कर निम्नलिखित दर से लिया जायगा, लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा—

भूमि जिस पर भवन बने हों—भवन के वार्षिक किराये का अधिक से अधिक १० प्रतिशत,

भूमि जिस पर भवन नहीं बने हैं, भूमि के बाजार मूल्य का ढाई प्रतिशत।"

श्रीमन्, इस संशोधन से स्पष्ट है कि जहां तक उन जमीनों का सम्बन्ध है जिन पर मकान बने हुए हैं, उन पर मैंने कोई परिवर्तन का संशोधन नहीं रखा है। सिर्फ ऐसी जमीनों पर जिन पर मकान नहीं बने हुए हैं उन पर टैक्स की दर में मैंने संशोधन रखा है। यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो टैक्सों में काफी वृद्धि होगी। इस टैक्स वृद्धि का जो सिलसिला चल रहा है उसमें अनेक प्रकार के टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। उनकी आवश्यकता को हम स्वीकार नहीं करते। जैसा कि मैं कई बार पहले कह चुका हूं, इस सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि यह टैक्स को बढ़ाये। सरकार का जो रिकार्ड रहा है पिछले १० वर्षों का, उसको देखते हुए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कोई ठेकेदार एक मर्तबा या दो मर्तबा जब अपने ठेके के काम को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे ब्लेक लिस्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के असफल हो जाने के बाद इस सरकार को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिये। लेकिन इन सब बातों के बावजूद यह संशोधन हम इसलिये पेश कर रहे हैं कि सरकार की नीयत को हम टेस्ट कर सकें। सरकार यह कहा करती है कि आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे टैक्स में वृद्धि हो और काम चले। तो मैं यह उपाय बतलाता हूं कि आप उन जमीनों पर जो शहरों में खाली पड़ी हैं टैक्स बढ़ाइये। टैक्स बढ़ाने का जो औचित्य है, उसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि टैक्स की दर जो मैंने संशोधन में रखी है वह वही दर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की भूमि पर सरकार ने अपने बिल में रखी है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि टैक्स की दर बहुत ऊंची है। सरकार जब गांव के रहने वाले छोटे-छोटे किसानों पर जिनके पास ३–४ एकड़ जमीन है, यह उचित समझती है कि उनकी भूमि के मूल्य के ऊपर ढाई प्रतिशत टैक्स लगाये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि शहर के उन धनाढ्य लोगों पर, जिनके पास लाखों रुपये की खाली जमीन सम्पत्ति के रूप में पड़ी हुई है, टैक्स लगाने में क्या आपत्ति है जबकि इन शहरी जमीनों का मूल्य बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसी शहर लखनऊ में जो जमीन १० वर्ष पहले ८ आने प्रति स्क्वायर फ़ुट थी, वह अब २, २।। और ३ रुपये फी स्क्वायर फुट तक बिक रही है। इसका हिसाब लगाने पर यह पता चलता है कि एक एकड़ जमीन जिसका मूल्य २०–२२ हजार रुपये था, उसकी कीमत अब ८६ हजार या १ लाख रुपये के लगभग हो गयी है। तो पिछले दस वर्षों में जिस भूमि का मूल्य ५०, ६० या ७० हजार रुपये बढ़ गया है, उस भूमि से अगर हम ज्यादा टैक्स लेने के लिये कहते हैं, तो कौन-सी ऐसी बात है जिसको आप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं विशेषकर जब वही दर आपने छोटे किसानों के लिये निश्चित की है? किसान मेहनत करता है, उस पर अपनी पूंजी लगाता है, बाढ़, सूखा और तरह-तरह की बीमारियों का मुकाबला करता है, तब भी आप उससे कहते हैं कि जितनी भूमि तुम्हारे पास है, उसके मूल्य पर ढाई प्रति शत टैक्स दो। लेकिन शहर का जो धनाढ्य व्यक्ति है, जिसके पास दो-चार एकड़ भूमि है, जो किसी प्रकार की पूंजी नहीं लगाता, कोई मेहनत-मशक्कत नहीं करता, कोई खतरा मोल नहीं लेता, उसको आप बरायनाम टैक्स लगा कर छोड़ देना चाहते हैं। यह बात स्पष्ट है कि शहर की जमीन पर रेन्टल वैल्यू कोई खास नहीं होती, जब तक कि उस पर मकान नहीं बनता। अगर आप वास्तव में ऐसी जमीनों पर टैक्स लेना चाहते हैं, तो वह रेन्टल वैल्यू पर नहीं हो सकता बल्कि उसकी मार्केट वैल्यू पर ही हो सकता है, और यह मैं बिल्कुल असंगत बात भी नहीं कह रहा हूं। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शहरी जमीनों पर टैक्स लगना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि इस सम्बन्ध में जितने कानून इस देश में है, उनमें बम्बई का कानून सबसे अच्छा है और दूसरे राज्यों में उसका अनुकरण होना चाहिये। बम्बई के कानून में भूमि की मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगता है। तो जिस जमीन से उस के मालिक को ६–७ हजार रुपया सालाना केवल मूल्य वृद्धि के कारण लाभ होता चला आ रहा है, और अभी होता रहेगा, उस पर आप इतनी रहमदिली दिखाते हैं कि आपने कह दिया कि उस पर रेन्टल वैल्यू का केवल १० प्रतिशत ही टैक्स लगेगा।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

इस संशोधन के लाने का मेरा केवल यही उद्देश्य था कि सरकार अपनी नेकनीयती की सफाई दे। इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अगर वह गांवों में रहने वाले किसान के बराबर भी शहर के धनाढ्य लोगों पर टैक्स लगाने के लिये तैयार नहीं है तो साफ जाहिर है कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है और वह गरीब किसान की हमदर्द नहीं है।

आप बार बार कहते हैं, कि सोर्स बताइये कि किस प्रकार हम योजनाओं को चलायें। तो मैं आपको सोर्स बतलाता हूं और यह कोई ऐसी बात नहीं है जो सम्भव न हो। कोई भी इधर क बैठने वाला यह नहीं कहेगा कि शहर के उन धनाढ्यों पर टैक्स न लगाया जाय। यह आपको एक चुनौती है कि आप ऐसे लोगों पर टैक्स लगाइये और यह दिखलाइये कि आपकी नीयत साफ है।

एक बात कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं, वह यह कि इस संशोधन को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो एक और लाभ होगा और वह यह कि शहर में मकान जल्दी जल्दी बनें। अगर ज्यादा टैक्स होगा तो या तो लोग मकान बनायेंगे या ऐसे आदमी के हाथ उस जमीन को बेच देंगे, जो मकान बना सकता हो। एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने लार्ज लैंड होल्डिंग्स के ऊपर टैक्सेशन का विधेयक पास कराया था। उसका उद्देश्य था कि जो जमीन का जायज इस्तेमाल नहीं करते हैं वह टैक्स नहीं दे सकेंगे और उनकी जमीन निकल जायगी, तो उन जमीनों का सदुपयोग होगा। इसी प्रकार शहर की खाली जमीनों पर अगर भारी टैक्स लगेगा तो उन जमीनों का सदुपयोग होगा। इस विषय में मैं जवाहर लाल नेहरू की राय से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि शहरों में जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं उन पर भारी टैक्स लगाना चाहिये। एक तरफ तो आप गांव वालों पर भूमि के मूल्य पर टैक्स लगाने के लिये तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी की यह सिफारिश है और टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की भी यह सिफारिश है तो इस प्रस्ताव को न मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के पैरा १ को निकाल कर निम्नलिखित रखा जाय —

"नागर क्षेत्र में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर प्रत्येक वर्ष के लिये कर निम्नलिखित दर से लिया जायगा, लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा—

भूमि जिस पर भवन बने हों—भवन के वार्षिक किराये का अधिक से अधिक १० प्रतिशत।

भूमि जिस पर भवन नहीं बने हैं, भूमि के बाजार मूल्य का ढाई प्रतिशत।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर वह संशोधन को मान लेंगे तो कारिन्दों को या उन लोगों को जो कर लगाने जायंगे, सुविधा होगी। मौजूदा बिल में जो तरीका पूंजीगत मूल्य का रखा गया है उसमें हिसाब लगाने में गड़बड़ी हो सकती है और जो कर अधिकारी होगा वह हिसाब लगाने में अन्याय और बेईमानी भी कर सकता है। मेरा संशोधन इस प्रकार है कि—

"खंड ३ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भुगतान किया जायगा" के आगे 'जो उक्त भूमि.... घोषित करे' वाक्यांश को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

"जो उक्त भूमि या भवन के वार्षिक किराये या भाड़े के एक प्रतिशत से अधिक न हो।"

इससे, श्रीमन्, बात साफ हो जाती है कि उन भूमि या भवनों पर कर लगाया जाय जिससे उनके स्वामी सालाना मुनाफा कमाते हों और जो स्वयं इस्तेमाल करते हों, अपने जीवन यापन के लिये और किसी प्रकार का लाभ न उठाते हों, उस भूमि या भवन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिये और इस हिसाब से लगना चाहिये कि जितना उसको सालभर में किराया मिलता हो, उसका एक प्रतिशत। मैं अपील करूंगा कि मंत्री जी मेरी बात मान लें।

*श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आपने रखा है उसके रूप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह संकता हूं लेकिन भावना की तारीफ करूंगा। अगर म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज की तरफ जायं तो जितना वार्षिक मूल्य होता है, मान लो दस रुपया किराया है तो उसका वार्षिक मूल्य १२० रुपये होगा तो उसके बारे में जो टैक्स लगता है उसमें रिबेट मिलता है २५ प्रतिशत उस आदमी को जो स्वयं मकान में रहता है। लेकिन जो किराये पर देता है उसके किराये पर टैक्स लगता है। तो जो आप की भावना है वह बड़ी अच्छी है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे लोग जो मकान बना कर खुद रह रहे हैं, किराये पर नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा रिबेट होना चाहिए, कम से कम २५ परसेंट जैसा म्युनिसिपैलीटीज दे रही हैं, उतना दे दें। इससे थोड़ा सा उन लोगों को संतोष हो जायगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो दो एक कोठरी बना कर रह रहे हैं, किराये पर नहीं दे रखा है, उनके लिए इस टैक्स का देना बहुत कठिन हो जायगा, इसलिए उनके संतोष के लिए २५ प्रतिशत का रिबेट ही दे दें, जो म्युनिसिपैलिटीज दे रही हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं दोनों महाशयों की भावना का आदर करता हूं, लेकिन इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्तर्गत "भुगतान किया जायेगा" के आगे "जो उक्त भूमि .... घोषित करे" वाक्यांश को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय:

"जो उक्त भूमि या भवन के वार्षिक किराये या भाड़े के एक प्रतिशत से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री दीप नारायण सिंह का नाम श्री उपाध्यक्ष ने पुकारा, परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री कमलासिंह यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उप खंड (१).....

श्रीमन्, दीपनारायण जी आ गये हैं। जैसा हुक्म हो वैसा किया जाय।

श्री दीपनारायण सिंह—श्रीमन् . . .

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, आप विराजिये। आपको हाजिर होना चाहिए था।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये। मैं एलाऊ नहीं कर सकता। वह पास-ओवर हो गया।

श्री कमलासिंह यादव—असल में अनुरोध यह है कि राधेश्याम जी को अभी आपने परमीशन दे दी। इसी खयाल से अर्ज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—एक गलती हो गई तो दोबारा नहीं करनी है।

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—आप हम लोगों को इजाजत न दें, उन्हीं को दे दें ।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री उपाध्यक्ष—कृपा कर विराजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मुझे सुन लें । आपने व्यवस्था दे दी ।

श्री उपाध्यक्ष—व्यवस्था नहीं दे दी ।

श्री दीपनारायणसिंह—आपने अगर उनको दी, तो आपने उनको जितना समय दिया उसका आधा दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तरीका चलेगा नहीं ।

श्री दीपनारायणसिंह—समय की बचत के लिए जितने मिनट आप कहेंगे उतने ही मिनट में कहूंगा । जो भी आपकी आज्ञा होगी शिरोधार्य करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं । देखिए, कायदे से यह नहीं चल सकता । अब वह बोलने लग गए हैं । आप बैठ जाइए ।

श्री दीपनारायणसिंह—जो सुविधा आपने एक दूसरे माननीय सदस्य को इस संबंध में दी है वह मुझ जैसे सदस्य के लिए क्यों नहीं दी जा रही है, इसके लिए आप मुझे वजह बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—माफ कीजिये । अब आप विराजिए ।

श्री दीपनारायणसिंह—वह वजह तो बता दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—वह गलती से उनका नाम पुकार लिया गया । यह हो गया । लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि वह प्रिसीडेंट हो गया ।

श्री दीपनारायणसिंह—तो गलती से कोई रूलिंग आप दे दें तो वह रूलिंग एक पर लागू होगी, दूसरे पर लागू नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये । आप नहीं थे । आपका नाम बुला लिया गया ।

श्री दीपनारायणसिंह—तो मेरा प्रस्ताव लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—वह नहीं लिया जायगा । वह खत्म हो गया । विराजिए । माननीय दीपनारायणसिंह जी, आप तो कानूनी आदमी हैं, खुद इस बात को जानते हैं, अब वह कैसे लिया जा सकता है ?

श्री दीपनारायणसिंह—आर्टिकिल १४ के अनुसार समान बर्ताव हर एक के साथ होना चाहिए, कांस्टीट्यूशन में यह लिखा हुआ है । तो जब आपने एक सदस्य को बोलने की इजाजत दी तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—उतनी गलती मैंने कर दी, उसका काफी दंड मुझे मिल गया ।

श्री दीपनारायणसिंह—तो मैं आपकी गलती के कारण बैठ रहा हूं ।

*श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति के शब्द "पूंजीगत मूल्य" के स्थान पर शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड तथा टाउन एरिया, नगर क्षेत्र, नोटीफाइड एरिया द्वारा निर्धारित टैक्स या कर" रख दिये जायं।

श्रीमन्, जितने यह टाउन एंरिया, नोटीफाइड एरिया या नागर क्षेत्र इस विधेयक के अन्दर शामिल हैं उसमें यह देखा जाता है, और कानून भी इस बात का है, कि दसवें साल असेसमेंट वहां होता है और उसका जो माहवारी किराया होता है उसके द्वारा उसका वार्षिक मूल्य लगाया जाता है और उसी पर टैक्स लगाया जाता है। तो मैंने जो यह संशोधन रखा है वह इसलिये रखा है कि कहीं क्लाइव की तरह की हालत न हो जाय जैसा कि बंगाल में हुआ था। एक तरफ तो टाउन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा उसका टैक्स या ऐन्युअल वैल्यू निर्धारित की जाय और उसके बाद जो दूसरी एजेंसी सरकार बनाने जा रही है जिसके लिये ३० लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है उसके द्वारा एक दूसरा डिपार्टमेंट बनेगा और उसके अधिकारी असेसमेंट करेंगे, तो इसका नतीजा यह होगा कि एक असेसमेंट बीता और उसके बाद नये सिरे से दूसरा असेंसमेंट होगा; तो आप जानते हैं कि क्या हालत होगी वहां के रहने वालों की, वह बिलकुल इससे ऊब जायेंगे और जिसके लिये कि आज हम डरते हैं, हमारी रूह कांपती है, उस चीज को आप इनवाइट करने जा रहे हैं। जहां पर किसी किस्म का टैक्स या ऐन्युअल वैल्यू निर्धारित न हो तो उस स्थान के लिये तो आपका प्रबन्ध ठीक है कि असेसमेंट नये सिरे से किया जाय लेकिन जहां पर असेसमेंट आलरेडी हो चुका है या जहां पर कि असेसमेंट के द्वारा उसका वार्षिक मूल्य या मंथली किराया तय हो चुका है वहां पर फिर उसमें छेड़खानी करना मैं समझता हूं कि बहुत दूषित प्रणाली होगी। और इसलिये मैं समझता हूं कि जो यह चीज हो रही है यह बहुत दूषित होगी।

साथ ही साथ माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि अगर वह इस संशोधन को मान लें तो उन म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज के बारे में क्या होगा कि जहां पर असेसमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। तो, श्रीमन्, मैं उसके लिये एक संशोधन लाया हूं इस अमेंडमेंट के साथ। जिस म्युनिसिपैलिटी में टैक्स या कर निर्धारित नहीं हुआ है वहां पर कर का निर्धारण अध्याय ३ के मुताबिक किया जायगा। जो कायदा आपने बना दिया है असेसमेंट के लिये वह कायदा उन म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के लिये भी बरता जायगा जहां पर अभी तक टैक्स नहीं लिया जाता है। वहां पर अध्याय ३ के अनुसार असेंसमेंट लगाया जायगा। तो वही क्लाइव वाला तरीका होगा जिसको मैंने अभी बतलाया है। वही हाल वहां पर होगा। एक साल हुआ अभी सब मकानों का असेसमेंट हुआ है। जब आप फिर असेसमेंट करेंगे तो क्या हाल होगा? अधिकारी जायेंगे और जिस मकान की मालियत १,२ हजार रुपया है उसकी मालियत वह १० हजार बतलायेंगे। इससे वह रुपया पैदा करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि इससे करप्शन फैलने की कोशिश होगी। कुछ रुपया सरकार को जरूर प्राप्त हो जायगा और अपनी मदद के लिये सरकार को कुछ रुपया मिल जायगा लेकिन जब फिर असेसमेंट होगा तो उसका स्वरूप दूसरा ही होगा। दूसरा जब असेसमेंट होगा तो दूसरे अधिकारी आयेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि कन्ट्राडिक्शन होगा, इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, जिसको हम बचाना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कर निर्धारित करते समय यह कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट में लोग न जायं और दूसरी तरफ यह कर रहे हैं कि वे लिटिगेशन के लिये उत्साहित हों। जब आप म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया को यह अधिकार देने जा रहे हैं कि वह टैक्स वसूल करें जो इस विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

के जरिये से लगाया जाय और वह वसूल करके सरकार को देदे तो फिर दोबारा असेसमेंट करने की क्या जरूरत है ? यह समझ में नहीं आता। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। लोगों को बसाने के लिये, उनका विकास करने के लिये, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिये, हम टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे रुपया लेकर किसी तरह से विकास करना चाहते हैं ताकि उद्योग हमारा बढ़े और फैक्टरी कायम करें, मगर दूसरी तरफ यह करते हैं कि क प्शान और लिटिगेशन उनके सामने रखें। इसका नतीजा यह होगा कि क प्शान और लिटिगेशन में जो आदमी पड़ेगा उससे उसकी क्रय शक्ति घटेगी। एक तरफ विकास का एलान करते हैं और दूसरी तरफ उसका परिणाम बरबादी हो रहे है। एक बार असेसमेंट हो गया और उसने रुपया दे दिया लेकिन जब दूसरी बार असेसमेंट होगा तो दूसरा अधिकारी आयेगा और वह अपनी मरजी के मुताबिक असेसमेंट करेगा। पहले आदमी की सम्मति वह नहीं मानेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर वह यह कर दें कि जो टैक्स टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिकाओं में निर्धारित हुये हैं उनके ऊपर ही अगर परसैन्टेज फिक्स कर दिया जाय तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हमारा बहुत खर्चा बच जायगा। जो टैक्स निर्धारित हो चुके हैं वह रिकार्ड आपके यहां मौजूद हैं और उससे किसी के बचने का सवाल नहीं है। उसके मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टैक्स इस विधेयक में हम लगाने जा रहे हैं वह वसूल हो सके। इससे जो नगरपालिका या टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया में रहने वाले आदमी हैं उनको आराम मिलेगा और उनके सामने जो यह आपत्ति आने वाली है इससे वह बच जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो असेसड नगरपालिका आदि हैं उनको आप दोबारा परेशान न करें। वहां के रहने वालों को छोड़ें, उनको लिटिगेशन में न जाने दें। उनके सामने जो अपनी क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रश्न है उसे न छेड़ें। टाउन एरिया द्वारा जो निर्धारित असेसमेंट है उसी पर सरकार अपना टैक्स लगाये ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इससे किसी आदमी को टैक्स देने में परेशानी न होगी। इस बात को मान लेने से इन लोकल बाडीज में रहने वालों का भला होगा और माननीय मंत्री जी का भी बहुत सा पैसा २० लाख में से बच जायगा। एक तरफ तो आप सेविंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप अधिकारी बढ़ा रहे हैं, नौकरशाही बढ़ा रहे हैं, यह उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं इस संशोधन की तरफ और आशा करता हूं कि वे इस पर गौर करके इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कमला सिंह जी अगर मेहरबानी कर के ध्यान से इसे पढ़ लेते तो उन्होंने इसे मूव करने के लिये जितना समय लिया वह न लेते, हम को परेशानी न होती, हमारा भी भला होता, उनका भी भला होता, दुनिया का भला होता। जो वह चाहते हैं वह उसके अन्दर है। जहां म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, उनका असेसमेंट है, उसे हम मानेंगे, लेकिन जहां नहीं है वहां हमें कराना पड़ेगा। यह सब इसमें लिखा हुआ है। मेरी इसलिये प्रार्थना है कि वह अपने संशोधन को विदड्रा कर लें।

श्री कमलासिंह यादव—मैंने तो देखा नहीं। मैं चाहता था कि वह मुझे दिखला दें ताकि मुझे जानकारी हो जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे आशा नहीं थी कि मुझे क्लाज खोलना पड़ेगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि या भवन का पूंजीगत मूल्य निम्नलिखित धनराशि के बराबर समझा जायेगा—

(१) यदि भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य (annual value) का अवधारण यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ या यू०पी०

टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन पहले ही किया जा चुका हो, तो इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य अथवा उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथा रिवर्तित वार्षिक मूल्य....."

तो हमारी पहली बेसिस यही होगी।

श्री कमलासिंह यादव—मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐनुअल वैल्यू को माना जाय तो पोजीशन क्या होगी?

श्री उपाध्यक्ष—आपको रिप्लाई का मौका नहीं है। आप इसे वापस लेते हैं या प्रैस करते हैं?

श्री कमलासिंह यादव—मैं वक्त बरबाद नहीं कर रहा हूं। मुझे यह कहना है कि अगर १० रुपये किराये का मकान है तो उसका वार्षिक मूल्य १२० रुपया होगा और १२० रुपये का १० पर सैंट १२ रुपया हो जाता है। तो आप सोचें कि वह कितना ज्यादा होगा। १० रुपये किराये का मकान है और १२ रुपये टैक्स का है। अगर ३ आने रुपया हो जाय तो ३६० आने टैक्स होगा। इस तरह से अगर आप टैक्स लगायें तो उस गरीब की भी बचत होगी और आपका भी फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप तो बहस कर रहे हैं। आप इसे प्रेस करते हैं?

श्री कमलासिंह यादव—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति के शब्द "पूंजीगत मूल्य" के स्थान पर शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड तथा टाउन एरिया, नगर क्षेत्र, नोटीफाइड एरिया द्वारा निर्धारित टैक्स या कर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं इसको पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसके २ भाग हैं। खंड ३ ....

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप रख दें।

श्री रक्षपालसिंह—मैं पहले भाग को पेश करना चाहता हूं और दूसरे को नहीं। इसी विषय पर जो व्यापक संशोधन है वह बाद में आने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष—आप पूरा पेश कर दीजिये, उनको बोलने का मौका मिल जायगा।

श्री रक्षपालसिंह—इससे व्यापक संशोधन माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी का है, इसलिये मैं अपना संशोधन मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह संशोधन खंड ३ में उपस्थित करता हूं।

"खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "मूल्य" के बाद शब्द "के" से लेकर चौथी लाइन के शब्द "करें" तक सभी शब्द निकाल दिये जायं और शब्द "मूल्य" के बाद तथा सेमीकोलन के बीच निम्नलिखित लिख दिया जाय:—

"पर यदि वह ५ हजार रुपये से अधिक है तो १० हजार रुपया तक १ प्रतिशत और उसके ऊपर २ प्रतिशत होगा।"

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

श्रीमन्, मुझे अपने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की बात बहुत पसंद आई। मैं बहुत अधिक वाद-विवाद नहीं करूंगा और बहुत थोड़े शब्दों में कह कर समाप्त करूंगा। वह यह कि मैंने जो यह संशोधन रखा है, उसका अभिप्राय केवल यह है कि भवन कर जो लगाया जा रहा है, उसका विरोध नाना प्रकार से हो चुका है।

(इस समय ४ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पहले तो हम इस सिद्धांत के थे कि इस पर कर लगाया ही न जाय, क्योंकि इस से कारपोरेशन के अधिकारों का अपहरण होता है और जिनको टैक्स देना है, उनकी शक्ति के बाहर है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये यदि हम सफल नहीं हुये तो मैं समझता हूं कि कम से कम कर और भार उन लोगों पर लगाना चाहिये, जिन पर कि यह कर लगने जा रहा है। यदि हम यह संशोधन स्वीकार कर लें तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार की आमदनी भी बढ़ जायगी और जिसको कर देना है, उसको भी इतना मामूली सा कर देने में खलेगा नहीं। मैंने यह कहा है कि ५ हजार के मूल्य तक लगाया जाय। आज के युग में वह रकम बहुत कम है। इसमें एक स्लैब है। इसमें आप देखें कि साफ कहा गया है कि यदि वह ५ हजार रुपये से अधिक है तो १० हजार रुपया तक १ प्रतिशत और उसके ऊपर २ प्रतिशत होगा।

इससे सरकार के खजाने में भी धन आयेगा और किसी को खलेगा भी नहीं। अब जो कुछ कहना है वह माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के बाद ही कहूंगा। मैं चाहता हूं कि वे कुछ इस संबंध में कहें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं तो यही कहूंगा कि वे हमारे त्रिपाठी जी बहुत समझदार आदमी हैं और मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसको वे समझ ही गये होंगे। इसलिये कहने से क्या लाभ होगा? मुझे यह अस्वीकार है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं उनको थोड़ा सुनना चाहता हूं। उनका यह कथन बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। उनको कुछ तो कहना ही चाहिये। क्या मालूम मैं ही उस पर कुछ कह पाऊं?

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे इस संबंध में?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मेरा खयाल है कि मेरा मौन ही काफी एलोक्वेंट है, इस बारे में। इसलिये बोलने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "मूल्य" के बाद शब्द "के" से लेकर चौथी लाइन के शब्द "करें" तक सभी शब्द निकाल दिये जायं और शब्द "मूल्य" के बाद तथा सेमीकोलन के बीच निम्नलिखित लिख दिया जाय—

"पर यदि वह ५ हजार रुपये से अधिक है तो १० हजार रुपया तक १ प्रतिशत और उसके ऊपर २ प्रतिशत होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—)

हां—५९,
नहीं—१०६।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो इस टैक्स के विरोध में हूं, लेकिन चूंकि बहुमत के आधार पर यह बिल पास तो हो ही जायगा इसलिये १० प्रतिशत की जगह ५ का मेरा यह संशोधन है कि खंड ३(१) की पंक्ति में ३ में श

"दस" के स्थान पर शब्द "पाँच" कर दिया जाय। शहरों में वैसे ही टैक्स बहुत है, महापालिकायें २५ फीसदी तक टैक्स ले रही हैं। १० फीसदी और बढ़कर ३५ फीसदी हो जायगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अगर वह इस संशोधन को प्रेस न करें तो मैं यह आश्वासन दिला सकता हूं कि हम ऐक्ट में तो १० ही रहने दें लेकिन लगावेंगे ५ ही।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—बड़ी शुभ बात सुनने को मिली। इसके लिये मैं माननीय शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन यह संसार नश्वर है और यह शरीर भी नश्वर है। मैं कामना करता हूं कि शर्मा जी बहुत दिन तक जीवित रहें। लेकिन इस साँस का क्या ठिकाना है कि अभी बन्द हो जाय? शर्मा जी बिलकुल आस्तिक आदमी हैं। हम लोग तो कुछ घपले में इधर-उधर रहते हैं। तो वह अपने वायदे को कागज पर ले आवें। माननीय कृष्णानन्द राय जी नहीं हैं, वही इसे पेश कर दिये होते और बालोजी अग्रवाल, मुझे विश्वास है, इसके लिये राजी हो जावेंगे। इतने ही में मामला हल हो जायगा और मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में पुलिस द्वारा ग्रामीण जनता पर गोली चलाने के सम्बन्ध में विवाद

श्री अध्यक्ष—अब हम मद १५ पर विचार करेंगे। बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में ३० अगस्त, १९६२ को पुलिस द्वारा ग्रामीण जनता पर गोली चलाने के संबंध में कतिपय सदस्यों द्वारा दिनांक ४ सितम्बर, १९६२, को दी गई सूचनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, आपको १५ मिनट और शेष जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनको १०, १० मिनट और माननीय मंत्री जी को आधा घंटा समय होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जिन लोगों के नाम से कामरोको प्रस्ताव था, जिसे आपने दफा ५२ में परिवर्तित किया था, उन्हें बोलने की कुछ तरजीह मिलेगी?

श्री अध्यक्ष—जिन्होंने यह दिया है, सबको बोलने का मौका दिया जायगा। वही पहले बोलेंगे, फिर दूसरे बोलेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, जिस स्थान पर यह हत्याकांड हुआ है वहां मैं स्वयं गया था। मैंने स्वयं जानकारी कल प्राप्त की। यों तो मैं उस जिले का रहने वाला हूं, मुझे बहुत सी चीजें मालूम थीं, लेकिन मैं कल स्वयं उस स्थान पर गया। दुख, श्रीमन्, मुझे यह होता है कि जो सूचना सरकार को उसके अधिकारियों के द्वारा आती है उस का सही ज्ञान तभी हो सकता है जबकि कोई घटनास्थल पर जाय। वहाँ की स्थिति स्पष्ट कर देती है कि यह घटना अधिकारियों की गलती से हुई, असावधानी से, टैक्टलेसनैस से हुई, या इसलिये हुई कि वे समय की आवश्यकता को नहीं जानते थे। एक रामजानकी सड़क वहाँ आती है। उसके दक्षिण तरफ यह बाँध है। इसके पश्चिम तरफ निहैला ताल है और उसमें से कोआनो नदी में पानी आता है। उससे कोआनो नदी में पानी पहले पश्चिम तरफ चला जाता था जहाँ बाँध नहीं था। हमारी सरकार ने इंजीनियरों को भेजा और उन्होंने निर्णय किया कि यह बाँध बनाया जाय, जिस पर घटना हुई है। उसके पूरब तरफ एक गाँव तथा एक ताल है जिसका जिक्र स्वयं कलेक्टर साहेब ने अपने वक्तव्य में किया है। यह सोचा गया कि उसमें पानी न जाय क्योंकि वरना तो कई सौ बीघा जड़हन के खेत डूब जाते हैं। वह बाँध केवल १।। फरलांग लम्बा है। लेकिन निहैला ताल का पानी इसलिये रोका गया कि पानी का यह स्वाभाविक रास्ता था कि वह रामजानकी रोड से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

होता हुआ, रानीपुर से होता हुआ घाघरा की तरफ चला जाता था। इसमें किसी का नुकसान नहीं था। यह बाँध जो बनाया गया कहीं घुटने के बराबर ऊंचा है और कहीं उससे भी नीचा। जिस जगह यह घटना हुई वहाँ यह बाँध इतना ऊंचा (कंधे पर हाथ रखकर) है। इस वर्ष रानीपुर के लोगों ने अपनी ओर से बाँध बाँध दिया। जब पानी आया और १०,५ दिन रुका तो निहलुा के दरोगा जी से कहा गया कि बाँध कटवा दीजिये। सुना है कि दरोगा जी को उन्होंने खुश भी किया और उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर आवेंगे और बाँध कटवा देंगे। थाने के लोग और दरोगा जी वहाँ गये। रानीपुर के लोगों ने भी उन्हें प्रसन्न किया। छः सात दिन से वहाँ टेन्शन बढ़ रहा था। २४ तारीख को पहले पानी वहाँ पहुंच गया था। अधिकारियों को यह सूचना मिल गई थी लेकिन केवल ४ पुलिस वहाँ गये। २६ तारीख को पुलिस आई और फिर चली गई। २७, २८ को नायब तहसीलदार, बी० डी० ओ०, एस० ओ० और ५, ६ पुलिस के लोग फिर गये और लौट आये। हमारे दरोगा जी नित्यप्रति कोशिश करते रहे कि बाँध कट जाय। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि हम नहीं कटने देंगे, यह हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है। दरोगा जी ने कहा कि हम बाँध कटवाकर छोड़ेंगे। क्या घटना हुई, इसे मैं छोड़े देता हूं क्योंकि दूसरी बातें जो मैं कहना चाहता हूं वे ढक जावेंगी। ३० तारीख को एस० डी० ओ० महोदय आये। कहा जाता है कि मन्त्री महोदय भी वहाँ गये थे। स्वाभाविक रीति से दरोगा जी ने लोगों से कहा कि मन्त्री जी के पास जाओ और कहो कि हमारा गाँव डूबा जा रहा है, वह कलेक्टर को लिखेंगे, कलेक्टर एस० डी० ओ० के पास लिखेगा और फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। चुनांचे ऐसा उन्होंने किया। ३० तारीख को जो एस० डी० ओ० महोदय गये वह खलीलाबाद तहसील में १०, १५ दिन पहले ही ट्रांसफर हो कर आये थे, उम्र में और सर्विस में, हर मामले में, नये थे। मुझे दुख है कि काउन्सिल में यह भाषण दिया गया कि दरोगा जी ने डैकैत को पकड़ा। यह दरोगा जी उनसे नाराज हो गये जिन्होंने कहा कि हम बाँध को कटने नहीं देंगे। एक मर्तबा २६ तारीख को कहा गया था कि लाओ, पंचायत कर लें। पंचायत में तय नहीं हुआ। रानीपुर के बाँध को काटने के लिये उन्होंने कहा। अब यह देखा जाय कि इसका काटना उचित था या अनुचित। इस बाँध को, जो कि इंजीनियरों द्वारा सरकारी खर्चे पर बाँधा गया था और गाँवों को पानी में डूबने से बचाने के लिये बाँधा गया था, उसी को काटा गया। और कहा जाता है कि उसको बचाने के लिये लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हुए थे। अब दरोगा जी और कलेक्टर साहब कहते हैं कि उनको सूचना थी लेकिन अगर सूचना थी तो गये क्यों नहीं? इंसीडेंट होने के बाद उत्तेजना बढ़ाने के लिये लोग जाते हैं। ३० तारीख को कलेक्टर साहब कहते हैं कि हमने इंजीनियर को वहाँ भेजा, जाँच कराई, तब निर्णय लिया। लेकिन वाकया यह है कि वहाँ कोई गया ही नहीं। मंत्राणी जी जाना चाहती थीं लेकिन नहीं पहुंच पाईं। मोटर और हवाई जहाज से वहाँ की स्थिति का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो सकता। मैं जब रात को ३ बजे चला तब ११ बजे पहुंचा लेकिन इंजीनियर कहता है कि वह १० बजे वहाँ पहुंचा।

इस वाकए के पहले ही दफा १४४ लगा दी गयी थी और उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों से फरसा, डंडा, लाठी आदि सब रखा लिये गये। ये सब रखाने के बाद बाँध काटा गया। लेकिन उस बाँध को जो कि रानीपुर के लोगों द्वारा बनाया गया था, उसको नहीं काटा गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने दरोगा जी को संतुष्ट कर दिया था।

जब वे उस बाँध को काटने को उद्यत हुए तो रामदास नाम के एक व्यक्ति ने यह कहा कि इसको न काटिये, इससे हमारी सारी जीविका चली जायगी, और वह उस स्थान पर लेट गया। कुछ ऐसे भी लोग गये थे जो मुकाबला करने आये थे लेकिन उनके हथियार, फरसा, लाठी आदि रखा लिये गये थे और जो बाद में डिफेंस में काम में लाये गये। उसके लेट जाने पर दरोगा जी ने कहा कि इसको मारो। चौकीदार ने उसको मारा। इसके बाद ५ आदमी और वहाँ लेट गये। पहले दरोगा जी ने अपने रिवाल्वर से गोली चलाई, फिर गोली चली। कुछ वहाँ

लेट गये थे और बहुत से लोग वहाँ से भागने लगे। उन लोगों के ऊपर गोली चलाई गयी। अब देखना यह है कि गोली लगी कहाँ? कहा जाता है कि कमर के नीचे गोली चलाई गयी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी के यहाँ गोली लगी है, और किसी के यहाँ, किसी के कमर में गोली लगी है, अधिकतर लोगों के कमर से ऊपर ही गोली लगी। जिन लोगों के गोली लगी उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनके रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया गया। बहन, बेटियों तक को उनके पास नहीं जाने दिया गया।

कहा जाता है कि अगर यह बाँध न तोड़ा जाता तो बहुत सा लाइफ ऐन्ड प्रापर्टी का नुकसान हो जाता, हजारों बीघा जमीन पानी के अन्दर डूब जाती, फसल नष्ट हो जाती। जहाँ तक लाइफ एन्ड प्रापर्टी की बात है, उसको कोई खतरा नहीं था। ये गाँव बहुत ऊंचे थे। रही फसल के डूब जाने की बात, वह तो दस दिन पहले जो वर्षा हुई थी वह खराब ही हो गयी थी, उसके फिर से खराब होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने गोली चलवायी। हमारे अधिकारी महोदय जो वहाँ गये और जिन्होंने यह देखा कि यदि दुबौली बाँध न बंधता तो बकौली, दीपपुर, डीहवा, कड़बी, बुजुर्गवार, गौरपार वगैरह पचासों गाँव न बचते और ढरौरा ताल में पानी जाकर हजारों बीघे की फसल नष्ट हो जाती। आज भी देखा जाय तो बाँध के कटने से करीब १५ मील में पानी भरा हुआ है और तमाम गाँव डूबे हुए हैं। केवल निहैला वगैरह पाँच गाँव बचे हुए हैं। एक बात आप और देखें कि जितने भी अधिकारी हैं वे सब कसूरवार हैं। लेकिन दुख की बात है कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण भी ऐसे मौके पर बदल जाता है। हम विरोधी दल में क्यों न हों लेकिन सरकार जैसे औरों की है वैसे ही वह हमारी भी है। उनकी भी सरकार है और सभी सरकार की रिआया है। अधिकारी तो सरकार रिआया के बीच में माध्यम का काम करते हैं। यदि किसी माध्यम से कोई गड़बड़ करे, जिस माध्यम पर जनता का विश्वास हो और वह अगर गलती करे तो सरकार को चाहिये कि उसे सजा दे ताकि उसको भी विश्वास हो कि अगर आयन्दा हमने इस तरह की कोई गलती की तो सरकार हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के अधिकारी जब कहीं गोली चलवा देते हैं तो सरकार एक पार्टी की तरह से उनके डिफेंस में आ जाती है और उनको बचाने की कोशिश करती है। जब आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि दफा १४४ लगी हुई थी तो फिर फरसा आदि लेकर आपको कौन मारने आ रहा था? सारी चीजें तो आपने छीन कर रख ली थीं और बीच में पुलिस भी खड़ी थी फिर उस अथाह पानी में इतनी दूरी से कौन डिप्टी साहब को मारने आ गया था? कुछ लोगों का तो कहना है कि किसी ने डिप्टी साहब की सूरत तक नहीं देखी लेकिन केस बनाने के लिये इस तरह की सारी बातें की जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ लो। ब्लेड से छील कर घाव बना रहे हैं, कई हाथ में घाव बना रहे हैं ताकि डिफेंस में उसे पेश किया जा सके कि गोली चलाने का क्या कारण है। अगर समाज का विश्वास सरकार में न हो, और हमारी प्रजा का विश्वास सरकार में न हो तो डेमोक्रेसी कभी भी सफल नहीं हो सकती। यदि किसी अधिकारी ने गलती की तो उसे सजा देनी चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि इसमें सरकार की बदनामी है। इससे तो सरकार में जनता का विश्वास और बढ़ेगा कि हमारी सरकार सत्य का पता लगा कर गलती का परिमार्जन करती है। आज सरकार ऐसे आफिसरों व अपने इंजीनियरों को ऐसे मौके पर भेजती है जिनको इतनी तक तमीज नहीं है कि बाढ़ आ जाने से कितना पानी बढ़ जायगा। उनका यही कहना था कि पानी कट जाने से केवल ८ इंच पानी बढ़ेगा जब कि बाँध के कट जाने से तमाम गाँव डूब गये और उल्टे गोली चलायी जाती है, जब कि वे पुलिस अधिकारियों के पैरों पड़ते हैं कि हमारी रक्षा की जाय। यह कहाँ का इन्साफ है कि आज उनके खिलाफ दफा १४७, ३५३, ३२८, १४५ के मुकदमें चलाये जा रहे हैं? मैं मौके पर नहीं गया हूं लेकिन वहाँ जाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि बाँध की नींव से पानी ओवर-फ्लो होकर निकल जाता और कोई विशेष दिक्कत नहीं होती लेकिन ऐसा न करके बाँध को काटने की सलाह दे दी गयी। एक तरफ तो ऐसा हुक्म

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

दे दिया गया कि उनकी जानें गयीं और दूसरी तरफ उन पर मुकदमे भी चलाये जाते हैं। इसमें मंत्री जी का दोष अधिक नहीं है। उनके पास जो लिखे हुये सरकुलर आते हैं उन्हीं को वह मानते हैं। परन्तु अगर हमारी सरकार स्वयं देखे कि वहाँ कितना भारी अन्याय हुआ है, जिनका सब कुछ गया और धन की रक्षा के लिये जिन की जान भी गई।

देखा जाय कि वहाँ की पुलिस ने किस तरह से ज्यादती की है लेकिन आज तक वहाँ के दरोगा जी को वहाँ से नहीं हटाया गया है। मंत्री जी कहते हैं कि उन दरोगा जी ने डाकू पकड़े हैं और हमारे गाँव के ३ कोस पर ही हत्या हुई है, वह आदमी बदमाश जरूर था लेकिन बड़ी बुरी तरह से उसको मारा गया। उसके बारे में जुडीशियल इन्क्वायरी हुई इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी पुलिस और एग्जीक्यूटिव कोई गलत या सही काम करती है तो कहा जाता है कि डिफेंस के लिये ऐसा किया गया। मुझे मालूम है कि ओवरसियर ने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट नहीं कराया लेकिन अब केस बनाया जा रहा है और ब्लेड से निशान बनाये जा रहे हैं, अब डिफेंस सामने आ जायगा, कहा जाता है कि हमको मारा गया लेकिन किसी को मालूम नहीं कि कब मारा। एक औरत रोती हुई आई कि केवल दस रुपए बचा कर रखे थे वह भी नहीं दिये, उसकी खोपड़ी गंजी कर के रखा और मारा। जब लाश को मांगा तो नहीं दिया गया और लाश को बाँध कर जब घसीट कर ले जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यह ठीक नहीं है इस पर अस्पताल के थोड़ी दूर पर गढ़ा खोद कर काँटे रख कर उसे दबा दिया गया। इस प्रकार का अमानुषिक कार्य और घटना हुई हैं। मैंने स्वयं जाकर क्रास एग्जामिन करके पता लगाया है और मुझे विश्वास है कि वह सब सुनकर अगर मंत्री महोदय होते तो वह भी किसी दूसरे नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। अतः मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन अधिकारियों के बारे में गरीबों के हित में नहीं तो न्याय के हित में, आगे इस प्रकार की घटनायें न हों, और ऐसी घटनाओं की आशंका हो तो पहले से कलेक्टर और एस० पी० जाकर निर्णय करें और चुप-चाप न बैठे रहें। अगर पहले से निश्चित कदम उठाये जायं तो मुझे विश्वास है कि ऐसी घटनायें कहीं न दोहराई जायं।

*श्री झारखंडेराय---मान्यवर, जो चश्मदीद रिपोर्ट मेरे पास आई है वह करीब-करीब वैसे ही है जैसी कि त्रिपाठी जी ने पेश की है और इसीलिये मैं उसकी ज्यादा तफसील में न जाऊंगा, उसमें जाना सदन के समय का अपव्यय होगा। मैं केवल कुछ बुनियादी बातों पर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यह हत्याकांड बाढ़ पीड़ितों पर किया गया है, यह तो जले पर नमक छिड़कना है। जिन बाढ़ पीड़ितों को सरकार सहायता दे रही है, जिनकी तकलीफ को देखने के लिये स्वयं हमारे मुख्य मंत्री जी तथा माल मंत्री जी गये थे और हम में से भी बहुत से लोग अपने-अपने क्षेत्रों में और जिलों में भी दौरा कर के देख आये हैं, उनके ऊपर गोली की वर्षा हुई है और मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि गोलीकांड अकारण हुआ है, अनावश्यक हुआ है, मैं तो इस को हत्या कहता हूं और इसके हत्यारे खलीलाबाद के हाकिम परगना हैं, वहां के थानेदार हैं। उनकी तो सजा यह होनी चाहिये कि उनको कौंसिल हाउस के सामने खड़ा कर के गोली मार दी जाय लेकिन आज की न्याय व्यवस्था को देखते हुये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इनके ऊपर ३०२ का मुकदमा चलाया जाय और हेड फार हेड के सिद्धांत के अनुसार सिर के लिये सिर लिया जाय, तब ही उनका दिमाग ठिकाने आ सकता है और उनकी जो बार-बार गोली चलाने की आदत हो गयी है वह रुकेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिलाधीश महोदय ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, कमिश्नर साहब को सरकार ने जांच के लिये नियुक्त किया, उनकी और उनकी बीबी की तारीफ हो चुकी है, विधान परिषद् में उनके पुराने कारनामों की, उनके संतुलन मस्तिष्क की। हम नहीं उम्मीद करते और न मुझे आशा है कमिश्नर साहब, मुख्य मंत्री जी या सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के मंतव्य को समझ कर उसके दायरे से बाहर जा कर जिलाधीश या अधिकारियों को किसी प्रकार दोषी ठहरा पायेंगे। इसलिये मैं मांग करता हूं सदन की एक अलपार्टीज कमेटी बनायी जाय जो जा कर मामले की जांच करे। बहुमत उन्हीं लोगों का रहे लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ऐसा किया जायगा, एक साथ जायंगे, एक साथ गवाही लेंगे तो हमारे मन्तव्य दो नहीं होंगे। मान्यवर, ५ गांव बचाने के लिये २५ गांवों को डुबाया गया है। यह बुद्धि का परिचय है और वह ५ गांव वाले वह हैं जिनके बारे में पक्की सूचना है १,००० रु० वहां के थानेदार को घूस दी है उसके बदले में यह गांव डुबाये गये हैं। गांव वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं, खुले आम मैं उनकी तारीफ करता हूं शान्तिपूर्ण तरीके से, धमकी के बावजूद भी, वे अपनी उचित मांग करते रहे और उन्होंने सब से बड़ा कदम धरना की शक्ल में उठाया, वह लेट गये थे कि हम बांध नहीं काटने देंगे क्योंकि उनकी जिन्दगी का सवाल था। अगर जीविका नहीं रहेगी तो जिन्दगी नहीं रहेगी। इसलिये गांव वालों ने शान्तिपूर्ण तरीके से उसका प्रतिरोध किया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी जनता के अन्दर वह भावना जो महात्मा गांधी ने पैदा की वह बनी रहे चाहे कोई भी सरकार हो।

मान्यवर, आज वहां पुलिस बटालियनें दो पड़ी हुई हैं, आतंक का पूरा राज्य है। गांव वालों में जितने मर्द हैं सब भाग गये हैं; केवल औरतें रह गई हैं और मुझे यहां तक सूचना है कि हमारी बहनों की अस्मत भी लूटी गई है। मैं इसको बड़ी वेदना और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और चाहता हूं माननीय गृह उप मन्त्री जी इसकी गहरी जांच करावें। आज तो हालत यह है अगर उस गांव में जाया जाय तो इतना आतंक है कि उस गांव वाले यह तक कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि गोली भी चली। लेकिन अगर पुलिस बटालियन हटा ली जाय, थानेदार मुअत्तल कर दिये जायं, पूरा स्टाफ हटा लिया जाय और एस० डी० एम० को यहां बुला कर मुख्य मन्त्री के बंगले पर रखा जाय उसके बाद शान्त वातावरण में गवाही ली जाय तो सही बातें सामने आयेंगी, जिनको मातायें, बहनें और भाई कहेंगे जिन पर बीती है और जुल्म ढाये गये हैं।

मान्यवर, अफसोस इस बात का है कि क्रिमिनल्स तक की सहायता ली जा रही है पुलिस के जरिये वहां की जनता को दबाने के लिये। शरम आनी चाहिये इसके लिये। जो क्रिमिनल कल सर पर सवार हो सकते हैं उनकी सहायता ली जा रही है मासूम जनता को दबाने के लिये अधिकारियों से। माननीय सुचेता जी गई थीं जांच करने, शायद सरकार की ओर से उनको भेजा गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि सुचेता जी को एक जगह ले जाया गया और उसके बाद कह दिया गया कि आगे अथाह पानी है कैसे जा सकती हैं। डी० एम० वहां जा सकता है, एस० डी० एम० वहां जा सकता है, पुलिस जा सकती है, गोली मारने वाले पहुंच सकते हैं लेकिन उनकी दशा दिखाने के लिये मंत्री जी नहीं जा सकती हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं आ सकती। जानबूझ कर उनको जाने से रोका गया बहाना बना करके ताकि वे वास्तविकता को न जान सकें। वरना मुझे विश्वास है ऐसे आदमी आते उनके सामने जो अपनी बात कहते। आज मेरी इत्तला है कि अगर बांध न काटा गया होता, नुकसान जरूर हो रहा था, नुकसान उधर भी हो रहा था, लेकिन बांध काटने के बाद उनका डूब गया, जीविका गयी, प्राण गये, उनकी जिन्दगी के सहारे चले गये। कौन जिम्मेदार इस बात का है, हत्या का और रोजी छीनने का ? मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसी सजायें दी जायं जो औरों के लिये याद बन जायं। लेकिन सरकार ने यह नियम बना लिया कि जो अधिकारी कर दें वह ठीक और यहां उसे डिफेंड किया जाय। इस तरह से यह नौकरशाही उन्हें खा जायगी और यह नीति सरकार को भस्म कर देगी।

मान्यवर, कहा गया कि बरछे, कांते, बल्लम क्या क्या लोग लेकर आये थे। वहां फड़वा, कुदाल की जरूरत थी। बहुत किया होगा तो उसे रोकने के लिये डंडे लेकर चले गये होंगे।

[श्री झारखंडेराय]

किस अधिकारी को चोट लगी, कहां चोट लगी, कितनी चोट लगी ? ऐसी स्थिति में यह गम्भीर सवाल है। यह गोलियां विद्यार्थियों पर नहीं चली हैं। शहर के मध्यम वर्ग पर नहीं चली हैं। ये चली हैं बाढ़पीड़ितों पर जिनके सामने सालभर भूखे रहने का सवाल था। उनके बच्चों की आहें सुनायी पड़ रही हैं। उन पर ये गोली चली है। इसलिये आपसे अपील करूंगा कि सरकार इस मसले को मजबूती के साथ ले और डिफेंड करने की पालिसी कतई छोड़ दें। मेरी मांग है कि पी० ए० सी० व टेलियन फौरन हटा ली जाय। उसे रद्द कर आतंक का राज्य रखा जायगा। यह अंग्रेजों का पिटा पिटाया तरीका है। जिस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान पर अपना राज्य कायम नहीं रख सके उसी तरह से यह सरकार भी यहां कायम नहीं रह सकती।

मेरा यह निवेदन है कि एस० डी० एम० तथा थानेदार को मुअत्तल करके, वहां से हटा कर के, जांच की जाय। जिस अनुपात में यहां मुख्तलिफ पार्टीज हैं उस अनुपात में एक कमेटी बना कर हम सब जांच करें और उसकी रिपोर्ट आपको और सरकार को दें। उस पर कार्यवाही हो और जो लोग मरे हैं, घायल हुए हैं उनको भरपूर सरकार मुआविजा दे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर दो घंटे का वादविवाद आज इस सदन में कराने की कृपा की। मान्यवर, आज प्रश्न यह नहीं है कि बस्ती जिले के दुबौली कांड में ३ व्यक्ति गोली के शिकार हुये और ६ व्यक्ति घायल हुये। प्रश्न तो यह है कि १५ साल से जब से यह अपनी सरकार कही जाने वाली जो इस गद्दी पर आकर बैठी है तब से अनेकों बार इसने और इसके अधिकारियों ने गोली चलाई है, लोगों की हत्यायें की हैं और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की हत्या की है और इस पर माननीय सदन को ठंढे दिल से विचार करना चाहिये। दुबौली कांड में मैं समझता हूं कि वहां के अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार हैं और उनको फौरन मुअत्तल होना चाहिये और उन पर भारतीय दंड विधान की धाराओं के अनुसार कत्ल के मुकदमे चलने चाहिये। अगर ऐसा किया गया होता तो हम समझ सकते थे कि इस सरकार के जरिये जनतंत्र जिन्दा रह सकता है लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जो अभी खड़े हो कर कहेंगे कि हमारे अफसरों ने बड़ी नेकनीयती से, ईमानदारी से काम किया और जो उनको जिलाधीश की रिपोर्ट मिली है अभी इस सदन में उसको पेश कर देंगे। दिबियापुर के हंसराज की और बिहारी वगैरह की मृत्यु हो गयी और ६ आदमी घायल होने के बाद बस्ती सदर अस्पताल भेजे गये। किस तरह से मरे हुये लोगों के साथ व्यवहार किया गया, उनके बच्चे चीखते रह गये, अफसोस करते रह गये कि हमको लाश दी जाय लेकिन सरकार ने उनके बच्चों को उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिये लाश नहीं दी। आज हालत यह है कि जो बटालियन भेजी गयी है वह जिस तरह से नर संहार, लूट पाट कर रही है उससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। जहां पर कि आज औरतों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह गयी है, ३० अगस्त से आज तक किवाड़ बन्द कर के घरों में पड़ी हैं। रात में पी०ए०सी० का जवान आता है और कहता है कि बताओ वे लोग कहां हैं जो भागे हुये हैं। आज वहां पर आतंक का वातावरण है। श्रीमन्, आखिर मामला क्या है ? मामला है कि इंजीनियर दुबौली बांध बनाता है। फिर उसके बाद काटने की स्थिति कहां पैदा होती है ? १५ वर्ग मील जमीन आज डूब गयी, कोई बचाने वाला नहीं है; बाढ़ एरिया में वे क्या खायेंगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बरअक्स पुलिस के जवानों को भेज कर जो कुछ उनके घरों में है वह भी लूटा जा रहा है। तीन-तीन उच्च अधिकारी मुकदमा बनाने के लिये पड़े हुये हैं। यह किसी भी जनतांत्रिक सरकार के लिये शर्म की बात है और कोई भी सरकार जो जरा भी नैतिकता रखती हो वह शर्म से झुक जायगी।

मान्यवर, इंग्लैन्ड में भी पुलिस है। लेकिन वहां पुलिस का क्या काम है ?

"In Britain the basic conception is that the police or civilians whose job is to protect and to help their fellow countrymen."

ब्रिटेन की पद्धति से ही हमारे देश में जनतंत्र चल रहा है, लेकिन वहां की पुलिस जन सेवा और उनके सहयोग के लिये रखी जाती है और हमारी पुलिस, अध्यक्ष महोदय, आप नहीं थे, हम लोग जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं गेट के बाहर रोक दिये गये, गेट बन्द कर दिये गये, कुछ माननीय सदस्य गेट के अन्दर नहीं आने पाते हैं, सदन की सेवा से वंचित रह जाते हैं और उसके बाद यह सरकार पुलिस की हिमायत करती है। आज यह सरकार कलेक्टर और कमिश्नर की सरकार हो गयी है। मुख्य मंत्री ने अखबारों में एलान किया कि हम कमिश्नर से जांच कराना चाहते हैं। कमिश्नर तो आपका ही अधिकारी है जो आपके इशारे पर नाचता है। उस अधिकारी से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सही ढंग से काम करेगा। इसलिये जो माननीय झारखंड राय जी ने कहा वह एक सुझाव हो सकता है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का यह कहना है कि जुडिशल इन्क्वायरी किसी हाई कोर्ट के जज से कर ली जाय, सारी पुलिस वहां से हटा दी जाय, दरोगा को मुअत्तल कर दिया जाय और जो सिपाही हैं जिनकी वजह से ६ आदमी गोली खा कर अस्पताल में भरती हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। अगर पुलिस ऐक्ट देखा जाय तो उसमें साफ लिखा है कि हमारी पुलिस किन हालत में गोली चला सकती है, मैजिस्ट्रेट किस समय हुक्म दे सकता है। उसको पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि जो एस०डी०एम० कलेक्टर के हुक्म से भेजे गये थे वह जब तक कलेक्टर से हुक्म न ले लेते तब तक उनको गोली चलवाने का कोई अधिकार नहीं था। दफा १४४ का वारंट कब ईश्यू होता है? दफा १४४ गोलीकांड के बाद लगायी जाती है। आज भी १४४ दफा का जो परवाना एलान किया गया है उस पर अगर मुहर देखी जाय तो स्थिति का पता चल जायगा कि कब की मुहर हाकिम परगना ने लगायी है। श्रीमन्, हम तो बहुत परेशान हैं कि आखिर यह सरकार जनतंत्र की रक्षा कैसे करेगी। आखिर यह सरकार कितनी बार उन निरीह लोगों पर गोलियां चलायेगी जो कि आज खाने बगैर मर रहे हैं। यह हमारे प्रदेश और देश के सामने एक परिस्थिति है।

मान्यवर, आप हमारे रक्षक हैं, आप जनतंत्र के प्रहरी हैं और आपके जरिये हम लोगों की मान मर्यादा और इस प्रदेश की मान मर्यादा की रक्षा होनी है, लेकिन मैं देखता हूं कि आज सरकार खुले तरीके से अपने अधिकारियों के हाथ में कठपुतली के तरह से खेल रही है। जो कलेक्टर कहेगा उसी को यह मान लेंगे। अभी सुचेता जी ने उस दिन भाषण दिया था। वह घटनास्थल पर पहुंची नहीं। सरकारी अफसरों ने मोटर पर घुमाकर एक स्थान पर छोड़ दिया और कह दिया कि अब आगे पानी में से जाना पड़ेगा। उन्होंने समझा होगा कि सही होगा और हम नहीं जा सकेंगे इसलिये वह चली आईं और यहां भाषण दे दिया। ऐसा मालूम होता था कि इन्द्र सभा से कोई चीज आ गई है तो असत्य नहीं हो सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह बस्ती जिले से चुनाव लड़कर आई हैं और वहां का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इसलिये आपका फर्ज है कि आप वहां मौके पर जाकर सही स्थिति को देखें।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि गोलीकांड बहुत हुये हैं और अब जनता उसको सहन करने के लिये तैयार नहीं है और मैं उस कांड में जो शहीद हुये हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने जन जीवन की रक्षा के लिये इस प्रकार से आन्दोलन किया और गोलियां सहीं। अंग्रेज भी गोली चलाते थे, लेकिन इन १५ सालों में जितनी इस सरकार ने गोलियां चलाई हैं उससे मालूम होता है कि इन्होंने तो अंग्रेजी सरकार को भी मात कर दिया है। अगर हमारी सरकार नहीं संभलती है तो जनतंत्र पवित्र नहीं रहेगा और पाकिस्तान बगल में है, जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र टूटेगा और जनतंत्र की परम्परायें टूटेंगी; तो मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जनता अपने हाथ में शक्ति लेगी और जो हालत होगी उसका आप लोग अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी नीचे के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर इसकी जुडीशियल इंक्वायरी करायेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं तो समझता था कि माधव बाबू के बोलने के बाद, स्थिति स्पष्ट करने के बाद सरकार की ओर से अधिकृत वक्तव्य आना चाहिये था जिससे हम लोग स्थिति को समझ सकते। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी को हमारी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है लेकिन यह एक अजीब परिपाटी है कि वे अपने शांति के साथ बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो चाहे ये लोग बक जायं। फिर हम जो चाहे उल्टी सीधी बात कह देंगे। हमें दुख है कि सरकार की ओर से कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। मैं जो कुछ समझ पाया हूं उसके आधार पर अपना मत आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह सरकार सीधे नहीं सुनती है। इसको नीचे से रिपोर्ट चाहिये।

श्रीमन्, पहला प्रश्न यह उठता है कि जब यह मालूम था कि टेंशन है और प्रति वर्ष होता था तो फिर ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस क्यों नहीं गये? घटनास्थल पर एक थानेदार और थोड़े समय के लिये आये एस०डी०ओ०, और उनके ऊपर इतना बड़ा निर्णय छोड़ देना उचित नहीं था। मैं समझता हूं कि उनको जाना चाहिये था और अगर नहीं गये तो मेरा मत है कि यह सिचुयेशन का मिसहैंडलिंग है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना कार्य सुपरिन्टेन्डेन्ट और कलेक्टर ने किया इसीलिये फायरिंग हुई। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की भावना प्रशासन में क्यों आई। श्रीमन्, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन मुख्य मंत्री जी नहीं गये, गृह मंत्री जी नहीं गये। एक महिला मंत्री गईं और ऐसे समय में जबकि बाढ़ की स्थिति से आने जाने के साधन भी बिगड़े हैं एक महिला का भेजना अनुचित है। तो यह दोनों बातें इस मात की द्योतक हैं कि प्रशासन के अन्दर जो वृत्ति हो गयी है कि हम जो चाहें कर लें, कोई बोलने वाला नहीं है, यह इस कारण है कि इनकी ओर से उनकी गलतियों को प्रश्रय दिया जाता है। मैं जानता हूं कि जब उनकी ओर से भाषण तो क्या बौद्धिक दिया जायगा, वह लीपापोती या सफाई होगी।

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—What are you doing ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—I am talking sense, but you don't understand. (व्यवधान) I do what every sensible man does.

तो, श्रीमन्, अच्छी बात तो यह होती कि जहां इस प्रकार का नर संहार हो वहां गृह मंत्री को स्वयं जांच करनी चाहिये, रिपोर्ट पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। यह बात स्वाभाविक है कि प्रशासन का छोटा अधिकारी या जिले स्तर का अधिकारी गलती कर बैठता है। तो उसको जस्टीफाइ करने का प्रयास नहीं होना चाहिये। उसके अनुरूप रिपोर्ट रची जाती है। जहां किसी मामले में अगर कोई अधिकारी गलती कर देता है तो ऊपर से नीचे तक सब उस गलती का प्रतिपादन करते हैं। इन चीजों का परिमार्जन और परिहार तभी हो सकता है जब मंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर जाते, उसको देखते और जांच करते।

श्रीमन्, एक बात और सभी लोगों के मन में उठती है। जो बांध बांधा गया, जिस इंजीनियर की सलाह से बांधा गया, वह एक्सपर्ट है। हमारी सरकार एक्सपर्टों की दुहाई देती है। अगर कोई एक्सपर्ट सरज को चन्द्रमा कह दे तो उसको सही मान लेती है। तो वह एक्सपर्ट रहे होंगे। क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि पानी का बहाव किधर है, अगर बांध बांधा जायगा तो इससे कितनी क्षति होगी। क्या सम्पूर्ण स्थिति का ज्ञान, उसका अन्वेषण, उसकी गवेषणा हुई या नहीं, यह भी एक प्रश्न उठता है क्योंकि मैं सदन में सुनते सुनते थक गया कि जहां बांध हैं वहीं बाढ़ आयी। तो क्या इसके मानी यह होते हैं कि बाढ़ का रूप मैन-मेड फ्लड तो नहीं, क्या इंजीनियरों की गलती से बाढ़ तो नहीं आ रही हैं? इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह आरोप नहीं करता हूं कि मैन मेड फ्लड्स हैं, लेकिन इस तरह की घटनायें देखने के बाद एक प्राइमा फेशी इम्प्रेशन होता है कि क्या मनुष्य की गलती से यह विभीषिका खड़ी हो रही है। मैं चाहूंगा कि इसका भी माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

मुझे अभी माधो बाबू ने बताया कि अब वहां पुलिस का आंतक चल रहा है। हैरासमेंट और टेरर फैलाया जा रहा है। एक ही गांव में, गौरापार में ४२ पी०ए०सी० के कांस्टेबुल मौजूद हैं। गौरापार गांव में ६०-७० घरों की आबादी है उसमें ४२ पी०ए०सी० के आदमी गश्त कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी राजक्रांति हो गयी है ? क्या वहां कोई बड़ा षडयंत्र हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में पी०ए०सी० तैनात है ? यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वहां हैरासमेंट और टेरर फैलाया जा रहा है। उसका परिणाम यह है कि गांव के लोग घर छोड़ कर भाग गये। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय कह रहे थे कि स्त्रियां घरों के अन्दर दरवाजा बन्द करके बैठी हैं। यह क्यों ? क्या इससे यह भावना नहीं निकलती है कि पुलिस के अधिकारी अपनी गलती को जानते हैं कि वह गलती इंक्वायरी कमीशन के सामने प्रत्यक्ष न हो पाये, इसलिये टेरोराइजेशन किया जा रहा है ? फिर एक प्रश्न उठता है कि दफा १४४ लगी। साधारणतः यह होता है कि दफा १४४ में अगर लोग हथियार, डंडे, भाले, वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो पुलिस ले लेती है। तो एकदम से जिसको कहते हैं कि जूपिटर का दिमाग फटा और एथेना कूदकर बाहर आ गई, ऐसी तो स्थिति आयी नहीं होगी। दस-दस पांच-पांच लोग वहां आये होंगे। उस समय पुलिस वहां उपस्थित थी। क्यों नहीं उसने उसी समय उनके डंडे, भाले वगैरह ले लिये ? इसके माने बिलकुल सीधी और स्पष्ट बात है कि घटना स्थल पर किसी प्रकार का शस्त्र, डंडा, भाला, वगैरह लोगों के हाथ में नहीं था। यह दरोगा की तानाशाही और पक्षपात है और मैं बिलकुल स्पष्ट चार्ज लगाता हूं कि वह पक्षपात के बल पर हुई है। कहा जाता है कि दरोगा जी ने २ हजार रुपये उन पांच गांव वालों से लेकर और तानाशाही घूसखोरी के यह आश्वासन दे रखा था कि हम यह बांध कटवा देंगे जिससे तुम्हारी फसल को नुकसान न हो तो। श्रीमन्, यह जो रूप बनाया जा रहा है वह केवल अपनी गलती पर पानी फेरने के लिये और अपने पैशाचिक कृत्यों को छिपाने के लिये किया जा रहा है। कमिश्नर से इन्क्वायरी कराने की बात कही गई। लेकिन कमिश्नर भी तो एग्जीक्यूटिव का ही आदमी है। उसका तो दृष्टिकोण एग्जीक्यूटिव ही होगा। मैं उसकी नीयत पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन एग्जीक्यूटिव दृष्टिकोण एक अलग होता है और जूडिशल दृष्टिकोण अलग होता है। जहां इस प्रकार की नरहत्या हुई हो वह जूडिशल एन्क्वायरी ही होनी चाहिये, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी का एग्जीक्यूटिव दृष्टिकोण जो है वह उस परिस्थिति की भीषणता को निश्चित रूप से कम करने में सहायक होगा न कि परिस्थिति को स्पष्ट करने में वह सहायक होगा। इसलिये ऐसे स्थान पर आवश्यकता थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसकी जूडिशल एन्क्वायरी कराते, लेकिन यह सरकार में तो देखता हूं कि जूडिशियरी से घबड़ाती है। इसके जितने ऐक्ट्स आते हैं सबमें यह लिखा हुआ होता है कि appeal not lying with the Munsif or Judge इसका अर्थ क्या हो सकता है ? मैं व्यक्तिगत बात तो कहना नहीं चाहता, परन्तु यह स्पष्ट है कि यह सरकार जूडिशियरी से घबड़ाती है। उसे यह डर है कि न्याय के तराजू पर उसकी बात सही नहीं उतरेगी। एग्जीक्यूटिव का तराजू न्याय का तराजू नहीं है। जो प्रशासन का व्यावहारिकता का तराजू है उसमें अवश्य धींगाधींगी होगी; लेकिन जूडिशियरी में यह बात नहीं होगी, इसलिये ये घबड़ाते हैं जूडिशियरी से। अगर इनकी बात सही है या इनका ही सारा केस सही है तो जूडिशियल एन्क्वायरी से घबड़ाने की बात क्या है ? फिर क्यों नहीं उसे फेस करते ? लेकिन उसका कारण है, श्रीमन्, और मुझे स्पष्ट शंका है कि प्रशासन का केस इस फायरिंग के बारे में गलत है, रचा हुआ केस है, नरहत्या को छिपाने के प्रयास में रचा हुआ केस है, इसलिये सरकार का साहस नहीं है कि जूडिशियल एन्क्वायरी कराये। और अगर अपनी बात यह सत्य मानते हैं तो मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि आप इसकी जूडिशियल एन्क्वायरी करायें।

अन्त में, श्रीमन्, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार जो ब्यूरोक्रेसी का मन बढ़ता जाता है उसको रोकने की आवश्यकता है। मैं पांच छः वर्षों से निरन्तर देख रहा हूं, श्रीमन्, घटना के बाद घटना होती जाती है और वह इसी बात की द्योतक है कि ब्यूरोक्रेसी का मन बढ़ता

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

जा रहा है। इस नौकरशाही के इस बढ़ते हुये मन को आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रश्रय देते जायेंगे तो यही ब्यूरोक्रेसी एक दिन ऐसा भी आयेगा जब आपको भी उलट देगी और जैसी डिक्टेटरशिप अन्यान्य राष्ट्रों में कायम होती जा रही है वही चीज यहाँ भी खड़ी हो जायेगी और फिर वह आपके मन की चीज नहीं रह जायगी। समय रहते आप चेत जायं। एक बात मैं समझ सकता हूं कि आपको भय लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नाराज हो जायगी तो हमारा प्रशासन गड़बड़ हो जायगा, लेकिन साहस के साथ यह रिस्क लीजिये। यह प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के आधार पर नहीं चलता है। प्रशासन जनता के सम्मान और प्रेम के आधार पर चलता है। ब्यूरोक्रेसी तो एक निमित्त मात्र है, एक साधन मात्र है। किसी कारण अगर एक साधन खराब हो जाता है तो उसको फेंकिये। उसकी जगह दूसरा साधन लीजिये। साधन को प्राथमिकता देंगे तो वह सड़ा गला साधन एक दिन आपको भी सड़ा देगा। अन्त में मैं यह मांग करूंगा कि वहां के सारे अधिकारियों का तबादला कर देना चाहिये, दरोगा को सस्पेंड करना चाहिये और जुडिशल एन्क्वायरी होनी चाहिये और अगर उस जुडिशियल एन्क्वायरी में यह बात आती है कि वास्तव में वहां नरहत्या हुई है और निरीह प्राणियों की हत्या हुई है तो न्याय के अनुसार उन्हें दंड दीजिये, फांसी की आवश्यकता हो, तो उनको फांसी भी दीजिये। आप भगवान के लिये अपनी ब्यूरोक्रेसी को सम्भालिये और उसके बढ़े हुये मन को रोकिये। जिस भावना से छाती ठोक कर आप पुलिस को डिफेन्ड करते हैं कि उसको गोली चलाने का अधिकार है इससे उनके मन को बढ़ावा मिलता है। इससे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। यह उनकी, जो दूषित मनोवृत्ति है, उसको बढ़ावा देती है। उसको आप रोकिये। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो एक दिन यह आपको भी खा जायेगी। इसलिये मैं विनम्र भाव से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह समस्या जिस तरह से खड़ी हो रही है उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिये। इस मनमाने उत्तरदायित्व को रोकने के लिये साधन और रास्ते निकालने की आवश्यकता है। इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इन चीजों पर स्पष्ट प्रकाश डालें और हम लोगों ने जो मांग की है उसको स्वीकार करें।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, बस्ती गोली कांड के विषय में मैं भी कुछ निवेदन इसलिये करना चाहता था कि इस किस्म की बातें हमारी विधान सभा में रोज कुछ न कुछ सुनाई पड़ती रहती है। माननीय मुख्य मंत्री आज यहां पर नहीं हैं मगर पुलिस मंत्री जी से बहुत विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कानूनी पहलू पर भी जरा गौर करें। यह तो ठीक है कि माननीय झारखंडेराय जी, माननीय दुबे जी और माननीय त्रिपाठी जी ने, वहां क्या वाकयात गुजरे और किस तरीके से बांध का पानी निकाला गया, और उनके पास डंडे थे, लाठी थी, फरसे थे, इन सब बातों को बतलाया। उस पर मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे उन बातों की वाकफियत नहीं है, न मैं कभी वहां गया और न मुझे यह मालूम कि किस तरह से यह सब बातें हुई। मगर मामूली तौर पर आपके द्वारा मैं यह बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह कोई खास जगह का मामला नहीं है हमारे यहां रोज कोई न कोई गोली चल जाती है और इससे एक बड़ी गम्भीर समस्या यह पैदा होती है कि बाकई कानूनी पहलू इसमें क्या है। पिछले दिनों जब इस विषय पर मान्यवर की आज्ञा से कुछ जवाब सवाल हो रहे थे तो तीन मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। एक तो माननीय गृह उपमंत्री ने, जो इस समय यहां पर विद्यमान हैं, एक माननीया श्रीमती सुचेता कृपालानी जी ने, और एक माननीय मुख्य मंत्री ने। इन तीनों मंत्रियों ने कुछ न कुछ जवाबों के उत्तर दिये थे। ३, ४ बातें महत्वपूर्ण कही गई थीं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय गृह उपमंत्री ने श्री काशीनाथबहादुर के प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि उनकी सूचना के अनुसार बान्ध के नीचे जिन गांवों पर असर पड़ने वाला था वह केवल दो गांव थे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह एक इशु के तौर पर समझा जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने

एक जवाब का उत्तर देते हुये कहा कि मैं नहीं जानता कि वह रात को लाउड स्पीकर लेकर बैठे थे या नहीं। माननीया श्रीमती सुचेता जी ने दो बातें महत्वपूर्ण कहीं कि बांध में एक नाली थी जिससे पानी स्वाभाविक रूप से निकलकर तालाब में जाता था। ३, ४ साल पहले यह बन्द हो गई थी। उसी जगह से यह बांध काटना था और तालाब में दो फुट पानी लिया जा सकता था, वह भरना था। दूसरी बात यह कही कि दो आदमी जख्मी थे तो उनको अस्पताल भेजा गया, बल्कि अब वे जेल चले गये हैं। यह एक इशु के तौर पर माननीय गृहमंत्री के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये तथ्य ऐसे हैं जिसमें कोई झगड़ा नहीं है। इनमें कुछ फैक्ट्स सामने आये हैं। वह फैक्ट्स यह हैं कि इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है कि एक बांध सार्वजनिक तौर पर बान्धा गया। २ या ३ या ४ साल पहले कुछ इंजीनियरों की सलाह से बांध बांधा गया। मुख्य मंत्री जी से जब प्रश्न किया तो उन्होंने बतलाया कि हां, इंजीनियरों की सलाह से बंधा गया पर एक्सपर्ट भी तजुर्बे से सीखते हैं। में समझता हूं कि इंजीनियरों की सलाह से और कम से कम सरकार के अनुमोदन से यह बांध बांधा गया था।

दूसरी बात यह है कि बांध बांधने की कुछ वजह रही होगी। बाढ़ से किसी गांव को बचाना रहा होगा। इस में भी कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। तीसरी बात यह भी निश्चित है कि यह जो कुछ भी कार्यवाही हुई वह रात के वक्त हुई। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह रात को लाउड स्पीकर ले कर नहीं बैठे थे। चौथी बात, श्रीमती सुचेता कृपालानी जी ने कही जो भी अनडिस्प्यूटेड है कि जहां से वह काटना चाहते थे वह नाली बंद थी। वह कहते हैं कि दो फिट पानी तालाबों में और लिया जा सकता है। जब इंजीनियर्स की राय से यह बांध बनाया गया था, और उनकी राय इतनी नाकिस थी कि दो साल बाद ही उसे काटने की जरूरत आ गई तो उन इंजीनियर्स की राय पर वहां की आतंकित जनता कितना विश्वास कर सकती थी कि दो फिट पानी और उन तालाबों में लिया जा सकता है और उस से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दो फिट पानी नापने वाला कहां था। कौन से स्लूस गेट्स लगे हुये थे जो उसे कंट्रोल करते। गांव वालों के पास यह जानने का साधन क्या था कि जो पहले गलती वह कर चुके हैं वह दुबारा नहीं होगी। अगर इन बातों पर कोई झगड़ा नहीं है तो मैं इन मसलों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बड़ी लम्बी लम्बी स्पीचेज हुईं कि वह फरसा ले कर मारने आया था, तब मैजिस्ट्रेट ने गोली चलायी। मैं कहता हूं कि फरसा तो क्या क्या अगर यह तोप ले कर भी आया होता तो क्या अधिकार उनको पैदा हो गया था गोली चलाने का ? मैं आवेश में यह बात नहीं कह रहा हूं। मैंने ३–४ दिन इस बात पर अध्ययन किया है। हो सकता है कि मेरी कुछ गलती रह गयी हो। दुबे जी ने कहा कि "सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, हम जानते नहीं। माननीय मंत्री जी चुपचाप बैठे हुये हैं।" मेरी राय यह है कि उनको कुछ बोलना नहीं चाहिये सरकार चुपचाप हम लोगों की राय सुने और प्रजातंत्र की सच्ची पुजारी होने के नाते उस पर अपने दफ्तर में जा कर अमल करे। यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जो यह जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि फरसा ले कर आया था और थानेदार के मैजिस्ट्रेट के सिर पर मारने वाला था यह क्या है ? क्या इससे उसे गोली चलाने का कहीं अधिकार पैदा होता है ? मैं समझता हूं कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह रात में बान्ध काट दे। यहां यह हंस कर उड़ा दिया जाता है कि हम कानून के पंडित नहीं है, लेकिन कानून की जड़बुनियाद पर ही यह प्रजातंत्र ठहरा हुआ है। रूल आफ ला तो इसका पहला सिद्धान्त है। यह कौन सा कानून था कि रात में थानेदार और मैजिस्ट्रेट वहां पहुंच गये थे और उन्होंने न्याय पंचायत के सभापतियों से सम्मति ले कर बांध को काट दिया ? १० गांव नहीं, ५०० गांवों के बचाने की बात भी होती और उससे एक घर बहता, तो वह कानून भी मुझे बताया जाय कि जिससे उस एक घर को बहाना उचित ठहराया जा सकता हो। अगर यहां सब के दिमाग में आ जाय कि एक मुझ को मार कर ही सब सुरक्षित रह सकते हैं तो मुझे अपने को बचाने का पूरा

[श्री वृजभूषण शरण]

अधिकार है। अगर उससे एक आदमी का भी घर बहने वाला था तो उसे पूरा अधिकार था कि वह फरसा तो फरसा गोली चला देता, और बांध काटने वालों को गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं था।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा सा समय और ज्यादा चाहूंगा। उत्तर प्रदेश कोड में मुझे एक ऐक्ट मिला है "नारदर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट":

नार्दन इंडिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज ऐक्ट १८७३ में बना था। उसके मातहत कुछ पावर्स हैं गवर्नमेंट को। उसके सेक्शन ३ की उपधारा ३ में ड्रेनेज वर्क डिफाइन है और धारा ५५ में सरकार को यह अधिकार है मैं पढ़कर सुनाये देता हूं—

"55. Whenever it appears to the State Government that injury to any land or the public health or public convenience has arisen or may arise from the obstruction of any river, stream or drainage-channel, such Government may, by notification published in the official *Gazette*, prohibit, within limits to be defined in such notification, the formation of any obstruction, or may, within such limits, order the removal or other modification of such obstruction.

There upon so much of the said river, stream or drainage, channel as it comprised within such limits shall be held to be a drainage-work as defined in seection 3."

इस धारा में सरकार को अधिकार दिया हुआ है कि इमरजेन्सी का वक्त आये तो किसी के रुकावट पहुंचाने पर उसको हटा देने की आज्ञा दे दे। इसका भी एक तरीका है। यह नहीं कि गांव में पहुंचे और आर्डर दे दिया कि हम बांध काटेंगे और जो रोकेगा उस पर गोली चला देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल रेडियो का जमाना है, टेलीफोन का जमाना है। इनके द्वारा फौरन सरकार को खबर देनी चाहिये, गजट नोटीफिकेशन दिया जाना चाहिये। परन्तु वह नहीं दिया गया।

दूसरा तरीका मान्यवर, यह है.....।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त, केवल दो मिनट और दे सकता हूं।

श्री बृजभूषणशरण—मान्यवर, मुझे आप केवल ५ मिनट का समय और दे दें। दूसरा तरीका है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड का पब्लिक न्यूसेन्स को रिमूव करने का जो धारा १३३ में दिया हुआ है। वह भी मैं माननीय मंत्री जी को पढ़कर सुनाये देता हूं। यद्यपि समय कम है फिर भी मैं पढ़े देता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है, खासतौर से मैं एक लफ्ज पढ़कर सुनाये देता हूं। "कोई पब्लिक न्यूसेन्स या डेन्जर, कुछ भी इस किस्म की बाढ़ या कोई चीज आनेवाली है, कोई नुकसान होने वाला है तो उसमें एक आर्डर पास किया जाना चाहिये और उसको किसी तरीके से कम्यूनिकेट करना चाहिये। डुग्गी पिटवाई जाय इत्यादि"।

श्रीमन्, आप देखें कि यह नहीं होना चाहिये कि कह दिया जाय कि यह काम कर दो, इसको काट दो। इसकी वजह बताई जानी चाहिये इस तरह कोई नौकरशाहियत कोई मिलटरी का रूल तो है नहीं कि वहां जाकर बांध काट दिया गया और लोगों के घर नष्ट कर दिये गये। बगैर किसी जिम्मेदार आदमी और पूर्व सूचना के ऐसा कदापि नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, मुझे एक ऐक्ट और मिला है उसका नाम है—"उत्तर प्रदेश प्रदेश फ्लड इमरजेन्सी पावर्स इवैक्वेशन एन्ड रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९५१।" इसमें कुछ पावर्स दे रखी हैं। मैंने पढ़ने की कोशिश की तो उसमें इस किस्म की पावर दे रखी हैं। ऐसी चीजें कलक्टर के पास आर्डर के लिये भेजी जानी चाहिये और उसके लिये निर्देश की आवश्यकता होती है। इस तरह से नहीं कि पंचों के पास गए और कहा कि यह बांध उड़ाना है और उड़ा दिया। यह नहीं देखेंगे कि घर बह जायेंगे और जन जीवन का नुकसान होगा।

मान्यवर, आखिरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हुं कि हमको कानून की व्यवस्था के आधार पर चलना चाहिये। मैं आपका ध्यान इंडियन पीनल कोड की धारा ९७ की तरफ श्रीमन् का ध्यान विशेष तौर से दिलाना चाहता हूं। उससे यह है कि—

"97. Every person has a right, subject to the restrictions contained in section 99, to defend right of private defence of the body and of propeity.

Fitst his own body, and the body of any other person, against any offence affecting the human body :

Secondly The property, whether movable or immovable, of himself, or of any other person, against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass.

श्रीमन्, आप स्वयं देखें कि इस धारा ९७ में दिया हुआ है कि जनता को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। इसमें जो धारा ९९ है वह अंडर कलर आफिस और गुड फेथ है। कोई काम किया जाय तो कोई राइट आफ प्राइवेट डिफेन्स नहीं पैदा हो सकता है। इसमें दिया हुआ है—

"99. There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehensicn of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done by a public servant acting in good faith under colour of his office, though that act may not be strictly justifiable by law."

श्रीमन्, यह तो एक मानी हुई बात है कि जब पानी काटा जायगा तो कोई घर बह जायगा उनकी मौत हो सकती है, उनके बच्चे और बीबियां बह सकती हैं और अगर ऐसी परिस्थिति होने पर वह रोक कर रहे थे तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उस अधिकार को उनसे छीन लेना कि यह अनलाफुल असेम्बली है, वह अनलाफुल असेम्बली इस तरीके से नहीं बनती जिस तरीके से उसको बना दिया गया। कोई लाफुल काम करने के लिये अगर असेम्बली बनती है तो वह अनलाफुल नहीं हो सकता। यह जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मैजिस्ट्रेट होना चाहिये, तो मैजिस्ट्रट की जरूरत नहीं, इंचार्ज पुलिस स्टेशन भी काम कर सकता है, लेकिन अनलाफुल असेम्बली लाफुल करने काम करने के लिये नहीं हो सकती। अनलाफुल असेम्बली तो उनको थी जो बांध काट रहे थे। आप कमिश्नर के जरिये से ही जांच करा लें, हाई कोर्ट के जज की जरूरत नहीं है, लेकिन ३–४ चीजों को प्रश्न बनाकर उनके पास भेजना चाहिये कि किस अधिकार के मातहत यह बात की जा रही थी।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं यह कहूंगी कि इस विषय के संबंध में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। न तो मैं स्थल पर गयी हूं, न वास्तविक केस क्या है यही मालूम है। साथ में मैं यह कहूंगी कि जो इंडियन पीनल कोड का जिक्र किया जा रहा था, उसका भी मैंने इतना अध्ययन नहीं किया, परन्तु जैसा कि हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि "बेचारी औरत जाति है" मैं उसी जाति के नाम पर ही इतना कहती हूं कि एक ऐसी चीज है जोकि बड़ा भारी महत्व रखती है और शायद वह किसी धारा, उपधारा में न मिले, लेकिन वह "वाइस आफ कांशेंस" है और मैं नम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि मैं इस विषय में कई एक प्रश्न पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय से। मैं यह नहीं जानना चाहती कि यह बांध जो तोड़ा गया है यह सही था या गलत था या इंजीनियर जो हमारे थे उन्होंने उचित सलाह दी थी या नहीं। मैं किसी एक्सपर्ट ओपीनियन

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

पर विवाद नहीं करना चाहती, लेकिन अगर यह इतना महत्वपूर्ण विषय था तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, जैसा कि त्रिपाठी जी ने और कुछ भाई साहब ने जिक्र किया वह समय से खुद घटनाथल पर क्यों नहीं पहुंचे और शीघ्रातिशीघ्र क्यों नहीं पहुंचे ?

दूसरा यह कि जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि जो चोट लगी थी पुलिस को वह किसी बयान में नहीं दिया गया था लेकिन जो स्पेशली मैनुफैक्चर्ड दिखला रहे हैं पुलिस वाले गर्दन और हाथ पर तो उसकी इंक्वायरी करायी जाय कि वास्तव में पुलिस को चोट आयी थी या डिफेंस में जैसा कहा जा रहा है, वह मैनुफैक्चर्ड थीं ।

एक चीज और पूछूंगी कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के सामने है । जैसा कि एक सोशलिस्ट पार्टी के भाई ने इंगलैंड की पुलिस की बात बतलाई । हम सभी सहमत हैं कि पुलिस का कर्तव्य है कि ला एण्ड आर्डर मेनटेन करे, चाहे वह इंगलैंड की पुलिस हो या हिन्दुस्तान की पुलिस हो । हमारे देश पर तो सारे देशों की आंखे लगी हुई हैं इसलिये हमारी पुलिस को तो और ज्यादा समझदारी से अपना कर्त्तव्य वहन करना चाहिये । अब प्रश्न यह है कि हमारी जो पुलिस गयी है वह क्या ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने गयी है या जैसा कि विरोधी दल के भाइयों ने कहा है वह एक कम्पलीट टिरैनी या टेरोरिज्म का प्रोसेस हैं ? और अगर यह सही है कि हमारी बहिनें आतंकित हैं और घर के दरवाजे बन्द कर लेती हैं तो इसमें शायद और कोई कहानी हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी कि जैसा कि एक इंक्वायरी को जरूरत समझी जाती है,जुडीशियल इंक्वायरी की, अगर बात सही है उसमें क्या इन्कार हो सकता है, उसे करना ही चाहिये । पर साथ ही साथ विरोधी भाइयों से निवेदन करूंगी कि अगर जुडीशियल इंक्वायरी आती है और उससे यह बात जाहिर होती है कि इतने बड़े बड़े सीरियस और ग्रीवियस जो आरोप हमारी पुलिस पर लगाये गये वह सही नहीं हैं या एग्जेगरेटेड हैं तो हमारे विरोधी भाई भी सहमत होंगे और कबूल करेंगे कि यह जो रिपोर्ट है वह वास्तकिता से इतनी ज्यादा थी और अगर है तो यह हम सब के लिये बड़े शर्म की बात है । इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह उस पर एक जुडिशियल इन्क्वायरी सेट अप करने की कृपा करें ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं श्री बृजभूषण शरण जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी विद्वता पूर्ण ढंग से जो स्थिति है कानून की दृष्टि से उसको यहां रखने की कोशिश की । उन्होंने गांव वालों के अधिकारों को यहां सदन में काफी स्पष्ट तरीके से रख दिया है । परन्तु मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रदेश में रूल आफ ला नहीं है, बल्कि रूल आफ पुलिस है, रूल आफ ब्यूरोक्रेसी है । जो यह घटना हुई है उसको देखने के बाद कोई भी न्याय प्रिय व्यक्ति इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि दुर्घटना हुई है वह पुलिस की हठधर्मी के कारण ही हुई है । श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ने कहा कि व्यायस आफ कानसंस है, मैं उनको निमन्त्रण देता हूं कि वह स्वयं चलें और मैं उनको सारी सुविधायें देने के लिये तैयार हूं, वह वहां चल कर देखें और वहां की स्त्रियां की हालत को देखें, जो स्थिति वहां पर है उसको देखें । जो भी उनकी रिपोर्ट होगी उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे । लेकिन कोई वहां पर जाय भी तो । यहां तो जो रिपोर्ट नीचे से आ जाती है, उस पर विश्वास कर लिया जाता है । हम लोग कैदियों से मिले, अस्पतालों में घायलों से मिले और जो कुछ जानकारी हुई आपके सामने रखता हूं ।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बांध टेस्ट वर्क द्वारा बनाया गया था । इंजीनियरों की राय से बना था । इसके अलावा आज से ५ वर्ष पूर्व इस बांध को काटने के लिये दूसरे जब गांव वालों ने प्रयत्न किया था तब उन्हीं अधिकारियों ने उस बांध को न कटने देने के लिये पी० ए० सी० को तैनात किया था । जिस बांध को सरकार ने बनाया, अपने खर्चे से बन

बाया, जिसको न कटने देने के लिये पहले पी० ए० सी० को तैनात किया, यदि उसके बारे में वहां के निवासी यह समझते हैं, कि उस बांध की रक्षा करना उनका अधिकार है, वह बांध उनका है, तो फिर वे किस प्रकार से दोषी है । इस बीच में आखिर कौन सी परिस्थिति ऐसी बदल गयी कि हुक्म दे दिया गया कि बांध कटवा दिया जाय ।

श्रीमन्, एक बात यह भी कही गयी कि उस बांध को कटवाने से पहले प्रधान और सरपंच से रजामंदी ले ली गयी थी । यह पूर्णतया असत्य है लेकिन अगर यह मान भी लिया जाय कि वह बात सत्य हो, तो क्या कारण है कि जिन प्रधानों और सरपंच के लिये कहा जाता है, कि उन्होंने रजामंदी दे दी थी, उनको बस्ती के जेलखाने में क्यों डाल दिया गया है । जब उन्होंने रजामंदी दे दी थी, जब उन्होंने कोई उपद्रव नहीं भड़काया, तो फिर उनको जेल में क्यों बंद कर दिया गया है ? श्रीमन्, वहां की जनता इतनी सरल प्रकृति की है, इतनी कमजोर तबियत की है कि वह कभी भी इस प्रकार से पुलिस के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती । यह तो केवल एक दरोगा की हठधर्मी की बात है, क्योंकि गौरापार के लोगों से वह नाराज था और बदला लेने की भावना उसमें थी, उस ने एक अनुभवहीन एस० डी० ओ० को गुमराह किया ।

किन परिस्थितियों में गोली चली, इसकी तो जांच होगी लेकिन और बातों पर विचार होना यहां आवश्यक है । एक बात श्रीमती सुचेता कृपालानी जी ने कही कि मुख्य बांध नहीं काटा गया बल्कि उसके बगल की कंछी काटी गयी । यह बात ठीक नहीं है, श्रीमन्, मुख्य बांध को बीच से काटा गया है । यह बात सच नहीं है कि बगल से पानी निकालने के लिये व्यवस्था की गयी हो ।

जहां तक गोली चलाने के पूर्व नोटिस देने का संबंध है, कोई आदमी भी वहां यह कहने को तैयार नहीं है, कि किसी प्रकार की नोटिस दी गयी थी । गोली बिना नोटिस के चलाई गयी । जो मारे गये उनको तो मैंने देखा नहीं लेकिन जो घायल अस्पताल में पड़े हैं उनको देखने से मालूम होता है कि किसी के कमर से नीचे गोली नहीं लगी है । सब के कमर से ऊपर लगी है ।

एक प्रश्न और उठता है कि गोली चलाने के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा । जब रूस, जरमनी अथवा इंगलैन्ड जरमनी में युद्ध हुआ तो वहां पर भी यह व्यवस्था रखी गयी थी कि जो दूसरे देश के घायल सिपाही होते थे उनको उठाकर ले जाया जाता था और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती थी परन्तु हमारी पुलिस ने गोली चलाने के बाद घायलों को उसी जगह छोड़ दिया और उनको चिकित्सालय ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की । एक नवयुवक १९ बरस की अवस्था का था । उसके शरीर से इतना खून निकल चुका था कि आधा घंटा और उसको अस्पताल न पहुंचाया गया होता तो उसकी मृत्यु हो जाती । इस प्रकार से जिन बातों का अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में भी ध्यान रखा जाता है उनका ध्यान भी रखने की कोशिश नहीं की गयी । बल्कि हमारी पुलिस तो उनको वहीं छोड़कर चली गई और फिर गांव वालों ने उन लोगों को हैसर बाजार अस्पताल में पहुंचाया ।

अब पी० ए० सी० के रवैये की बात सुनिये । अगर किसी दुश्मन की फौज भी किसी देश पर कब्जा करने के लिये जाती है तो वह भी ऐसा अमानुषिक कार्य नहीं कर सकती । उसका भी कोई रूल आफ कंडक्ट होता है । लेकिन हमारी पी० ए० सी० ऐसे छोड़ी जाती है, जैसे कोई विदेशी फौज आयी हो और जिसे सर्वाधिकार प्राप्त हों । किस अधिकार से पी० ए० सी० के सिपाहियों ने जाकर घरों पर कब्जा कर लिया ? एक-एक घर में एक-एक सिपाही रहता था । एक-एक घर में जो कुछ खाने पीने का सामान था सब लूट खसो कर खा पी गये, खेतों में जितने भुट्टे आदि इस तरह की चीजें थीं उसको खाये पीये और लूट खसोट कर चलते बने । इसके अलावा जो वहां उन्होंने मार पीट की उसका रेकार्ड अगर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल नहीं मिलेगी । आज वहां इतना आतंक है कि वहां जाकर किसी से कोई कुछ पूछे तो वह बेचारे बोल नहीं पाते । कहा जाता है कि वहां जांच करायेंगे । पहले हमारे

[श्री भानुप्रताप सिंह]

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ए० डी० एम० से जांच करा रहे हैं लेकिन फिर यह कहा गया कि चूंकि कलेक्टर ने अपनी राय दे दी है इसलिये ए० डी० एम० की जांच करना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विधान परिषद् में एक तरह से अपनी राय दे दी कि अधिकारियों ने ठीक कार्य किया है और जिस प्रकार से उन्होंने सराहना की है सब इन्स-पेक्टर की, कलेक्टर की व एस० डी० एम० की, उसको देखते हुए क्या यह सदन इसको उचित सम-झता है कि कमिश्नर इस घटना की जांच करे। क्या यह आशा की जा सकती है कि जांच करके वह निष्पक्ष होकर राय दे सकेंगे? ऐसी स्थिति में सिवा इसके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जुडीशियल इनक्वायरी हो।

माननीय बृजभूषणशरण जी ने कहा कि इस तरह की घटनायें आये दिन हुआ करती हैं। आखिर क्यों आये दिन ऐसी घटनायें हुआ करती हैं? उसके पीछे यह बात मालूम होती है कि सरकार कभी न्याय नहीं करना चाहती और कभी भी जनता के हृदय में जो सन्देह है उसे दूर करने के लिये न्यायिक जांच कराने को तैयार नहीं होती। यह जो बस्ती में गोली कांड हुआ है, यह कोई साधारण गोली कांड नहीं है। जो बांध कटा है, उसकी न्यायिक जांच गहराई के साथ होनी चाहिये और वह जांच केवल न्यायिक जांच से ही सम्भव है या जैसा कि अभी माननीय झारखंडेराय जी ने कहा कि इस हाउस की ही कोई कमेटी जाय और इसकी जांच करे। मैं तो कहता हूं कि अकेले चाहे श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ही जायं लेकिन कोई निष्पक्ष व्यक्ति जाय क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेटिव जांच में हमारा कोई विश्वास नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह न्यायोचित मांग है कि इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि इससे माननीय मन्त्री जी भी सहमत होंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती के दुबौली बांध के सम्बन्ध में जो चर्चायें हुयीं, पुलिस कांड जो वहां हुआ और उससे बेगुनाह लोग जो मारे गये, उस सिलसिले में हमारे माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपने विचार व्यक्त किये। कांग्रेस पक्ष के माननीय शरण जी ने जो विद्वतापूर्ण, और तर्कयुक्त बातें पेश कीं उनको सुन कर मैं समझता था कि हमारे पुलिस के माननीय उप-मन्त्री जी बीच में ही आपसे निवेदन करेंगे कि इस पर विवाद समाप्त किया जाय और वे इसकी जुडीशियल इनक्वायरी किसी हाईकोर्ट के जज द्वारा करायेंगे या जैसा कि हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने कहा, इसी माननीय सदन की कोई कमेटी जाय और वह इसकी जांच करे या जैसा कि हमारे माननीय भानु बाबू ने कहा---कि हम लोग माननीय सुशीला रोहतगी जी की ही रिपोर्ट को मानने के लिये तैयार हैं, वे अकेले ही जायं और उसकी जांच करें, ये जो इस तरह के सुझाव आये हैं उनमें से किसी सुझाव को स्वीकार करते, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में कोई कानून के अनुसार आज शासन नहीं चल रहा है। मैं उन लोगों में से हूं जिनका ऐसा मत था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के बाद यदि माननीय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मन्त्री होंगे तो इस प्रदेश की नौकरशाही पर अंकुश लगेगा, लेकिन मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के कार्यकाल में कहा जाता था कि मुख्य सचिव और इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस का शासन चल रहा है लेकिन आज कहा जा रहा है कि कि पूर्णरूपेण नौकरशाही का शासन है। आम लोग कहते हैं, चाहे आप बस में जाइये, ट्रेन में यात्रा करें, चाय की दुकान में जायं आप को सब जगह यही सुनने को मिलेगा कि आज प्रदेश में आई० जी० पुलिस शान्ति प्रसाद और मुख्य सचिव जैन साहब का ही शासन नहीं है बल्कि इस प्रदेश भर में कलेक्टर और एस० पी० का शासन चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि दरोगा का शासन चल रहा है और उसी की वजह से आये दिन ऐसी घटनायें घटती हैं और वहां चर्चा होती है और उस पर मन्त्रीगण उठते हैं और दिलेरी के साथ उन कर्म-चारियों के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जब ये बातें सुनने को मिलती हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है। आखिर क्या हो गया है इन मन्त्री लोगों को, ये तो वही हैं जो इस प्रदेश के लिये कुछ किये थे, उन में से अधिकांश लोगों ने त्याग और तपस्या की थी और हर तरह

से देश की आजादी को लाने में योग दिये हैं लेकिन शासन का चश्मा लगाते ही क्या उन की आंखों की रोशनी लुप्त हो गई ? क्या अब उन का मस्तिष्क काम नहीं करता ? मैं उन से ज्यादा आशा नहीं करता केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि देहात में जैसे कहावत है कि "भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस खड़ी पगुराये" चाहें यहां माननीय ब्रजभूषण शरण जी कुछ तथ्यपूर्ण बात कहें या माननीय श्री झारखंडेराय राय जी का कितना ही मार्मिक भाषण हो या माननीय श्री त्रिपाठी जी कुछ भी कहें लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। मैं आगाह करूंगा कि यदि यही रवैया रहा तो सरकार अपने कुकर्मों से आप ही खत्म हो जायेगी। मैं माननीय नवल किशोर जी से कहूंगा कि उप-मन्त्री होने के कारण शान्ति व्यवस्था का बोझ उन पर है, आप जिम्मेदार हैं आप पर भरोसा है। आप सही बात का पता लगाने में क्यों हिचकतें हैं। आप अपने को जनता की निगाह में क्यों गिर रहें हैं ? अगर आप चाहते हैं कि आप की और सरकार की प्रतिष्ठा बढ़े तो आप सत्य की खोज करें और यदि आप सच्ची बात जानना चाहते हैं तो माननीय श्रीमती रोहतगी आप के पक्ष की हैं उन की रिपोर्ट को हम मानने को तैयार हैं, उनको ही आप इन्क्वाआयरी के लिये भेजें। यह एक हत्या कांड का सवाल नहीं है, पूर्वी प्रदेश के जनजीवन के साथ जो खिल-वाड़ की जाती है, उसका यह एक नमूना है। पश्चिमी जिलों में नये बड़े बड़े काम होते हैं बड़े कारखाने लगते हैं, सड़कें और नहरें बनती हैं, और पूर्वी जिलों में मैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम बनती है। श्रमदान या टेस्ट वर्क होगा, दुबौली बांध टैस्ट वर्क से बना, इंजीनियर्स की राय से बना, उसकी रक्षा की गई और उसकी इस वर्ष बलात कटवा दिया गया। यह पुलिस शासन का नमूना है वहां की समस्या के सम्बन्ध में सरकार कुछ नहीं सोचती और इसी कारण से बिना किसी सर्वे के यह बांध बनते है और तोड़े जाते हैं। श्रमदान में बांध बना और काट दिया गया।

श्री अध्यक्ष---श्री नवलकिशोर।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने गृह उप मंत्री जी को बुला लिया है। आप बैठ जांय।

श्री श्यामलाल---आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष---श्यामलाल जी आप बैठ जायं।

श्री श्यामलाल---श्रीमान्, हमारी पार्टी भी एक वास्तविक पार्टी है उसकी बात सुनी ही नहीं जाती।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जांय, मैं गृह उपमंत्री जी को बुला चुका हूं।

श्री श्यामलाल---एक बात आप मेरी सुन लें, हमारा भी मौलिक अधिकार है, हमें भी जनता ने चुन कर भेजा है, हमारे अधिकारों का हनन इस प्रकार होता है इस कारण से मैं सदन का त्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने स्वयं वहां जाकर चीजों की छानबीन कीं और वे बातें यहां हमारे सामने रखीं। सबसे पहले मैं यह कहना अपना फर्ज समझता हूं कि बस्ती में दुबौली बांध पर जो घटना हुई, गोली चली उसका हम सभी को बहुत दुख: है, सरकार को भी दुख है। कोई भी सरकार हो कभी इस बात को पसन्द नहीं कर सकती कि कोई मौका ऐसा आये जब अपने ही नागरिकों पर गोली का इस्तेमाल करना पड़े। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब विवश होकर ऐसा करना पड़ जाता है। परिस्थितियां थीं या नही थीं, उन्हीं की जांच के लिये जांच होती है। मान्यवर, जिन भाइयों ने अपने भाषण दिये उनमें ३,४ तरह की बातें थीं। कुछ वाकयात की बातें थीं। कुछ जनतंत्र हिसद्धान्तों की बातें थीं, कुछ कानूनी पहलू की बातें कही गईं और कुछ चेतावनी और धमकियां भी दी गईं। यह ४ पहलू थें।

[श्री नवलकिशोर]

मैं सबसे पहले मान्यवर, इस चीज को लेता हूं जो भाई वहां खुद गये और देखा। मैं समझता था उनके आने के बाद कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। जिस समय कौंसिल में स्टेटमेन्ट हुआ था मुझको बताया गया कि किसी एक पार्टी की तरफ से छपा हुआ नोट सबको बांटा गया था। जो बाकयात उस समय काउन्सिल में पेश किये गये थे। मान्यवर, वही बाकयात आज असेम्बली के अन्दर पेश किये गयें हैं यद्यपि अन्तर यह है कि माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी वहां जा कर स्वयं देख आये हैं।

हमारे मित्र नरसिंह नारायण जी ने एक आदेश नया दिया आपके द्वारा कि पहले वहां जांय और जाकर आने के बाद तब कोई बात हमें कहने का अधिकार होगा। माननीय नरसिंहनारायण जी को बिना जाये अपनी बात कहने का अधिकार है चाहे जिम्मेदारी की बात हो या गैर जिम्मेदारी की हो, और हमने अगर शासन तंत्र के द्वारा, जिससे सारे प्रदेश का शासन चलता है, कुछ मालूमात की तो वह हमारे इस अधिकार को भी छीनना चाहते हैं कि हम वह बातें न कहें।

मान्यवर, सबसे पहले माधोप्रसाद जी ने कहा कि जो सरकार की सूचना है वह गलत है। जो कांड हुआ वह अधिकारियों की टेक्टलैसनेस की वजह से हुआ। मान्यवर, यही चीजें हैं जिनकी जांच की मांग की गई है और सरकार ने घोषणा कर दी है और आदेश भी चले गये कि कमिश्नर गोरखपुर उसकी जांच करेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—जुडीशियल इनक्वायरी करायेंगे कि नहीं?

श्री नवलकिशोर—वह बात बाद में आयेगी। उन्होंने एक बात का आक्षेप लगाया कि थानेदार को खुश किया गया, उन्होंने बहुत दबी जबान से कहा। श्री झारखंडेराय जी ने कहा १,००० रु० दिया गया, दूसरे साहब ने कहा २,००० रु० दिया गया, उसका मूल्य बढ़ता चला गया। मैं कहना चाहता हूं सरकार ने इस बात की खोज की पर हमारी इत्तला है कि यह बात गलत है। इसके बावजूद भी आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर वे जिम्मेदारी के साथ लिख कर दें और साबित करने को तैयार हों कि एक हजार या दो हजार रुपया एस० ओ० ने लिया है तो उसकी जांच की जायगी और साबित होने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। लेकिन केवल हाउस में कहने के लिये कह देना उचित नहीं है।

एक बात और कही गयी कि एस० ओ० खुश हो गया और उसने एक तरकीब बतायी, मानो वह नजूमी था कि आप तशरीफ ले जायं और मन्त्री जी को ऐप्रोच कीजिये और वह इतना होशियार था उसको सब पता था कि कौन कल आने वाला है। उसने कहा कि मन्त्री जी के पास जाइये वह नोट लिखेंगे और डी० एम० आर्डर करेंगे और उसके बाद पुलिस आ जायगी और गोली कांड हो जायगा। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

एक बात और की गयी कि एस० पी० और डी० एम० क्यों नहीं गये। भाषणों से कुछ ऐसा लगा कि कुछ साथियों के दिमाग में यह बात थी कि कुछ प्रिप्लांड बात थी कि वहां गोलीकांड करना है। यह कहा गया कि रात को गये और बांध काटा गया लेकिन दोपहरी के वक्त की यह घटना है।

एक सदस्य—माननीय मुख्य मन्त्री का बयान यही था कि रात में हुई थी।

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, माननीय मुख्य मन्त्री ने क्या कहा यह बहस में नहीं है। आप भी गलत समझ सकते हैं १८ तारीख की रात से पानी भरना शुरू हुआ, २५ से घटना शुरू हुआ और २८ तारीख को पानी डेंजर लेविल से नीचे पहुंच गया। २९ को जिलाधीश को खबर मिली कि बांध के ऊपर के गांव और नीचे के गांव के लोगों में कुछ तनाव हो रहा है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री ने कुछ कहा हो मुझ से मतलब नहीं। तो किस का स्टेटमेंट हम सही समझें?

श्री अध्यक्ष---वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं। माननीय मन्त्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री नवलकिशोर---मालूम होता है कि सोशलिस्ट पार्टी का उन पर कुछ असर होता जा रहा है। मुझे यह अर्ज करना है कि जिलाधीश को २९ को सूचना मिली। उन्होंने एस० डी० एम० को भेजा। एस० डी० एम० गये और ३० को निरीक्षण किया। इंजीनियर, नायब तहसीलदार और थानेदार उनके साथ थे।

एक बात बतला दूं कि यह बड़ा भारी भ्रम है कि किसी विभाग ने यह बांध बांधा था। ऐसी बात नहीं है। सरकार के किसी विभाग ने नहीं बांधा है, बल्कि गांव के लोगों ने श्रमदान से बांधा है। जब बांधा था तो इसके अन्दर एक आउटलेट था और जब कभी पानी बरसता था तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी नीचे को बह जाता था। पिछले तीन सालों से आउटलेट बन्द कर दिया गया। दो साल से इत्तिफाक से पानी इतना नहीं बरसा और इस साल पानी अधिक होने से यह समस्या पैदा हुई। यह कहा गया कि ५ गांव को बचाने के लिये ५० गांव डुबा दिये गये लेकिन मेरी सूचना यह है कि २५ गांव अफेक्टेड थे। ८०५ एकड़ जमीन के अन्दर पानी भरा हुआ था। रानीपुर बांध की तरफ कुछ अधिक था और ३ गांव ऐसे थे जिनके अन्दर आबादी में पानी भरा था। लोग परेशान थे और जानवर परेशान थे। इंजीनियर की राय यह थी कि बांध के काटने से जो पानी निकलेगा नीचे की तरफ उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी बात को समझाने के लिये प्रधान और सरपंचों से बातचीत की गयी। उन्होंने इत्तिफाक किया। उसके बाद बांध के काटने की बात हुई। यह कहना कि साइड में काटा गया गलत है और जहां उसका नेचुरल आउटलेट था वही स्थान उपयुक्त समझा गया बांध काटने के लिये।

एक साथी ने कहा कि कोई महाशय थे रामदास। वह आ कर लेट गये। किसी ने कहा कि अहिंसात्मक विरोध था। लेकिन खेद है कि मेरी सूचना इसके विपरीत है।

एक बात और कही गयी कि डी० एम० और एस० पी० क्यों नहीं गये। एस० डी० एम० को फोन किया गया और ज्योंही इत्तला मिली उसी वक्त ९ बजे एस० पी० और डी० एम० भी गये और रात में नदी के पास पहुंच भी गये। तो यह कहना क्यों नहीं गये यह बात समझ में नहीं आई। फिर इस बात का अन्दाज नहीं था कि वहां एक दम से यह कांड हो जायगा। यह कहा गया कि गोली चलाने से पहले दफा १४४ लागू की गयी थी और सारे डंडे और फरसे रखवा लिये गये थे? जो सूचना आई है मेरे पास उसके मुताबिक यह है कि जब यह कांड हुआ और लोग भागे हैं। तब वह काफी लाठी, फरसे और बल्लम वहां छोड़ गये थे। दफा १४४ पहले लागू की गयी थी यह गलत है। कांड के बाद दफा १४४ लागू की गयी थी। उसका सबूत यह है कि इतने बल्लम, भाले वहां मौजूद थे।

एक बात कही गयी कि रिवाल्वर से फायरिंग हुई। मुझे याद नहीं कि उस दिन स्टेटमेंट में कहा गया था या नहीं, यह बात सही है कि १८ राउन्ड्स मस्केट्स से हुए थे और ६ राउन्ड्स रिवाल्वर से किये गये थे। लेकिन यह कहना कि वह पहले लगी या कौन पहले लगी, मेरे पास इसकी सूचना तो है नहीं कि कौन पहले हुई। उसके लिये मैंने कहा कि ये सब चीजें जांच के बाद सामने आयेंगी।

[श्री नवलकिशोर]

कहा गया कि १५ मील तक पानी ही पानी हो गया और गांव बह गये और सब फस्लें नष्ट हो गयीं। मेरे पास जो आखिरी सूचना आयी है उसके हिसाब से कुल १११ एकड़ जमीन एफेक्टेड है (जिसमें ५५ खेतों में है) जिसके थ्रू पानी पास हुआ है और किसी भी जगह ४–५ इंच से ज्यादा पानी नहीं बहा है और न फस्ल को कोई डैमेज हुआ। इसीलिये कहा गया था कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और २५ गांव बच जाते हैं और जो ३ गांव डूब गये हैं ये बच जायेंगे।

झारखंडे राय जी चले गये, उन्होंने एक भयानक चित्र चित्रित किया। कहा गया कि वहां पर स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। तीन व्यक्ति मान्यवर, जो शायद विरोधी पार्टी के सदस्यों से भी मिले थे, वे मुझसे भी मिले थे और श्रीमती सुचेता कृपालानी जी, श्रम मन्त्राणी जी जो हैं, उनसे भी मिले थे, उन्होंने बहुत-सी बातें बतलायीं थीं लेकिन एक भी भाई ने यह नहीं कहा कि किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार या कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस बात को कतई बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हो सकता कि किसी भी मां, बहन के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाय, बलात्कार करना तो बहुत बड़ी बात है। (व्यवधान) अगर आप इस बात को लिख के दीजियेगा जिम्मेदारी के साथ कि उनके साथ बलात्कार किया गया है तो मैं सरकार की तरफ से वादा करता हूं कि उसकी पूरी जांच की जायगी और जो दोषी पाया जायगा उसके साथ सख्त कार्यवाही की जायगी। (व्यवधान)

एक बात और कही गयी कि एस० डी० एम० उस समय मौके पर नहीं थे। जितनी सूचना हमारे पास है उसकी जिम्मेदारी पर मैं यह कहने को तैयार हूं कि वह मौके पर थे, उन्होंने फायरिंग का आर्डर दिया और तब फायरिंग हुई।

एक बात और कही गयी कि आप अपने अफसरों को बचाने की चेष्टा करते हैं और इस पर बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई नीयत किसी उस अफसर को बचाने की नहीं है जो गलती करता हो मगर, मान्यवर, किसी आदमी के गलती करने की बात साबित होने से पहले हम उसको अपराधी (एक्यूज्ड) बना दें ऐसी सरकार की नीति नहीं है। इसी वास्ते जांच की जा रही है।

मेरे एक साथी माननीय भानु प्रताप सिंह जो ने कहा कि पहले ए० डी० एम० (जे०) को इन्क्वायरी की बात सौंपी गयी लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना। मान्यवर, मैं सेन्टीमेंट की बात नहीं कहता लेकिन कमिश्नर को कोई जुडिशल एक्सपीरियंस नहीं होता ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। कमिश्नर हाईकोर्ट जज से कोई जूनियर आफिसर होता है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। सरकार जुडिशल इन्क्वायरी से घबराती नहीं है। इसकी मिसाल यह है कि कानपुर, इलाहाबाद और न मालूम किन किन मामलों में सरकार ने जुडिशल इन्क्वायरी करायी है। यही नहीं हमने अपने संविधान के अन्दर इन्डिपेन्डेन्स आफ जुडिशरी माना है और उस हद तक माना है जितनी अमरीका के संविधान में भी नहीं है। तो यह कहना कि हम जुडिशल इन्क्वायरी से घबराते हैं यह बात गलत है।

एक बात और कही गयी कि गोरापार गांव में ४०–४२ सिपाही पहुंच गये। इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। मैंने कौंसिल में भी कहा था कि एफ० आई० आर० में ३८ आदमियों को नामजद किया था जिसमें से २० आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं और केवल वही आदमी गिरफ्तार किये गये हैं जिनके नाम एफ० आई०आर० में दर्ज हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि जिनके नाम हैं अगर वे सरेंडर कर दें तो सब खत्म हो जायगा। अगर भागे हुये हैं तो जिनके नाम हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अपनी जगह पर चलेगी ही।

माननीय झारखंडे राय जी ने बहुत-सी बातें बतलाईं । उन्होंने कहा यह हत्या है । कम्युनिस्ट भाई के मुंह से गोली चलाने के विरुद्ध उसको हत्या का नाम देने पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । यह भी हमारे संविधान और हिन्दुस्तान के जनतंत्र की विशेषता है कि हर दल चाहे उसका जनतंत्र में बुनियादी तौर पर विश्वास हो या न हो, जनतंत्र की दुहाई देने में सबसे आगे रहता है और होड़ करता है । बहरहाल उनकी व कम्युनिस्ट दल की बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं । उन्होंने यह भी कहा कि हाउस की एक कमेटी बिठा दी जाय । मान्यवर, इसमें एक कमिश्नर की इन्क्वायरी बिठा दी गई और उसके ऊपर कोई कमेटी बिठाई जाय यह ठीक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि कमिश्नर कलेक्टरों से ऊपर हैं, लिहाजा वह सही जांच कर ही सकते हैं ।

मान्यवर, एक बात और कही गई कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत इच्छा है और दरोगा बहुत अच्छा है । इनको तो मुख्य मंत्री ने सर्टीफिकेट दे दिया है । अब क्या कहने हैं ? मान्यवर, उन्होंने यह नहीं कहा था । उन्होंने यह कहा था कि तीन व्यक्ति जो वहां से उनसे मिलने आये थे उन्होंने जहां एस० ओ० की शिकायत की वहां यह भी कहा कि वह बहादुर आदमी है, यह भी उन तीन व्यक्तियों ने कहा । यह बात मुख्य मंत्री जी ने कही थी । जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां थे उस पर केवल उन्होंने यह कहा था कि यह सौभाग्य की बात है कि वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा है जो जीवन भर जन सेवी रहा है । मुझे ऐसा विश्वास है कि वह गलत बात नहीं करेगा और कोई बात छिपायेगा नहीं । किसी के मांइड को प्रेजुडिस करने की बात नहीं थी । इतनी बात कही गई थी और कोई बात नहीं कही गई थी ।

एक बात और कही गई कि वहां पर जो पुलिस बटालियन है उसको वापस कीजिये, दरोगा को सस्पेंड कीजिये और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कीजिये । मान्यवर, विरोधी दल के नेता मेरे पर्सनल फ्रेन्ड हैं और उनकी बात जहां तक मान सकता हूं, मानता हूं । लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ नहीं कही है । लिहाजा मैं उसको मानने में मजबूर हूं । उसकी वजह यह है कि अगर इन्क्वायरी में किसी की गलती पाई गई, निस्संकोच होकर सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायेगी । झारखंडे राय जी ने कहा कि महा प्रलय का दृश्य हो गया था और भस्मासुर की नीति की बात कही और कहा कि मंत्राणी जी को वहां जाने का मौका नहीं दिया गया । श्रीमान्, वहां से कुल ४/५ इंच पानी पास हुआ है । जो देखना चाहें वे लोग जाकर देख सकते हैं और मंत्राणी जी जब वहां गई थीं तो इस बात की नीयत नहीं थी कि वह वहां न जायं बल्कि उस समय जीप अवेलेबिल नहीं थी और शाम को ही उन्हें लखनऊ लौटना था । वहां जाने की उस समय सुविधा नहीं थी इसलिये नहीं जा सकीं ।

श्रीमन्, एक बात और कही गई कि जो चोटें लगी हैं वे पांवों के नीचे नहीं हैं । इसके माने हैं कि हवाई फायरिंग नहीं हुई । हमने कभी नहीं कहा कि हवाई फायरिंग हुई । नियमों में भी है कि हवाई फायरिंग न हो बल्कि फायरिंग अफेक्टिव होना चाहिये । मैंने खुद भी कहा कि जो घटना हुई उससे हमें बड़ा खेद है । लेकिन यह हमने कभी नहीं कहा था कि हवाई फायरिंग हुई . . .

श्री यादवेन्द्रदत्त— Does it mean shoot to kill ?

श्री नवलकिशोर—Firing should be effective. इसके मानी आप निकालिये ।

एक बात मान्यवर, और कही गयी । हमारे भाई नरसिंह जी ने कुछ डेमोक्रेसी की बात कही । मुझे खुशी है कि आप मानें या न मानें कम से कम उसकी बात तो आप कहते हैं । देर आयद दुरुस्त आयद । उन्होंने पाकिस्तान की बात कही कि वहां इसी वजह से फौजी शासन हुआ । सोशलिस्ट पार्टी क्या करती है, हाउस के अन्दर, पार्लियामेंट के अन्दर, काउंसिल आफ स्टेट के अन्दर आज देश का हर जन उसको जानता है, उससे देश के जनतंत्र का भविष्य

[श्री नवलकिशोर]

क्या होगा यह भी चिन्ता का विषय बन गया है । प्राइम मिनिस्टर ने विलायत जाते वक्त कहा था कि अगर जनतंत्र को बचाना है तो ऐसे तत्वों को (isolate) अलग करना होगा । एक बात जरूर है कि अगर पाकिस्तान शासन यहां बना तो वह कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं बनेगा । लेकिन जिस जनतंत्र की कल्पना नरसिंहनारायण जी का दल करता है, और जो उनका डेफायंस का तरीका है अगर वही रहा तो वह दिन आ सकता है जिसका सभी लोगों को अफसोस और शोक होगा । चूंकि आप अपने आप को सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, इसलिये मैं आपसे यह कहता हूं । कुछ लोगों को तो जनतंत्र में विश्वास नहीं है । चाहे फौजी शासन हो जाय चाहे पोलेटरिएट की डेक्टेटरशिप हो जाय तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा । लेकिन कुछ पार्टियां हैं, जैसे पी० एस० पी० हैं, सोशलिस्ट पार्टी है, जिनको जनतंत्र के अन्दर बुनियादी विश्वास है । मेरे भाई दुबे जी ने कहा कि खुद नहीं गये बेचारी मंत्राणी जी को भेज दिया । मंत्राणी जी स्वयं उस जिले बस्ती की प्रतिनिधि हैं । वह स्वयं अपनी तरफ से गई थीं । और वह बेचारी नहीं हैं । उन्होंने अपने जीवन में इस देश तथा प्रदेश के अन्दर काम किया है, अपनी लाइफ डेडिकेट की है । उनकी जिन्दगी बहुत से लोगों से कहीं ऊंची है । लिहाजा इस तरह से उनको बेचारी कहना, गलत है । वह बेचारी नहीं हैं ।

माननीय बृजभूषण जी ने बहुत-सी कानूनी बातें बतायीं । यह बात सही है कि मैंने भी वकालत पास किया था और अच्छे नम्बरों से पास किया था । लेकिन प्रैक्टिस एक्सपीरिएंस जितना उनको है उतना मुझ को नहीं है । इस समय यह सदन कानूनी बातों पर अपना निर्णय भी नहीं दे सकता है । वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है । जो कानूनी बातें उन्होंने उठायी हैं, उनके बहुत से जो वकील साथी होंगे, उनको कमिश्नर के सामने जाने का मौका होगा । वहां कानूनी दलीलों के ऊपर विचार हो सकता है । मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि अगर पांच सौ गांव डूबते हों, तब उनके बचाने को अगर एक मकान भी गिराना हो तो कानूनी अधिकार नहीं है । हो सकता है कि कानून में कुछ हो लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं । अगर इम्मीडिएट ऐक्शन लेना हो तो वकील साहबान कहेंगे कि पहले स्टे करवाइये, वह एक लम्बा चौड़ा तरीका होता है । श्रीमान्, आप बहुत अच्छे वकील हैं । सब जानते हैं । लेकिन जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह देखता है कि आन दि स्पाट क्या जरूरत है । यह बात दूसरी है कि वह कानून के निगाह से सही हो या गलत हो । उसके वास्ते कमिश्नर फैसला करेगा कि वह बात कौन सही या गलत है ।

एक बात भानुप्रताप जी ने कही कि इस देश के जनतंत्र के अन्दर रूल आफ ला नहीं है, रूल आफ ब्यूरोक्रेसी है । एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम १५ साल की आजादी के बाद हमारे राजे महाराजे, ताल्लुकेदार, नवाब साहबान को उस गरीब जनता के साथ कुछ हमदर्दी हुई । उनको यह भी महसूस हुआ कि हिन्दुस्तान के जनतंत्र में और दुनिया के अन्दर कोई रूल आफ ला भी होता है । उनके अपने जमाने में कुछ भी रूल रहा हो । आज के जनतंत्र में कम से कम उनको रूल आफ ला की फिकर तो हुई—यह अच्छी अलामत है । एक बात और कही गई मान्यवर, कि इंगलैंड की पुलिस में क्या होता है शायद नरसिंह नारायण जी ने पढ़ा था कि वहां तो पुलिस प्रोटेक्ट करने के लिये होती है । तो जहां तक तक फंक्शंस की बात है वह तो हिन्दुस्तान में और इंगलैंड में दोनों जगह एक ही है, वह दो नहीं है । हां, एक बात मैं मान सकता हूं कि इंगलैंड की साढ़े सात सौ साल की डेमोक्रेसी है, वहां का एक एक नागरिक जो है उसके खून के अन्दर जनतंत्र भरा पड़ा है, उसकी जिन्दगी की हर चाल ढाल में वह चीज भरी हुई है और उसने एक पैटर्न आफ लाइफ के रूल में उसे एडाप्ट किया है । हमारी अभी पन्द्रह साल की जिन्दगी हुई है । हमारा अनुभव उतना नहीं हुआ है । यह मैं मानता हूं कमियां हो सकती हैं । लेकिन उसको मानते हुये भी हम निरन्तर इस बात की चेष्टा में हैं कि साढ़े सात सौ साल में वह जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां हम आपके सहयोग से सत्तर पचहत्तर साल में ही पहुंच जायं । यह हमारी सबकी कोशिश है ।

एक बात मान्यवर, उन्होंने और कही कि जो जख्मी लोग थे उनको घटना-स्थल पर ही पड़ा रहने दिया गया और उन्होंने बताया कि युद्ध का एक नियम होता है कि फौजें लड़ती हैं तो जो जख्मी होते हैं उनको भी कहीं न कहीं पहुंचा दिया जाता है । अब शायद भानुप्रताप जी भी उसी जिले से हो आते हैं, हो सकता है कि उनके पास कुछ मालूमात हों, लेकिन सिविल सर्जन की रिपोर्ट मेरे पास यह है कि जिस समय वह वहां पहुंचे तो कुछ लोग जिनको चोट लगी थीं, वह वहां हेनसर बाजार का जो अस्पताल है वहां पर थे और शायद एक दो व्यक्ति मौके पर भी मिले थे । कहा यह गया कि ६ दिन तक वह व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंचाये गये । लेकिन वास्तव में हुआ यह कि चार साहबान की वहीं पर ब डेज हो गई थी । उसके बाद तीन तीन एक मत्तबें और एक दूसरे मत्तबें करके अस्पताल पहुंचा दिये गये । आज भी चार आदमी बस्ती के अस्पताल में हैं । दो आदमियों को मामूली चोटें थीं, वह छोड़ दिये गये और तीन की मृत्यु हो गई । इस तरह से नौ आदमियों को कुल चोटें लगी थीं ।

एक बात यह कही गई कि ६ दिन पहले से सूचना थी मगर फिर भी ऐक्शन नहीं लिया गया । उसका जवाब मैंने यह दिया कि ६ दिन से सूचना नहीं थी । २९ तारीख को सूचना मिली और उसी दिन फौरन एस० डी० एम० से कह दिया गया कि वह वहां जायं ।

आखिर में मैं एक बात और कह दूं माननीय मैनेजर सिंह ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने वाक्यात तो बताये नहीं, एक लेक्चर दिया नौकर शाही पर, और मैं उनका एसहानमन्द हूं, मुझसे भी उन्होंने कहा कि तुमको क्या हो गया है । मैंने बहुत सोचा मान्यवर, कि मुझे क्या कोई बीमारी हो गई है, या मैं कुछ बदल गया (व्यवधान) मेरा चश्मा रंगीन नहीं है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, आंख के अन्दर ही रंगीन शीशा रख लेते हैं । तो मैंने अपने माननीय मित्र से कहना चाहता हूं कि अपने उस रंगीन चश्मे को उतारिए । हमारे अन्दर कोई तब्दीली नहीं आयी है । हमारे बहुत से साथी इधर जो बैठे हुये हैं उनके जजबात भी वही हैं और उन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी मुल्क की खिदमत में बितायी है । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि शासन के अन्दर आने पर उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपका ऐटीट्यूड है उस ऐटीट्यूड को लेकर अगर चलें तो जिस लक्ष्य तथा ध्येय को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह ध्येय प्राप्त नहीं हो सकता है ।

अन्त में श्रीमन्, एक मिनट और चाहता हूं । जैसा कि मेरे मित्र बी० बी० सरन जी ने कहा यह बहुत बहस की बात नहीं है । जो घटना हुई उनके बारे में जो हमारे पास वाक्यात थे वह हमने पेश कर दिये, जो आपके पास थे वह आपने पेश कर दिये । हम इस विश्वास को लेकर चलें कि कमिश्नर की इन्क्वायरी निष्पक्ष होगी और ईमानदारी से होगी । फिर वह कोई आखीरी शब्द तो नहीं है । लेकिन उनको एक मौका दीजिये कि वह ईमानदारी के साथ जांच करें । आपके पास जो पहलू है उसको आप उनके सामने पेश कीजिये । जो सरकारी पहलू है वह उनके सामने पेश किया जायगा । उसके बाद जो रिपोर्ट जायेगी उसको आप देखें और उसमें अगर किसी अफसर के खिलाफ गलती पायी जायगी तो जैसा मैंने कहा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और परसों साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजे १२ सितम्बर, १९६२ के दिन के १० बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदश ।

लखनऊ :
१० सितम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर]

कुआना रेन्ज के निकटस्थ ग्राम की सूची

दुलहिनपुर वीट

१—बहादुरापुर
२—रामनगर
३—हाथी-गरदा
४—लाला-जोत
५—खगई जोत
६—रामपुर
७—हनुमन्त नगर
८—बच्ची-बच्चा
९—दुलहापुर
१०—अजबनगर फरेंदा
११—सबल पुर
१२—लालनगर-लछमनपुर
१३—बिशुनीपुर
१४—फुलवरिया
१५—गनेशपुर
१६—कलवारी
१७—दुताही
१८—घुसाह
१९—भगवानपुर

शिवगढ़ वीट

२०—रज्जनपुर
२१—भवानीपुर
२२—देव रहा
२३—केवलपुर
२४—छब्बिसवा
२५—बसन्तपुर-बनकट

वालपुर वीट

२६—सिरसिया
२७—वालपुर
२८—सोनपुर
२९—चिरय्या
३०—कोल्हुआ
३१—वरईपुर
३२—हांस डीह
३३—बुढ़ पुरवा
३४—अरजुनपुर
३५—जुड़वा पुर
३६—दिल्लीपुर
३७—कोयलरा
३८—उदईपुर
३९—बैजपुर
४०—सहबरा
४१—खैराही
४२—ककरहवा
४३—सिंगहीं

महाराजगंज वीट

४४—राऊतारा
४५—कल्याननगर
४६—सलहिया
४७—सेखा
४८—रतवपुर
४९—दुलहापुर
५०—बरगदही
५१—फकीरन डिहवा
५२—पचीटे
५३—रसूलपुर
५४—फुलवरिया
५५—विराहिमपुर
५६—खटकन-डीह

राजापुर भारी वीट

५७—बगनहा
५८—शिवदयालपुर
५९—जिगना
६०—अदमपुर
६१—विश्रामपुर
६२—त्रिलोकपुर गोर
६३—शिवपुर-महन्त
६४—पांड़ेपुर
६५—त्रिभुवननगर
६६—गनेशपुर ग्रंट
६७—रामपुर
६८—बटवलिया
६९—बड़हराकेट

चन्दना वीट

७०—नागेश्वर जोत
७१—चन्दना
७२—जैनगरा
७३—नरायनपुर
७४—बिथरिया
७५—विजयनगरा
७६—वहीदनगर
७७—गंगापुर
७८—धरमपुर
७९—वीरपुर
८०—तिलकपुर
८१—हड़पुड़ा
८२—राजगढ़
८३—रानी-जोत
८४—सरजू जोत
८५—शिवपुर महन्त
८६—साहब गंज
८७—बांसी डिहवा
८८—सोमरही
८९—मयुहा
९०—घेरापुरवा
९१—लाला डीह
९२—गदुसही
९३—बरगदही
९४—गुलरही
९५—मनिकापुर
९६—पिरथीपाल गढ़

दुगही वीट

९७—रज्जुआ पुर
९८—दुगही
९९—लोह सीसा
१००—रानीजोत
१०१—पूरे महा
१०२—पूरे सरदार

परास खाल वीट

१०३—परासखाल
१०४—हिन्दूनगर
१०५—महे-नौन
१०६—बदलनगर
१०७—पूरे पंडित विन्दधन
१०८—बिलन्दपुर
१०९—भटपुरवा
११०—पूरे मुसद्दी
१११—पृथ्वीपाल गंज
११२—विजयगढ़वा

नत्थी 'ख'

नियम ३९ (२) के अन्तर्गत

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

नगरपालिका झांसी पर सरकार द्वारा दिये गये ऋण

ऋण की मद	कर्ज़ की धनराशि	जी० ओ० संख्या जिसके द्वारा कर्जा स्वीकार हुआ	सूद सहित किश्तों की आदायगी का विवरण	ऋण की अवशेष धनराशि ३१-३-६२	
				मूल धन	सूद की रकम
१	२	३	४	५	६
	रु०			रु०	रु०
जल कल योजना के लिये	१४,६२,०००	१-१३७६-३ (ब)/९-एल-७/५४, दिनांक २६-३-५५ २--४५५ एस-९-बी-४२२/१९५५, दिनांक २२-३-५६ ३--१६२ एस-९-बी-४२२/५५, दिनांक २४-३-५५	पहली किश्त ९५,१०५ रु० की दिनांक २३-८-६१ को अदा की गई	१४,३९,९९५	३,६१,७७५.८२
जल कल योजना के लिये	७,५८,०००	१-३०६४/११-ए/५३८-४९५, दिनांक ३०-६-४९ २--९७४३ (२) -११ए। ५३८-४८ दिनांक १७-१-५० ३-७०६२/११ ए -६३ ए ।४८ दिनांक २८-८-५०	बोर्ड ने पहली किश्त ४५,१७५ रु० की दिनांक १३-४-६१ को अदा की है	७,४५,०४०	२,२०,२००.३९

		४-६३७८(३) /११-ए-५३८/४८ दिनांक १३-६-५१ ५---१०७४३/११-ए-५३८ /४८, दिनांक २७-११-५२	
बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित वेतन क्रम देने के लिए	४५,५००	७३५२ (२)११ए-७३६/४८, दिनांक १५-३-५०	पूरे कर्जे की अदायगी हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

वितरण तालिका

कोयला चूर

			वैगन्स
ए-क्लास के भट्ठे	..	..	२२०
बी-क्लास के भट्ठे	..	..	१८३
अस्थायी भट्ठे	..	..	२३
			४२६

साफ्ट कोक

			वैगन्स
साफ्ट कोक	..	...	१८९
हार्ड कोक	..	..	३६
स्टीम कोल	..	..	१२
			२३७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

परिशिष्ट

(१) जिला मिर्जापुर तहसील मिर्जापुर ब्लाक हलिया

१—देवरि पूख
२—हरीह
३—चौरा
४—परसिया कलां
५—ब्योगना
६—लहुरिया दाल

तहसील मिर्जापुर ब्लाक लालगंज

७—चितवार

तहसील राबर्टस्गंज ब्लाक नगवा

८—पनीरा
९—पत्थर कुआं
१०—क़ोरियाला
११—चिचली
१२—सोमा
१३—मझुई
१४—झांकी
१५—पलपल
१६—केवतम
१७—ओइनी
१८—डिवा

तहसील राबर्टस्गंज ब्लाक छोरावल

१९—सोनहटी
२०—मुक्का
२१—घुआस
२२—वसही
२३—छोरिया
२४—मुकहवा
२५—नेवारी
२६—धरसरा
२७—लोहान्डी
२८—आरादी
२९—दोमखरी
३०—छौहराकुंड
३१—लिलवाही
३२—मुड़रा
३३—मोहनी
३४—उंदार
३५—परेट
३६—हरन कोहरी
३७—सिलवार
३८—छोरहरा

तहसील राबटस्गंज ब्लाक राबटस्गंज

३९—पाली
४०—अमोली
४१—बसोली
४२—जिगना

तहसील दुद्धी ब्लाक म्यूरपुर

४३—लाबन्ध
४४—पतखोरना
४५—वनमहारी
४६—अबराहवा
४७—खोराही
४८—मुरदवा
४९—अन्जनगीर

तहसील दुद्धी ब्लाक बहामानी

५०—सगसोहती
५१—चकबगदरी
५२—पीपरहर
५३—घनखोर
५४—बकबदरी साढ़ी

तहसील चुनार ब्लाक चुनार

५५—पुरनयां
५६—तेन्दुआ कलां
५७—शिवपुर

(२) जिला बांदा

५८—मताना कालापीर
५९—पुरवी
६०—अशाह
६१—पथाना
६२—एकमी
६३—गोपीपुर

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

मैं दिनांक ३ अगस्त, सन् १९६१ को तालबेहट विकास खंड में गया। तरगवां ग्राम सभा में जो आदर्श नगर बनाया जा रहा है उसको मौके पर मैंने देखा। तरगवां ग्राम में प्लाट नम्बर ७०९, ७१० और ७१३ में यह आबादी बसाई जा रही है। इन प्लाटों का क्षेत्रफल ७.३८ एकड़ है। यह बंजर भूमि थी। श्री मथुरा प्रसाद लिटोरिया के खातों में यह भूमि सम्मिलित थी। उन्होंने २१ दिसम्बर सन् १९५९ को यह लिखित बयान दिया था कि उनकी भूमि मकान बनाने वालों को दे दी जाये और उसकी रजिस्ट्री भी वह करा देंगे। उन्होंने यह भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा उन लोगों को दे दी है जिनके मकान उस भूमि पर बनते जा रहे हैं और जिन लोगों को ऋण दिया गया है वे अपने अपने मकान की भूमि के स्वामी बन भी गये हैं। २८० रुपया प्रति व्यक्ति दिनांक २५ मार्च, सन् ६० को पहली किश्त बांटी गयी थी और दिनांक २२ मार्च सन् ६१ को ७०० रुपये की दूसरी किश्त भी बांट दी गयी है। जिन लोगों के मकान बन रहे हैं उनमें से सर्वश्री पजन, हर सिंह, शिब्बो, गणेश, रामदीन, छत्तवा, देवो, गनवा, खुन्दा, बुर्जू, हरीसिंह छत्ते, दुरजन और मुज्जे से मैंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इनमें से अधिकतर लोग काछी है। शिब्बो गड़रिया है। इन सबके पास अपनी काश्त की भूमि है। ढाई एकड़ से १२ एकड़ तक हर एक के पास भूमि है।

यह सब लोग अपनी अपनी खेती का कार्य करते है। इनमें से अधिकतर लोग तरगवां सभा के जीरावाला पुरवा में बसे है और कुछ लोग बनियन पुरवा पुरवा में बसे हैं। देवो खाडो गांव सभा के शाहशाह पुरवा में बसा है। जीरावाला और बनियन पुरवों को मैंने देखा। यह दोनों पूर्व उस स्थान से जहां नये मकान बनाये जा रहे है, १ व २ फर्लांग दूरी पर बसे है। इन किसानों ने अपने-अपने खेतों के पास कुंआ के निकट अपनी अपनी टपरिया डाल रखी हैं। यह अधिकतर गरीब और पिछड़े हुये लोग हैं। जिस नई जगह मकान बनाये जा रहे हैं वह जगह ऊंची है उस जगह एक कुआ भी खुद तैयार हो गया है। यह जब इनकी टपरियों और खेतों के निकट है एक दो फर्लांग का फासला है। इन लोगों की यह प्रबल इच्छा थी कि वह लोग अलग अलग टपलियों में नीची जगह पर न रहे बल्कि ऊंचे स्थान पर एक जगह बस जांय। गृह निर्माण योजना की बातें सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा श्री मथुरा प्रसाद लिटोरिया पर प्रगट की तो उन्होंने उनके मकान बनवाने के लिये अपनी भूमि देने का बचन दे दिया फिर दान पत्र द्वारा उसे हस्तांतरित कर दिया। इस स्थान का निरीक्षण टाऊन और विलेज प्लेनर के कर्मचारियों के द्वारा हुआ और उन्होंने मास्टर प्लान गांव का बनाया और यह जगह आबादी के लिये स्वीकृति दी। २१ मकानों की नींव पत्थरों से पूरी हो चुकी है। लगभग २ लाख ईट मौके पर मैदानी भट्ठों के द्वारा पकाई जा चुकी है। जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है वह अपना-अपना मकान बना रहे हैं। वे स्वयं अपने अपने मकानों में रहेंगे। हर व्यक्ति अपना अपना कर्जा २० साल में चुकायगा। इन सब व्यक्तियों को योजना का पूरा ज्ञान है। मैं समझता हूं कि गृह निर्माण योजना में इस गांव की योजना एक अच्छी योजना है और इससे इन पिछड़े हुये काश्तकारों को अवश्य लाभ होगा।

ह० भगवन्त सिंह,
१४-८-१९६१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

सिफारिश संख्या १—नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग को केवल परामर्शदाता रूप में कार्य करना चाहिये और नगरपालिकाओं के दिन प्रति दिन के कार्य सम्पादन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये

टीका

समिति की इस सिफारिश के अनुसार व्यवहारिक रूप में पहले से ही कार्य किया जा रहा है। नगर नियोजन विभाग केवल आदर्श उप-विधियों के आलेख्य तैयार करता है और स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई उप-विधियों के आलेख्य का परिमार्जन करता है किन्तु वह स्थानीय निकायों के दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता है। वह योजनाबद्ध विकास से सम्बन्धित विषयों में, जिनमें १२ या अधिक मकानों का निर्माण अथवा २ एकड़ से अधिक क्षेत्रों का विकास सम्मिलित होता है स्थानीय निकायों को परामर्श भी देता है। वह भावी विकास की महायोजनायें भी तैयार करता है। यदि समस्त स्थानीय निकायों को नियोजन प्रतिमानों का निर्देश किये बिना मनमाने ढंग से और मनमाने स्थान पर निर्माण करने की अनुमति दी जाती है तो बाद में अव्यवस्थित तथा आयोजना—बद्ध रूप में होने वाले विकास को रोकना-सम्भवतः कठिन होगा। स्थानीय स्वशासन तथा गृह व्यवस्था मन्त्रियों की केन्द्रीय परिषद् के सम्मेलन की बैठक में, जो पहले हुई थीं, अव्यवस्थित तथा आयोजनाबद्ध निर्माणों को रोकने पर बार-बार जोर दिया गया है। अतएव यह आवश्यक है कि प्रतिमित निर्माण उप विधियों का निश्चित रूप से पालन कराया जाय जो कि उस समय तक नहीं किया जा सकता तब तक कि समस्त नगरपालिका बोर्डों का पथप्रदर्शन करने और उन्हें परामर्श देने के लिये कोई केन्द्रीयित अभिकरण न हो। जहां तक सरकार को ज्ञात हुआ है नगरपालिका बोर्डों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि जो अनुदेश इस विषय में जारी किये जा चुके हैं उनसे उन्हें कोई अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी है। इसलिये वर्तमान व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

सिफारिश संख्या २—नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारियों की संख्या में और अधिक वृद्धि करने की अनुमति न दी जानी चाहिये। इसके स्थान पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि नगर महापालिकाओं, जिनके स्थापित होने की सम्भावना है तथा बड़ी नगरपालिकाओं से कहा जाय कि वे अपने अलग-अलग नियोजन मण्डल स्थापित करें जिससे कि सरकार का व्यय यथानुपात कम हो जाय।

टीका

देश के भीतर प्राविधिक योग्यता प्राप्त वास्तुकारों तथा नगर नियोजकों की भारी कमी है और यह संदिग्ध है कि नगरपालिका बोर्ड ऐसे पदों के लिये प्राविधिक योग्यता प्राप्त अधिकारियों की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे। यदि कार्य करने के लिये योग्यता प्राप्त आवश्यक कर्मचारियों के न होने पर भी स्थानीय निकायों को नियोजन तथा डिजाइन तैयार करने का कार्य सौंप दिया जाता है तो अव्यवस्थित ढंग से नियोजित तथा खराब डिजाइन के निर्माण किये जाने की सम्भावना होगी और भूमि का आधुनिक प्रतिमानों के अनुसार समुचित उपयोग न होगा। अतएव यह आवश्यक है कि स्थानीय निकायों को नियोजन तथा विकास के विषय में परामर्श देने तथा अव्यवस्थित एवं प्रतिमानों से नीचे स्तर के विकास कार्यों को रोकने के लिये केन्द्रीयित अभिकरण हो। विभिन्न स्थानीय निकायों में प्रथम रूप से नगर नियोजन संगठनों के बनाये जाने से अनावश्यक रूप से

कर्मचारियों का दुहराव (duplication) और धन का अपव्यय होगा। यदि नगर नियोजन विकास का कोई केन्द्रीयित अभिकरण स्थापित तथा अनुरक्षित किया जाता है तो उसे सौपे जाने वाले कार्य के क्षेत्र तथा परिमाण के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित करन के लिये सावधानी बरती जाती ह कि इसक फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि न हो । अतएव कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने क प्रत्यक प्रस्ताव पर उसके औचित्य के आधार पर विचार किया जाता ह और ऐसा करते समय कार्य-भार (work load) का समुचित ध्यान रखा जाता है किन्तु यह बात स्वीकार की जानी चाहिये कि प्रति दिन नयी-नयी गृह-व्यवस्था योजनायें आरम्भ की जा रही हैं और इसके फलस्वरूप नगर तथा ग्राम नियोजन के कार्य में तदनुसार अवश्य ही वृद्धि होती है। अतएव हमें इन योजनाओं का सफल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों की संख्या में कुछ वृद्धि करनी पड़ती है। ग्रामीण गृह व्यवस्था योजना चलाने के समय नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में एक ग्रामीण गृह-व्यवस्था संगठन (Cell) स्थापित करना आवश्यक था। भारत सरकार ने इस संगठन (Cell) के कर्मचारियों पर होन वाले व्यय का ५० प्रतिशत भाग देना स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार भारत सरकार राज्य नगर नियोजन संगठनों के प्रसार के निमित्त राज्य सरकारों को सहायता देने का विचार कर रही है। यदि सहायता उपलब्ध हो जाती है तो उससे राज्य सरकार का व्यय भार सम्भवतः कम हो जायेगा किन्तु यदि कार्य बढ़ जाता है तो अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

इन परिस्थितियों में प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करना कठिन है। अतएव सरकार ऐसा अनुभव करती है यद्यपि यह ठीक है कि अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये स्वीकृति सामान्यता नहीं दी जानी चाहिये और प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके औचित्य के आधार पर जांच की जायेगी। फिर भी यदि काम पड़ता है तो अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।

सिफारिश संख्या ३—स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता और नगर तथा ग्राम नियोजन दोनों ही के कार्यालयों को स्वायत्त शासन विभाग की शाखाएं समझा जाय और उन दोनों में से ज्येष्ठतम (Seniormost) अधिकारी को दोनों की कार्यालयों का अध्यक्ष माना जाय ।

टीका—

जैसा कि अभीष्ट है, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग और नगर तथा ग्राम नियोजक स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत दो विभिन्न शाखायें हैं, किन्तु यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है कि इन दोनों शाखाओं को परस्पर मिलाकर एक शाखा कर दिया जाय। ये दोनों ही शाखायें पूर्णतया भिन्न प्रकार का कार्य करती है और उनके कार्य बहुत ही विशेषित प्राविधिक प्रकार के हैं। अतएव इन दोनों को इस सिफारिश में दिये गये सुझावों के आधार पर किसी एक ही प्राविधिक अध्यक्ष के अधीन रखना सम्भव नहीं है। न ही ऐसा करना प्रशासन के हित में होगा जब उनके कृत्यों के क्षेत्र पूर्णरूप से भिन्न हैं।

यह भी संदिग्ध है कि किसी विभागाध्यक्ष के ज्येष्ठ पद की छंटनी से कोई मौलिक मितव्ययिता होने की संभावना होगी किन्तु ऐसा करने से कार्यदक्षता में भारी क्षति पहुंचने की संभावना हो सकती है नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग का कार्य उस कार्य से पूर्णतः भिन्न है जो स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को करना पड़ता है, और चूंकि दोनों ही विभागों को महत्वपूर्ण कर्तव्य सम्पन्न करने पड़ते है, इसलिये यदि समिति की सिफारिशें मान ली जाती है तो उससे दोनों विभागों के दक्षतापूर्ण कार्य संचालन पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों विभागों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें अलग-अलग रहन दिया जाय जैसा कि इस समय है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

सरकार द्वारा जिला गाजीपुर की निम्नलिखित सीमेन्ट दी गई :—

साल	सीमेंट दी गई
	मै० टन
१९६१–६२	४,३५४
१९६२–६३ .. .. (सितम्बर, ६२ तक)	२,५५३

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

भट्टों की सूची स्थायी तथा अस्थायी जिला गोरखपुर

क्रम-सं०	भट्ठों का नाम		स्थान भट्ठा	अव्यय
	१—तहसील सदर जिसमें गोरखपुर शहर सम्मिलित हैं			
	१ स्थायी			
१	श्री राज पाल ब्रिक्स फील्ड	..	सेवाई	
२	,, गोविन्द राम	..	धामपुरा (गोरखपुर)	
३	,, गोपाल दास	..	ढोमिगढ़ (गोरखपुर)	
४	,, जतनामल	..	बशारापुर	
५	मेसर्स गोरखपुर ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, दिबनियां		,,	
६	सर्वश्री मेघामल लक्ष्मण दास	..	असूरन का पोखारा (गोरखपुर)	
७	श्री राधा किशुन	..	बनकटवा (गोरखपुर)	
८	,, टीकामल	..	डोमिनगढ़ (गोरखपुर)	
९	,, कृष्णा प्रताप सिंह	..	सहजनवां	
१०	,, घुरूवा सिंह	..	कालेसर	
११	,, बुधी चन्द	..	खोया पोखरा (गोरखपुर)	
१२	,, सुभागा मल	..	डोमिनगढ़ (गोरखपुर)	
१३	,, देव नारायन दूबे	..	भंडारी	
१४	सर्वश्री धरम दास अकमत मल	..	पिपराइच	
१५	श्री राम देव दूबे	..	बनकटवा (गोरखपुर)	
१६	,, तोपन दास	..	बशारतपुर (गोरखपुर)	
१७	,, तेक चन्द	..	बशारतपुर (गोरखपुर)	
१८	,, हरीश चन्द्र	..	बशारतपुर (गोरखपुर)	
१९	,, किशोरे लाल	..	सूर्य कुआं (गोरखपुर)	
२०	,, धनवर दास	..	असूरन का पोखारा (गोरखपुर)	
२१	,, रामसूरत सिंह	..	सहजनवां (गोरखपुर)	
२२	,, पहलू मल	..	खूनीपुर	
२३	,, राम देव लाल	..	डिबनिया	
२४	,, कृपाल दास	..	शाहपुर (गोरखपुर)	
२५	,, विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल	..	लच्छीपुर (गोरखपुर)	
२६	,, जियाल दास प्रताप सिंह	..	कुनरीघाट	
२७	,, ऊधो दास	..	बनकटवा	
२८	,, गनेश प्रसाद ओझा	..	सोनवरसा	
२९	,, संतलाल	..	चौरी चौरा (गोरखपुर)	
३०	,, बदनूमल	..	ग्राम बाजार (गोरखपुर)	

क्रम सं०	भट्ठों का नाम	स्थान भट्ठा	अन्यत्र

१ अस्थायी

१	सहकारी संघ (क्वाप्रेटिव)	..	पिपराइच
२	सहकारी संघ (,,)	..	भटनट
३	श्री गोविन्द राम	..	बशारतपुर (गोरखपुर)
४	,, राम अधार ओझा	..	बगहारा
५	,, बली राम	..	शाहपुर (गोरखपुर)
६	,, अन्द प्रसाद गुप्ता	..	दिभिया (गोरखपुर)
७	मेसर्स राम कृष्ण ऐंड ब्रादर्स	..	आम बाजार (गोरखपुर)
८	सर्वश्री ओची राम पर्जुनल	..	मानी राम
९	श्री एम० सी० कनसल	..	आम बाजार (गोरखपुर)
१०	,, राघुराज सिंह	..	सूबा बाजार (गोरखपुर)
११	,, लछमन दास	..	बशारतपुर (गोरखपुर)
१२	,, काशी प्रसाद उपाध्या	..	बासदेला
१३	,, किलोरी लाल	..	रसूलपुर (गोरखपुर)
१४	,, विश्वनाथ मिश्रा	..	सोनबरसा खुर्द
१५	,, कृपाल दास	..	पिपराइच
१६	,, सराया शूगर मिल्स	..	सराया (सरदारनगर)

तहसील बांस गांव

(१) स्थायी

१	श्री मोती लाल गुप्ता	..	बरहलगंज
२	मेसर्स सर्वोदय ऐजूकेशनल सुसाइटी		कौरी राम
३	श्री भगवती तिवारी	..	रानी पुर
४	बेनी माधव तिवारी	..	भांटपार
५	,, बली राम	..	खजनी

२—अस्थायी

१	मेसर्स सहकारी संघ क्वाप्रेटिव	..	बरहलगंज
२	श्री विश्वनाथ शुकुल	..	पहापर
३	सर्वश्री राज नरायन चन्द जगदीश प्रसाद		गोला
४	श्री राम प्रसाद सिंह	..	मंजगांवां
५	,, ज्वाला प्रसाद	..	सरवासरपार (बरहलगंज)
६	,, अनरूद नरायन पांडे	..	कौरी राम
७	श्री रामनरेश राय	..	सेनतल
८	,, केशो प्रसाद	..	बच्छे पार (बरहलगंज)
९	,, लक्ष्मी नरायन	..	गोला
१०	,, छेदी लाल गुप्ता	..	बरहल गंज
११	सर्वश्री गंगा नन्द शीतल चन्द	..	चोखनियां (गोला)
१२	श्री राम नाथ सिंह	....	पिपरा (उरवा)
१३	,, नगेन्द्र नाथ राय	..	फरसा
१४	सर्वश्री राम सिंह मोती लाल	..	बिसरा (गोला)

क्रम-सं०	भट्ठों का नाम		स्थान भट्ठा	अव्यय
१५	सर्वश्री अवध नाथ सिंह बैज नाथ प्रसाद	..	सेनुआपार (गागाना)	
१६	श्री राम प्रागत मनी त्रिपाठी	..	कुरौली उरवा)	
१७	सर्वश्री जै सिंह नरेश सिंह	..	देवरार बाबू	
१८	श्री भगवत तिवारी	..	संसांधार (बहलगंज)	

३—तहसील फरेंदा

(१) स्थायी

१	श्री फत्तू मल	..	आनन्द नगर	
२	सर्वश्री विशेसर लाल चिरंजी लाल		पीपीगंज	
३	श्री गनेशमल	..	नौतनवा	
४	सर्वश्री गनेशमल विशन दास	..	पीपीगंज	
५	श्री सतराम दास	..	कम्पियर गंज	
६	श्री राधे शाम	..	बृजमनगंज	

(२) अस्थायी

१	श्री नरसिंह प्रसाद पांडे	..	कम्पयारगंज	
२	सर्वश्री राजेन्द्र मारकन्डे प्रसाद	..	ठाकुरनगर (आनन्दनगर)	
३	मेसर्स सान् ब्रादर्स	..	जंगल झंजवा (पीपागंज)	
४	सर्वश्री दीपचन्द नरायन दास		लक्ष्मीपुर	
५	सर्वश्री प्रेम शंकर गुप्तार राम	..	शाहाबाद (बृजमनगंज)	

तहसील महाराजगंज

(१) स्थायी

१	श्री तेकूमल	..	सिसवा	
२	,, ईश्वर दास	..	परतावल बाजार	
३	सर्वश्री धन्नामल नरायन दास	..	गुंगनाली	

(२) अस्थायी

१	श्री महाबीर सिंह भटना	..	परतावल बाजार	
२	सर्वश्री राम ब्रिक्स वृक्ष बाबू लाल		बसडीला	
३	श्री नैनू मल	..	शिकारपुर	
४	श्री यादुवेन्द्र सिंह	..	साबिया (सिसवा)	
५	,, राधा राम	..	निचलाऊल	
६	,, द्वारिका दास	..	सिरसिया	
७	,, गोविन्द मल	..	शिकारपुर (सिसवा)	
८	,, राम चन्द्र बंका	..	सिसवा	
९	श्री औत दास	..	शाम देवरवा	
१०	श्री औत राम सुन्दर दास	..	मऊ पाकर (महराजगंज)	
११	श्री आनन्द स्वरूप शर्मा	..	जोगिया कफावा	
१२	श्री मोहन लाल सिन्धी	..	मेदनीपार	
१३	श्री कृष्ण चन्द	..	मितनौरा	

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

दुद्धी तहसील के ग्रामवासियों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण :—

१—खाने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियां, कांटा, बगई घास, एवं सूखा पड़ा ईंधन की लकड़ियों .....निशुल्क ।

२—विशेष सुविधाप्राप्त १७३ ग्रामों के मूल निवासियों को मकान की मरम्मत तथा निर्माण के लिये और कृषि कार्य में उपयोग होने वाले यंत्रों जैसे हल के लिये लकड़ी .....निःशुल्क ।

३—मकान के निर्माण एवं मरम्मत के लिये बांस निम्न भाव पर दिया जाता है :—

१०० बांस तक	..	१ रु० ५० नये पैसे प्रति सैकड़ा
१०० से अधिक पर ५०० बांस तक	..	३ रु० प्रति सैकड़ा
५०० से अधिक बांस के लिये	..	४ रु० प्रति सैकड़ा

डोम और धरकार को, जिनका मुख्य व्यवसाय बांस से टोकरी बनाना है, ५ रुपया प्रति हजार के भाव से बांस दिया जाता है ।

(४) पशुओं की चराई की सुविधा, जिसकी निम्न दर है :—

(क) प्रति भैंस	..	७ आने प्रति वर्ष
(ख) प्रति गाय या बैल	..	३ आने ६ पाई प्रति वर्ष
(ग) प्रति टट्टू	..	३ आने ६ पाई प्रति वर्ष
(घ) प्रति बकरी या भेड़	..	६ पाई प्रति वर्ष

खेत जोतने वाले बैलों तथा एक वर्ष की उम्र से कम के बछड़ों की कोई चराई नहीं ली जाती है ।

अलगूराय शास्त्री,
वन मंत्री।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

मथुरा जिला कारागार में बन्दियों को दिये जाने वाले कपड़ों की संग्रह तालिका

कपड़ों का नाम			नये	प्रयोगनीय	योग
ऊनी कम्बल	..	..	..	६१३	६१३
ऊनी कम्बल कोट	..	..	..	२६८	२६८
कुर्ता	..	..	१०५	४६०	५६५
पयजामा	..	..	१००	४६६	५६६
नेकर (जांघिया)	..	..	३०	२२८	२५८
लंगोटा	..	..	१७५	२२१	३९६
गमछा	..	..	२७३	२३१	५०४
टोपी	..	..	३३९	२४१	५८०
चादर	..	..	२०	४१६	४३६

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

तिथि	परमिट संख्या	तिथि	परमिट संख्या
१-६-६१ ..	.. ११	५-७-६२	३६
२-६-६२ ..	.. १६	६-७-६२	६६
४-६-६२ ..	.. २	६-७-६२	६१
५-६-६२ ..	.. २३	१०-७-६२	३३
६-६-६२ ..	.. ३३	११-७-६२	८२
७-६-६२ ..	.. १२	१२-७-६२	१५
८-६-६२ ..	.. १३	१३-७-६२	११
११-६-६२ ..	.. ७	१६-७-६२	१
१२-६-६२ ..	.. २२	१७-७-६२	१३
१३-६-६२ ..	.. १६	१८-७-६२	८
१५-६-६२ ..	.. ११०	२०-७-६२	११३
१८-६-६२ ..	.. ३८	२३-७-६२	१२
१९-६-६२ ..	.. ३	२४-७-६२	६
२०-६-६२ ..	.. २७	२६-७-६२	२२
२१-६-६२ ..	.. १२	२७-७-६२	१
२२-६-६२ ..	.. १	२८-७-६२	१
२५-६-६२ ..	.. ३२	३१-७-६२	४५
२७-६-६२ ..	.. २७	..	..
२९-६-६२ ..	.. १२४	..	..
३०-६-६२ ..	.. १	..	..

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५५ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा में २३–८–१९६२ को श्री तेजा सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० तथा उसका उत्तर ।

मूल प्रश्न	उत्तर
१०—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के संबंध में जो अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक १ फरवरी, १९६२ को तकरीबन ६,००० एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये की गई है, उस जमीन का मुआवजा तय करने के लिये लैन्ड एक्वीजीशन अफसर को कुछ खास दर पर अर्जित करने के लिये कहा गया है या उसी दर पर जिस पर साधारणतया अर्जित की जाती है ? अगर वैसा नहीं किया गया है, तो क्या तय हुआ ह ?	गाजियाबाद के सुनियोजित विकास के लिये ६,१५९ एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये ९ फरवरी, १९६२ को एक विज्ञप्ति सरकार ने जारी की है किन्तु उस विज्ञप्ति में वर्णित भूमि का मुआवजा तय करने के लिये लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर को कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न सरकार को इस प्रकार का कोई निर्देश देने का अधिकार ही है । लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि का मुआवजा बाजार भाव के अनुसार निर्धारित किया जाता है और उसी के अनुसार निर्धारण इसमें भी होगा ।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६७ एल० ए०—१९६२—८४५ ।